राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ४९वां दिवस [संख्या ३२

मंगलवार, १२ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, राजस्व, देवस्थान, समाज कल्याण, उद्योग तथा सामान्य प्रशासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६५४.

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपथित)

प्रश्न संख्या ६५५.

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कालन्द्री की उच्च माध्यमिक शाला में 'वाणिज्य' विषय की व्यवस्था

९५६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Education be pleased to state:-

(i) Whether the Government intend to introduce Commerce subject in the Higher Secondary school at Kalandri from July, 1960 ?

(ii) What is the strength of students in Class VIII in this institution at persent ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (i) No Sir,

(ii) 32.

श्री मोहब्बतसिंह : Why no ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Because the number of students in IX Class is nine only, which does not justify even the continuation of Higher Secondary School.

Page No.2

श्री मोहब्बतसिंह : Is it correct that the number of students at present in class 8th has to be considered for giving optional subjects, because those who are now in 8th class will be in 9th class when the subject is introduced.

श्री दामोदरलाल व्यास : We will consider the question of 8th only when the 9th class also jusifies it.

श्री मोहब्बतसिंह : The numbe of students in class 9th is 31 at present and that will be the number in class 9th when the subject is introduced.

श्री दामोदरलाल व्यास : When the school was upgraded to higher secondary status, the number of students was 20. Now it has gone down to 9. So where is the guarantee that the number of 32 will continue ? 50 percent may pass and 50 percent may leave the school.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware that in the absence of this subject the students leave this institution and go to other institutions?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no such information with the Government.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government also aware .that the people of Kalandri are prepared to contribute amounts to meet the cost of Typewriters and other sundries ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know that. But only because they ar prepared to contribute some expenses, it does not justify the introduction of the subject. The number of students both in class 8th & 9th have to be considered and I have given full justification for taking negative action in this matter.

श्री अध्यक्ष : Next.

अजमेर खंड के रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स की नायब तहसीलदारों के पद पर नियुक्ति

६५७. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि सन् १९५९ में अजमेर खंड के कुछ रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को नायब तहसीलदार बनाया है तथा जो पहले से नायब तहसीलदारी का काम कर रहे थे उन्हें रिवर्ट किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिन नायब-तहसीलदारों को रिवर्ट किया गया है, उनमें से कुछ को थोड़े ही दिनों बाद फिर से प्रमोशन दे दिया ?

(ग) यदि हां, तो किनको रिवर्ट किया और किनको कितने दिन बाद वापिस नायब तहसीलदार बना दिया ? रिवर्ट करने व प्रमोशन के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(घ) जिन रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को सन् १९५९ में नायब तहसीलदार बनाया गया है क्या ये व्यक्ति उस समय सर्विस में नहीं थे,

Page No.3

(श्री रामकरणसिंह)

जिस समय, रिवर्ट होने वालों को प्रमोशन दिया गया था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां। आर० टी० एस० एल० १९५६ के आधार पर बनाई गई कमेटी ने जिन्हें नहीं चुना उन्हें रिवर्ट किया गया है ।

(ख) जी हां।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) जी, थे।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकरणसिंह: आपने भाग(ग) के अनुसार जो सूची दी है वह मुझे कम्पलीट नहीं मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या सूची नहीं मिली ? आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष : रीड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर चुका हूँ कि किन्हीं व्यक्तिगत आदमियों के प्रोमोशन के बारे में जिनके लिये यह व्यवस्था की हुई है कमिटी बनती है, कमीशन बनते हैं उनके बारे में पूछने को बहुत उत्सुक होते हैं । किसी आदमी को प्रोमोशन क्यों दिया या अमुक आदमी को क्यों नहीं दिया गया, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। यदि आपको प्रिन्सिपल्स के बारे में आपत्ति हो तो जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कुछ आदमियों का सिलेक्शन होता है और कुछ सिलेक्शन में नहीं आते हैं उनको रिवर्ट कर दिया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद फिर कुछ को नायब तहसीलदार बना दिया गया है तो क्या उसका सिलेक्शन हुआ था नायब तहसीलदार के लिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको रिवर्ट कर दिया गया लेकिन जब कुछ नायब तहसीलदारों की जगह खाली हुई और सिलेक्टेड लिस्ट एक्ज़ॉस्ट हो चुकी थी, वैसी हालत में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टेबिलिटी कम सिनियोरिटी के बेसिस पर उन लोगों को, जिनको रिवर्ट किया गया था ६ महीने के के लिए टेम्पोरेरी तौर पर नायब तहसीलदार की जगह नियुक्त कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : जिन आदमियों को पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया उनको फिर बाद में किस प्रकार से ले लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने भी इन्स्पेक्टर्स थे सब को रिजेक्ट कर दिया गया था और जब वेकेन्सीज़ हुई तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनको टेम्परेरी तौर पर लगाना उचित समझा ।

श्री रामकरणसिंह : रिजेक्ट होने के कितने दिन बाद फिर प्रोमोशन दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग आदमियों की अलग अलग तारीखें

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं। ज्यों ज्यों जगहें खाली होती गई टेम्परेरी बेसिस पर छः महीने के लिए लगाया गया।

श्री रामकरणसिंह : जिनको कुछ दिनों पहले तो रिजेक्ट कर दिया, वे थोड़े दिनों बाद किस प्रकार से उस पोस्ट के योग्य हो गये ?

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कुछ खाली जगहें थीं; किसी को लगाना था चूंकि वे लोग पहले काम कर चुके थे; इसलिये उनको टेम्पोरेरी बेसिस पर लगा लिया। अगर वे सिलेक्ट हो जायेंगे तो रह जायेंगे।

श्री रामकरणसिंह : दस-पन्द्रह दिन बाद खाली जगह कैसे हो गयी और जिस समय रिजेक्ट हुए, उस समय जगह नहीं थीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड की बैठकें एवं कार्य-विवरणों का लेखन

६५८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड एक्ट १६५६ के अन्तर्गत बनाये गये बोर्ड की अब तक कितनी और कब कब, कहां कहां बैठकें हुई हैं और उनमें कौन कौन उपस्थित हुये ?

(२) क्या इन सब बैठकों की मिनिट्स लिखी गई तथा सदस्यों को वितरित की गई हैं ? यदि हां, तो कृपया इन मिनिट्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। इन बैठकों में जो कार्य-वाही हुई व जो रिज़ोल्यूशन्स पास किये गये बोर्ड के अन्दरूनी प्रशासन के बारे में थे जिनका साधारण जनता से कोई संबन्ध नहीं है। बोर्ड की मीटिंग का कार्य-विवरण गोपनीय है अतः उनको प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित की दृष्टि से उचित नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : उपयुक्त किस प्रकार से नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी गोपनीय बातें आप समझते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत सारी बातें हैं, जो गोपनीय है जिनको; बताया नहीं जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी गोपनीय बातें क्या हैं? स्टेचुटरी बोर्ड अब आपने बना रखा है तो उसकी कार्यवाही क्या सदन को नहीं बताई जा सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत सारी बातें हैं जो गोपनीय हैं। कमिटी ने जो कुछ डिसीजन लिये हैं वे बताये नही जा सकते और आपने तो पूरे मिनिट्स चाहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उन मिनिट्स को इस सदन के सामने रखेगी जिससे यह जानकारी हो सके कि नाथद्वारा इन्क्वा-

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

यरी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने क्या क्या एक्शन लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्पल बोर्ड द्वारा जो एक्शन लिया गया उसके बारे में मैं सदन में अर्ज कर चुका दो-तीन बार।

श्री भैरोंसिंह : आपने जिनके बारे में सदन में अर्ज कर दिया और जितना आप बता चुके क्या जनहित की दृष्टि से वे एक्स्ट्रैक्ट्स प्रोसीडिंग्ज में से लेकर सदन को दे सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे मंगाकर पेश कर सकता हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हिन्डौन तहसील में हरिजनों के उपयोगार्थ जल-कूपों का निर्माण

६५६. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-ख) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

जिला सवाई माधोपुर की हिन्डौन तहसील में कितने कुए सन् ५६से५६ तक विकास द्वारा हरिजनों को पानी पीने के लिए बनवाये गए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस विभाग से संबन्धित नहीं है विकास विभाग से है, वे उसका जवाब देंगे।

श्री उम्मेदीलाल : यह प्रश्न पिछले सेशन में भी पूछा था, अभी तक उत्तर नहीं मिला। क्या आपके विभाग द्वारा कोई कुए नहीं बनाये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किस विभाग द्वारा हरिजनों के लिए कुए बनाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग से निश्चित रकम दी जाती है हरिजनों को कुए बनाने के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : पानी की सुविधा के लिए कुए बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग का कर्त्तव्य है कि वह हरिजनों को कुए बनाने के लिये सहायता दे और पूछा गया है जितने कुओं के लिए रकम दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ठीक है किन्तु समाज कल्याण विभाग के बारे में पूछते तो मैं जवाब दे देता।

श्री रामचन्द्र : निवेदन तो यही था....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : निवेदन तो इसके अन्दर ही लिखा है। पर आपने विकास विभाग के लिए लिखा था, समाज कल्याण विभाग के लिए नहीं।

श्री रामचन्द्र : समाज कल्याण को भी तो जानकारी रखनी चाहिये कि कितनी असुविधाएं हरिजनों को पानी की है और उनको दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है ? इसका जवाब मिलना चाहिये।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह समाज कल्याण विभाग भी तो हरिजनों के विकास का ही तो महकमा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले विकास विभाग के पास भेजा गया था, पर उसने कहा कि हमारे से सम्बन्धित नहीं है, समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समाज कल्याण विभाग ने तो कुछ नहीं किया इसमें।

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग से कोई रकम इस काम के लिए इस एरिया में दी गई हो तो आप बता दें, जानकारी करके बाद में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैं जानकारी करके बाद में बता दूंगा।

श्री उम्मेदीलाल : इसका जवाब जो है पहले भी कई बार इस प्रश्न के पूछे जाने पर यही दिया गया था कि आपसे सम्बन्धित नहीं है। आखिर फिर किससे जवाब मिल सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह 'विकास' शब्द लिख दिया इससे सारी दिक्कत है। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा आपको सूचना मिल जावेगी।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : इसमें प्रश्न भी साफ है, इसमें कहीं 'विभाग' शब्द नहीं लिखा है। इसमें डेवलपमेंट की बात लिखी है। 'विकास' यानी 'डेवलपमेंट' द्वारा आपके समाज कल्याण के विभाग द्वारा डेवलपमेंट के सम्बन्ध में कितना रुपया दिया गया है ? डेवलपमेंट के लिये कितना रुपया दिया गया है यह पूछ रहे हैं ? इसमें विकास विभाग कहां लिखा है ?

प्रश्न संख्या ६६०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

सिरोही जिले में कालन्द्री से सिलदर व रेवदर से जसवन्तपुरा मेटल्ड सड़क का निर्माण

६६१. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :-

(1) Whether the Government contemplates to construct metalled roads from Kalandri to Sildar and Jaswantpura and also from Reodar to Jaswantpura in Sirohi District in the financial year 1960-61 ?

(2) Is the Government also aware of the resolutions passed by the former District Development Committee, Sirohi and existing Zila Parishad, Sirohi against the construction of gravel roads in Sirohi district on account of the unfavourable geographical conditions prevailing in this district ?

(3) Does the Government contemplate to construct metalled roads now in future, instead of gravel roads when the representative bodies have expre-

Page No.7

(श्री मोहब्बतसिंह)

ssed to be contended even with less milage of roads in the limited provision of money ?

(4) Is the Government also aware that gravel is not available in this district and as such murad is being used instead of gravel ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) This matter is under consideration of Government.

(2) Yes.

(3) The matter is being examined by the Chief Engineer, B. & R., P. W. D., Rajasthan, Jaipur.

(4) Yes, it is true that at most of the places good gravel is not available, but inferior gravel is available at some of the places while stone soling and metal is not available anywhere in the Northern zone of the district.

खारची तहसील में गोचर भूमि संबंधी विचाराधीन मामले

९६२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) खारची तहसील के किस किस ग्राम के गोचर भूमि के मामले किस किस अधिकारी के पास कितने कितने समय से पेन्डिंग हैं ?

(२) उपरोक्त मसले इतने समय से पेंडिंग रहने के क्या कारण हैं और आज तक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(३) पिछले दो सालों में कितने फैसले किस किस ग्राम के किये गये ?

(४) क्या किये गये फैसलों की गोचर भूमि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के चार्ज में दे दी गई है ? यदि हां, तो किस किस ग्राम की ?

राजस्व मन्त्री(श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मुकद्मान जिनमें खसरा नम्बर बिला कब्जा पड़त होते हैं वह मामला जल्द तय हो जाता है और जिनमें खसरा नम्बरान पर काश्तकारान का कब्जा होता है उसमें कायदे की कार्यवाही करने में समय लग जाता है।

(३) पिछले दो सालों में निम्न लिखित ग्रामों के फैसले किये गये :

१. फूलिया, २. हेमलियावास खुर्द, ३. घालो, ४. जाखुदी, ५. गुढा केसरसिंह, ६. रडावास, ७. भिमालिया, ८. सिसाला, ९. चिरपाटिया, १०. मोजावास, ११. निम्बलीभागा, १२. बिटडाकलां, १३. बडी, १४. कुशलपुरा, १५. ददोड

(४) किये गये फैसलों की गोचर भूमि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को चार्ज में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No.8

श्री बेनाराम गहलोत : ये जो केसेज़ तहसीदार के पास ५७ से पेन्डिंग बताये हैं उनमें आज तक क्या आदेश हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि अलग अलग केसों में देखना पड़ता है कि दूसरे का कब्जा कैसा है, ट्रेसपासर्स हैं या क्या हैं; अगर ट्रेसपासर हुआ तो उसे बेदखल करके तब चरागाह में डिमार्केशन होता है और इसलिये इसमें समय भी लगता है।

श्री बेनाराम गहलोत : एक केस पेन्डिंग बताया बाली का और वही केस कलेक्टर साहब के पास पेन्डिंग में बताया नम्बर २ पर। और एक केस नम्बर १७ बाली का ही पेन्डिंग बताया तहसीलदार के पास में। एक ही केस दो जगह कैसे पेन्डिंग बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें आगे क्या लिखा है ? यह नहीं कह सकता कि गांव वही है या दूसरा है।

श्री बेनाराम गहलोत : तहसील में गांव एक ही है बाली।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है किसी एक केस में इन्टेरिम ऑर्डर के सिलसिले में कलेक्टर के पास चला गया हो, इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, पर यह हर मुमकिन है, कोई नामुमकिन नहीं है, कि एक ही केस दूसरी जगह रिवीजन में हो या इन्टेरिम ऑर्डर के वास्ते चला गया हो तो चला जाता है अपीलेट ओथोरिटी के पास बीच में भी।

श्री शंकरलाल : बहुत सों का कब्जा है इसलिये पेन्डिंग है। तो यह जो कब्जे की जमीन है तो इसे गोचर भूमि में परिणत करने का सरकार का क्या इरादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पॉलिसी नहीं है सरकार की कि काश्तकारों को बेदखल करके पड़त की जाय और फिर गोचर में लिया जाय।

श्री शंकरलाल : फिर आपने फरमाया कि पेन्डिंग में रहने के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां आगे एक शब्द और कहा था मैंने ट्रेसपासर्स का, वह माननीय सदस्य ने सुना नहीं।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : तो काश्तकारों को बेदखल करके चरणोट में जमीन निकाली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा नहीं है, आपने पूरी तरह सुना नहीं। मैंने ट्रेस-पासर्स का नाम लिया है।

महाराना गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ की अध्यापिकाओं के बकाया वेतन

६६३. **श्री दयाकृष्ण विजय(छबड़ा) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) महाराना गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ की किन किन अध्यापिकाओं को जनवरी, १६५६ के बाद कितने समय का वेतन नहीं मिला है।

(ख) प्रधानाध्यापिका ने इस सम्बन्ध में कब कब उपनिरीक्षिका, अजमेर को रिमाइन्डर दिये ?

Page No.9

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ की एक अध्यापिका को जिसकी नियुक्ति एक अन्य अध्यापिका के प्रसवकालीन अवकाश पर २ माह ७ दिन के लिये हुई थी उसका वेतन अभी तक बाकी है। अन्य समस्त अध्यापिकाओं का वेतन नियमित रूप से मिल रहा है।

(ख) इस विषय में उक्त अध्यापिका ने उपनिरीक्षिका, अजमेर को चार बार रिमाइन्डर किया।

श्री दयाकृष्ण विजय : अब तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका कारण पूछा गया है और उत्तर प्राप्त होने पर जिसका दोष पाया जावेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

देसूरी में पृथक असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत स्थापित करने की मांग

९६४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) पाली जिले की देसूरी तहसील के कितने रेवेन्यू मुकदमे बाली असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत में विचाराधीन है ?

(ख) क्या सरकार देसूरी में एक पृथक असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत खोलने का विचार रखती हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ८७ रेवेन्यू मुकदमे विचाराधीन हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है।

श्री शंकरलाल : जनता की दरख्वास्त है और अभी केबिनेट मीटिंग वहां हुई तो उसमें भी प्रस्ताव आया था; दरख्वास्त जनता की ओर से पेश हुई है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ८७ केसेज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसके लिये।

श्री शंकरलाल : बाली में कुल जितने टोटल केसेज़ हैं उनमें ज्यादा देसूरी तहसील के हैं, क्या इस बात को ध्यान में रख कर भी आप नहीं सोचना चाहते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है। पर जितना वर्क लोड यह है उससे उसका राइट हो जावे दूसरा कोर्ट खोलने का, यह उचित नहीं समझती सरकार।

श्री शंकरलाल : देसूरी में जब केस ज्यादा हैं तो वहां कोर्ट दूसरा रहना चाहिये, फिर बाली में ही रखने का आग्रह सरकार को क्यों है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुकद्दमों की तादाद को ही देखकर हम कोर्ट रद्दोबदल करते रहें तो कभी मुकद्दमे बाली के भी ज्यादा हो सकते हैं तो यह मुकद्दमे ज्यादा होना कोई जस्टिफिकेशन नहीं रखता। एक उपयुक्त जगह को समझ कर हमने कोर्ट कायम किया है, उसको वहीं रखने में सुविधा है।

राजस्थान में सोशियल डिफेन्स स्कीम की स्वीकृति एवं उसका कार्यान्वयन

९६५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्री, समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये सोशियल डिफेन्स स्कीम (care programme) स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि इन स्कीम्स के इम्प्लीमेन्टेशन में राज्य सरकार का भी खर्चा होगा ? यदि हां, तो किस अनुपात में ?

(३) इस स्कीम के इम्प्लीमेन्टेशन करने अथवा पोस्ट क्रियेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन सरकार द्वारा विभाग के पास कब भेजी गई तथा विभाग की ओर से इस स्वीकृति के लिये कब लिखा गया ?

(४) क्या यह सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन प्राप्त होने से पूर्व ही विभाग द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत हुई नियुक्तियां, तरक्कियां आदि कर दी गई हैं ? यदि हां, तो किन किन की और तरक्की देने की स्थिति में किस पद से किस पद पर और क्यों ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सही है कि इस विभाग में विभागीय नियुक्तियों, तरक्कियों आदि के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां। दिनांक ८ अक्टूबर, १९५९ को।

(२) जी हां। ५० प्रतिशत भारत सरकार और ५० प्रतिशत राज्य सरकार का।

(३) इस स्कीम को कार्यान्वित करने एवं पोस्ट क्रियेट करने के लिये इस विभाग द्वारा दिनांक २६ अक्टूबर, १९५९ को लिखा गया था और सरकार से स्वीकृति दिनांक ३१-१-६० को प्राप्त हुई।

(४) जी हां। इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने की दृष्टि से पदोन्नति कल्याण निरीक्षक, सहायक प्रचार अधिकारी एवं प्रोपेगेण्डा असिस्टेन्ट के पदों से की गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां। बन रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं आती तब तक उन पोस्ट्स को क्रियेट किया जाकर अपॉइन्टमेंट नहीं किये जा सकते ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सही है। नहीं किया जाना चाहिये तब तक। पर इसमें चूंकि सेन्ट्रल सरकार की स्कीम आई हुई थी तो इन-एन्टीसिपेशन ऑफ सेंक्शन अपॉइन्टमेंट्स किये गये। हालांकि यह इर्रेगुलेरिटी जरूर हुई।

श्री भैरोंसिंह : इस विभाग में अपॉइन्टमेंट वगैरह के नियम नहीं बने हुए हैं तो किन नियमों के आधार पर प्रोमोशन और अपॉइन्टमेंट किये गये ?

Page No.11

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सीनियोरिटी कम मैरिट के आधार पर और बी० ए० से निम्न योग्यता वालों को कोई तरक्की नहीं दी गई है। और जिनको दी गई उनको उतने के आसपास या अधिक वर्तमान में वेतन वालों की पदोन्नत्ति हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा, सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन दिये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सीनियोरिटी कम मैरिट के आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : जब विभाग में इस सम्बन्ध के रूल्स नहीं हैं फिर जिन रूल्स के आधार पर इस प्रकार के प्रोमोशन दिये जाते हैं वे कौनसे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार की स्कीम थी और इस कारण सारे सैट-अप को बैठाना था इसलिये जो जनरल रूल्स हैं उनके अनुसार हमने प्रोमोशन दिये। आखिर इनके बेसिस पर ही इस विभाग के भी रूल्स बनेंगे। उनसे हम अलग जा नहीं सकेंगे। चुनाचे उनको ही ध्यान में रखते हुए ये प्रोमोशन किये गये। अब इसमें यह इर्रेगुलेरिटी जरूर रही कि पहले सेंक्शन आनी चाहिये थी पर चूंकि हमें जल्दी करनी थी और यह चिन्ता थी कि स्कीम जल्दी से जल्दी लागू की जावे इसलिये ये अपॉइन्टमेन्ट्स किये।

तहसील हिन्डौन में फलीकेपुरा से कोटरी तक निर्मित सड़क के अन्तर्गत आई हुई भूमि के लगान की वसूली

६६६. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डौन में जो सड़क फलीकेपुरा से कोठरी के लिये बनवाई गई है उसमें किसानों की जो जमीन आई है उस पर किसानों से लगान अभी भी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : लगान लेना बन्द किया जा चुका है। वसूली शुदा लगान को एडजस्ट करने का आदेश हो चुका है।

श्री उम्मेदीलाल : यह आदेश कब हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात सामने आते ही और जब सवाई माधोपुर में केबीनेट की मीटिंग हुई थी तब सवाल के सामने आते हैं तब हुई ?

श्री उम्मेदीलाल : जो लिया गया है वह वापिस दिलावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसको एडजस्ट करने का आदेश दे दिया है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : कल भी ऐसा प्रश्न आया था खारची के लिये। तो आप जनरल रूल क्यों नहीं बना देते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो है ही। तमाम कलेक्टरों को ऐसी हिदायतें कर दी गई हैं।

श्री शंकरलाल : कब कर दी गई हैं ?

Page No.12

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मुझे याद नहीं है। पर अभी हाल ही में की गई हैं।

प्रश्न संख्या १६७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६८

श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लादूराम मुलाणिया।

सब डिविजन किशनगढ़ के गांवों की गोचर भूमि की पत्थर गड़ाई

१६६. श्री लादूराम मुलाणियां (दूदू-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सब डिविजन किशनगढ़ की दोनों तहसीलों में से कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें गोचर भूमि की पत्थर गड़ाई नहीं हुई है ?

(२) जिन जिन ग्रामों में यह पत्थर गड़ाई नहीं हो पाई है, उसकी देरी का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब नहीं आ सका है इसलिए इसको अगली तारीख पर रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

आबू रोड में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना

१७०. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(1) Is the Government aware of the demand of the people of Sirohi District for an industrial estate at Abu Road ? Does the Government intend to meet this demand ?

उद्योग मंत्री (रिखबचन्द धारीवाल): (1) Yes.

It would not be possible to establish an industrial estate at Sirohi by the Government due to paucity of funds in the next financial year.

श्री मोहब्बतसिंह : When it would be possible to give this industrial estate at Adu Road, not at Sirohi?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It may be possible,if at all, in the Third Five Year Plan.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया।

श्री दलीपसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवा दिया जाये।

कोटा जिले की मुख्य सड़कों को डामर सड़क बनाने की योजना

१७१. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया [बारां सु०-श्री दलीपसिंह (बारां) द्वारा

Page No.13

(श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया)

पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार की यह जानकारी में है कि कोटा जिले के निम्न रोड आवागमन की दृष्टि से काफी उपयुक्त हैं :—

१. बारां–झालावाड़ रोड

२. दरा–सागोद–ब्यावर रोड

३. मोडक स्टेशन, रामगंज मण्डी रोड

४. मोडक स्टेशन, चेचट रोड ?

(२) यदि हां, तो उक्त रोड्स की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या इनको डामर रोड किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(३) यदि हां, तो इनको कब तक डामर रोड किया जाना सम्भव हो सकेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) आवागमन की दृष्टि से केवल बारां–झालावाड़ रोड अधिक उपयोगी है। बाकी सभी सड़कों का केवल स्थानीय उपयोग है। वैसे सभी सड़कें आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त होती हैं।

(२) फिलहाल–बारां झालावाड़ रोड को डामर करने की योजना है।

(३) बारां–झालावाड़ रोड के ३१ मीलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तथा ६ मील में तृतीय पंचवर्षीय योजना में डामर करने की योजना है। बाकी तीन सड़कें अभी तक किसी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

जागीर कलेक्टर भीलवाड़ा, द्वारा निर्णीत पांच हजार से नीचे के दावे

९७२. **श्री शिवचरणदास** (मान्डल): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जागीर कलेक्टरी, भीलवाड़ा में दिनांक १–१–५९ से दिनांक ३१–१–६० तक पांच हजार से नीचे के कितने दावे किस किस के फाइनल हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त में से कितने इन्डेन्ट रिजर्व बैंक आॅफ इन्डिया को दिए गए और किस किस माह के कितने कितने इन्डेन्ट कराने बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(३) अब तक किस किस तहसील के बॉन्ड्स कितने कितने आए और उनमें से कितने वितरण किये और कितने कितने किस किस तहसील के बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) बाकी शुदा बॉन्ड्स का वितरण नहीं करने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिनके लिए इन्डेन्ट रिज़र्व बैंक को किये गये व जिनके लिए करना बाकी है उन दोनों की पृथक २ सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.14

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) तहसील भीलवाड़ा के बॉण्ड्स बहुधा सक्सेशन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से रुके हुए हैं। दीगर बॉण्ड्स हाल ही में प्राप्त हुए जिनके वितरण की कार्यवाही जारी है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि २०० तक की जागीर हैं उनके अभी तक इन्डेन्ट जारी नहीं किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आप सूची में देख लीजिए उसमें सब दिया हुआ है।

श्री शिवचरणदास : आपने २०० तक की जागीरों की फेहरिस्त नहीं दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५,००० से नीचे के कितने दावे किस किस के फाईनल हुए, वह सूची मौजूद है। अब इसमें आपका यह कहना है कि २०० तक की जागीरों के इन्डेन्ट जारी किये गये हैं या नहीं; मेरा ख्याल है कि पांच हजार से नीचे की सूचना मांग रहे हैं तो यह सूचना तो आपको सब मिली होगी।

श्री शिवचरणदास : आपने नीचे नोट में लिख दिया है कि २०० तक की जागीरें १२,६३२ हैं और उसमें से इन्डेन्ट की फेहरिस्त दी है १७५; तो १२,६३२ जो २०० तक की जागीरें हैं उनका इन्डेन्ट एक का भी नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर से जांच करा लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : २०० से कम आय वाली छोटी जागीरें जो १-७-५८ या उसके बाद खालसा हुई हैं उनके १२,६३२ दावे फाइनल हुए हैं। ऊपर की संख्या बड़ी जागीरों की है।

श्री शिवचरणदास : मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या २०० तक की जागीरों का एक भी दावा इन्डेन्ट नहीं किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस बात के लिए नहीं कह सकता कि नहीं किये गये हैं। क्या ऐसी सूचना इस सूची में है, क्या आपको इस सूची में नजर आती है, तो आप बता दें।

श्री शिवचरणदास : आपने नोट में साफ लिखा है कि १२,६३२ दावे २०० तक की जागीरों के हैं तो १२,६३२ में से एक का भी दावा इन्डेन्ट नहीं हुआ, यह तो स्पष्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जो सूची दी गई है वह तो आपको २०० से ऊपर तक के दावों की दी गई है और २०० से नीचे के लिए लिख दिया है कि १२ हजार के करीब दावे होंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके इन्डेन्ट नहीं हुए। लेकिन यह समझना चाहिए कि छोटे दावे वालों की रकम बहुत कम होती है, उनका इन्डेन्ट हो गया होगा लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि कितनों का इन्डेन्ट हुआ व कितनों का नहीं हुआ।

श्री शिवचरणदास : मैं यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि २०० तक की जागीरों के छोटे छोटे जागीरदार हैं और किसी की ५ रुपये की आय है किसी की १० रुपये की आय है और किसी की १०० रुपये की आय है तो उनको इस प्रकार से हैरेस किया जाता है और रोज़ हजारों की भीड़ में वे लगे रहते हैं और इस तरह से यह मुआवजा उनको बहुत महंगा पड़ जायेगा। तो या तो सरकार कह दे कि हम मुआवजा नहीं देंगे; तो वे अपनी किसी भी तरह से गुजर कर लें। मैंने मांगा है कि ५,००० से नीचे के कितने दावे पेश हुए तो यह तो जबाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वह तो स्वीकार करते हैं कि १३,००० के करीब दावे हुए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सूची में सूचना है वह तो है। आप यह चाहते हैं कि छोटे जागीरदारों के कितने दावे इन्डेन्ट हो गए हैं? वे बॉन्ड्स मिल गए हैं, मैं सूचना लेकर बता दूंगा। आप मुझे बता दें। कोई उनको दिक्कत होगी तो मैं उनकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूंगा।

श्री शिवचरणदास : अब तक ४,२६६ बॉन्ड्स आये हैं। उनमें ५८६ ही वितरित हुए और ३,६६७ बॉण्ड्स के वितरण नहीं होने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए तो स्पष्ट लिखा है कि सक्सेशन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से रुके हुए हैं। दीगर बॉण्ड्स हाल ही में प्राप्त हुए जिनके वितरण की कार्यवाही जारी है।

श्री शिवचरणदास : तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाये कि ३,६६७ सक्सेशन के केसेज़ चल रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको कारण बता दिए, अब मान लेने का क्या सवाल है? कुछ तो सक्सेशन की वजह से रुके हुए हैं और कुछ बॉण्ड्स ऐसे हैं कि जिनके वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवचरणदास : सक्सेशन से कितने रुके हुए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितने रुके हुए हैं, मेरे पास अलग सूचना नहीं है।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी वही प्रश्न आता है कि सक्सेशन के कोई दस–बारह केसेज़ होंगे और ३,६६७ दावे पड़े हुए हैं और उनको हैरेस किया जाता है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ६७३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत ।

पाली शहर में सन् १६५० से १६५८ तक काश्त की भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

६७४. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५० से सन् १६५८ तक पाली शहर में कौन कौन सी काश्त की जमीन पाली कलेक्टर द्वारा आबादी में बदली गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह कार्यवाही नियमानुसार हुई थी ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १६५० से १६५८ तक पाली शहर में सैशन्स कोर्ट के पास १४ व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के आदेश जिलाधीश द्वारा दिए गए थे । लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा इस भूमि पर मकान बनाने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया ।

(२) इस केस में अनियमितता कलेक्टर द्वारा होना प्रतीत होती है और अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या ६७५

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६७६

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री वीराराम ।

सिरोही जिले के स्वरूपगंज से रोहिड़ावास जानेवाले बस रूट पर पड़नेवाले नाले पर बांध निर्माण कार्य

६७७. श्री वीराराम (सिरोही–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के स्वरूपगंज से रोहिड़ावास जाने वाले बस

Page No.17

(श्री वीरराम)

रूट पर एक नाला पड़ता है जिससे बस के आने-जाने में बड़ी रुकावट पड़ती है ?

(ख) क्या सरकार उस पर बांध बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां, नाला पड़ता है। वर्षाकाल में बसों को रुकावट पड़ती होगी।

(ख) अर्थ के अभाव के कारण अभी कोई विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या ६७६

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

६७६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कब से आरम्भ हुआ था ?

(ख) अभी तक किन किन कक्षाओं में किन किन विषयों की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार अभी कुछ अन्य कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहती है ? यदि हां, तो किन किन का ?

(घ) अब तक जिन पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उन पर सरकार को कितना व्यय करना पड़ा तथा इससे आय कितनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास : (क) सन् १६५७ से।

(ख) निम्नलिखित पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है :-

हिन्दी : कक्षा १, २ व ३ का।

अंकगणित : कक्षा ३ का।

सामान्य विज्ञान व सामाजिक ज्ञान : कक्षा ३ का।

नवीन पाठमाला, अंकगणित, सामान्य विज्ञान व सामाजिक ज्ञान : कक्षा ४ का।

नवीन पाठमाला, अंकगणित, सामान्य विज्ञान, व सामाजिक ज्ञान : कक्षा ५ का।

नवीन पाठमाला, गणित, भूगोल, सुलभ संस्कृत, उर्दू रीडर व वाणिज्य ज्ञान : कक्षा ६ का।

(ग) निम्नलिखित पुस्तकों का राष्ट्रीय-करण आगामी सत्र से करना निश्चित किया गया है :-

१. हिन्दी कक्षा ७ व ८
२. गणित कक्षा ७ व ८
३. कॉमर्स कक्षा ७ व ८
४. भूगोल कक्षा ७ व ८

(श्री दामोदरलाल व्यास)

५. संस्कृत कक्षा ७ व ८

६. उर्दू कक्षा ७ व ८

७. सामान्य विज्ञान कक्षा ६, ७ व ८

८. सामान्य ज्ञान कक्षा ६, ७ व ८

(घ) १९५७ से जिन पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनके आय-व्यय का विवरण पूर्णरूप से करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह सूची सदन की मेज पर मांगी थी। जितनी कक्षाएं बतलाई उनके आय-व्यय की सूची होती तो शायद देखकर सवाल किया जा सकता था?

श्री दामोदरलाल व्यास : आय व्यय का विवरण जैसा कि मैंने कहा इकट्ठा किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रखने के बजाय मैंने पढ़ दी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कब तक इकट्ठा हो जायगा, आय-व्यय का?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए पेश नहीं किया जा सका।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस सत्र में इकट्ठा हो जायगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं अर्ज नहीं कर सकता हूं। इस सत्र के ३, ४ रोज रहे हैं। मगर आप चाहेंगे तो अलग से दे दूंगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के कारण लोगों को पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आम तौर पर शिकायत नहीं है। कहीं कहीं से शिकायत आई वहां प्रबन्ध कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ९८०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम उखलाना, तहसील अलीगढ़ में पटवारखाना का निर्माण कार्य

९८१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम उखलाना, पंचायत अलीगढ़, तहसील अलीगढ़ में पटवारखाना बन रहा है? अगर हां, तो वह अमानी से बन रहा है या उसके टेन्डर मांगे गये हैं? अगर टेन्डर मांगे गये तो किस किस ने टेन्डर दिये और सबसे कम किसका टेन्डर था और किसके नाम का टेन्डर मन्जूर हुआ?

(ख) क्या यह सही है कि अलीगढ़ से उखलाना ग्राम का फासला तीन, चार फर्लांग ही है? अगर हां, तो इतना नज़दीक यह मकान बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल

Page No.19

(श्री दामोदरलाल व्यास)

व्यास) : (क) जी हां। टेंडर मांगे गये थे। इसके लिये तीन टेन्डर कल्याण कारीगर, अलीगढ़ व भैरया पुत्र भूरा कोली, अलीगढ़ व सूरजमल गोयल, अलीगढ़ के पेश हुए। सबसे नीचा टेन्डर भैरया पुत्र भूरा कोली, अलीगढ़ का था जो एप्रूव्ड एस्टीमेट के अनुसार होने के कारण मंजूर किया गया।

(ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कोली के नाम मंजूर हुआ या सूरजबक्ष के नाम मन्जूर हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया भैरया वल्द भूरा कोली का सबसे नीचा टेन्डर था। वह एप्रूव्ड एस्टीमेट के अनुसार होने के कारण मन्जूर किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किसका मन्जूर किया है, कोली का किया है या दूसरे का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है न नाम। शायद आपकी समझ में नहीं आया है। उसका नाम है भैरया पुत्र भूरा।

प्रश्न संख्या ६८२

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह जैन।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

धौलपुर उप-जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन एवं उनकी स्थिति

६८३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) धौलपुर उप-जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कितनी बिल्डिंग्स हैं ? सूची मय मूल्य के सदन में प्रस्तुत की जावे।

(२) उक्त भवनों की मरम्मत गत वित्तीय वर्ष में कब की गई ?

(३) उक्त भवनों में से कितने ऐसे भवन हैं, जिनमें एक हजार से ऊपर की क्षति हो चुकी है ?

(४) उक्त भवनों की मरम्मत के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) सूची प्रस्तुत है।

(२) अक्टूबर, १९५९ से फरवरी, १९६० तक की गई।

(३) कोई भी ऐसे भवन नहीं हैं।

(४) जहां तक हो सकता है केपिटल कोस्ट का एक प्रतिशत वार्षिक रिपेअर्स में खर्च करने की कोशिश की जाती है। स्पेशल रिपेअर्स भी आवश्यकतानुसार की जाती है। बशर्ते कि धन-राशि उपलब्ध हो।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : आपके आइटम ३९ पर जो अदर मिलिट्री लाइन्स हैं क्या यह सत्य है कि ५० परसेन्ट लाइन्स टूट चुकी हैं ?

Page No.20

श्री हरिश्चन्द्र : क्या फरमाया ?

डॉ०बहादुरसिंह : आपके आइटम ३६ पर जो अंदर मिलिट्री लाइन्स हैं वे ५०,०००) रू० कॉस्ट की है। वह आधी से ज्यादा नष्ट हो चुकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसके लिए क्या फरमाना है ?

डॉ० बहादुरसिंह : वह आधे से ज्यादा नष्ट हो चुकी है।

श्री हरिश्चन्द्र : टूट चुकी है ?

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां।

श्री हरिश्चन्द्र: यह सूचना दी है। तलाश करूंगा।

डॉ० बहादुरसिंह : पुरानी स्टेट्स की जो बिल्डिंग्स हैं वे पी. डब्ल्यू.डी. की देखरेख में नहीं रखी हैं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जो लिस्ट दी है वह पी. डब्ल्यू. डी के पास में हैं उनकी दी है।

डॉ०बहादुर सिंह : एक्स स्टेट्स की और बिल्डिंग्स जो राजस्थान के पास में आई हैं क्या उनकी देख रेख पी. डब्ल्यू डी. नहीं रखती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास इसकी सूची नहीं है। दूसरी ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो पी. डब्ल्यू. डी. के पास में नहीं हो सकती हैं।

तहसील टौंक के ग्राम फरोकाबाद में हरिजनों को काश्त के लिए अलॉट की गई भूमि

९८४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम फरोकाबाद, तहसील टौंक, डि० टोंक में हरिजनों को भूमि काश्त के लिये अलॉट कर दी गई थी ? अगर हां, तो किस किस को कितनी कितनी और किस किस तारीख को ?

(२) क्या उपरोक्त जमीन का कब्जा संबंधित व्यक्तियों को दे दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या कलेक्टर के यहां से और रेवेन्यू बोर्ड के यहां से हरिजनों को जमीन देने के आदेश हो चुके थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से हरिजनों के लिए कहां से आदेश हो चुके थे ? आपने सवाल केवल यह पूछा था, "क्या यह सही है कि ग्राम फरोकाबाद,तहसील टोंक, डि० टोंक में हरिजनों को भूमि काश्त के लिये अलॉट कर दी गई है ? अगर हां, तो किस किस को कितनी कितनी और किस किस तारीख को ?" तो मैंने जवाब में अर्ज किया कि 'जी नहीं।'

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब हरिजनों को जमीनें एलॉट नहीं की गई तो हरिजनों के नाम से तहसील में पट्टे कैसे बने हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होंगे पट्टे।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पट्टों से कुछ पता नहीं लगता। वहां पर जमीन एलॉट नहीं की गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि एलॉट कर दी गई हैं और कब्जा नहीं दिया जा रहा है और उनके पट्टे तहसील में पड़े हुए हैं। तहसील कब्जा नहीं देती है। रेवेन्यू बोर्ड के ऑर्डर हो चुके हैं। वे ६४ हरिजनों के परिवार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने ६४ हरिजनों की जानकारी दी है कि पट्टे बने हुए हैं वह जानकारी मैंने ले ली है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वे ही हरिजन हैं जिन्होंने आपके खिलाफ पर्चे निकाले हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खिलाफ तो नहीं आपके खिलाफ निकाले होंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या यह सही है कि जो जमीन एलॉट हो गई थी वह सिवाय चक था। वह दूसरों के कब्जे में था। उन्हें काफी ज़मीन दी हुई है। वे कब्जा नहीं छोड़ते हैं। आपको गलत सूचना भेज दी गई है कि जमीन एलॉट नहीं हुई है। एलॉट हुई थी वह जमीन लेकिन दूसरे लोगों के कब्जे में है। उससे छुड़वाया नहीं जा रहा है तो झगड़ा पड़ा हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को गलतफहमी हो रही है। जिस जमीन के लिए सवाल पूछा है वह दूसरी है। किसी के कब्जे वाली जमीन का पूछते हैं तो एक एग्ज़ीक्यूटिव के ऑर्डर से कब्जा नहीं छुड़ाया जा सकता है। काबरा के काश्तकार की आप बात करते हैं तो मैं जानकारी दे दूं कि जिस जमीन पर काश्तकार काश्त कर रहे हैं उनके राइट्स रिकॉगनाइज़ कर लिये हैं। उनको कोर्ट से बेदखल नहीं किया जा सकता है। हरिजनों को एलॉटमेंट गलत हुआ है।

श्री लादूराम सुलाणिया : वह सिवाय चक होता है और एक साल के लिए तहसील से ऑर्डर लेकर बो लेते हैं। सिवाय चक का कब्जा नहीं माना जाता है अगर वह किसी के अधिकार में होता है तो। तहसीलदार ने उसी को एलॉट किया है लेकिन वे ज़बरदस्ती काश्त कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गये साल बोई थी, इस बेसिस पर।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह जो आप काबरा के लिए कहते हैं तो २५ आदमियों के नाम कलेक्टर साहब और रेवेन्यू बोर्ड से ऑर्डर हो चुके हैं। उन २५ आदमियों को सिर्फ २५-२५ बीघा देकर ४३५ बीघा जो जमीन पड़त है वह हरिजनों को एलॉट कर दी जाय। उसका पट्टा नहीं कर रहे हैं। उनको दखल नहीं दिला रहे हैं उसकी न मालूम क्या वजह है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सूचना दी है वह मैंने प्राप्त कर ली है। उसकी जानकारी आपसे हासिल हुई है। मेरी सूचना के आधार पर एलॉटमेंट नहीं हुआ है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह उचित नहीं मालूम होता है कि जो भूमि एलॉट करती है वह एलॉटमेंट कमेटी करती है वह पहले नहीं देख लेती है कि वह किसी दूसरे के कब्जे में तो नहीं है? अगर पहले

Page No.22

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दूसरे के कब्जे में है तो क्यों एलॉट करती है ? बेकार झगड़ा होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : देखना चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्यों नहीं देखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन कहता है कि देखती नहीं है। मैं कहता हूं कि देखना चाहिए और देखती है। मैंने मन्जूर नहीं किया है कि एलॉटमेंट हुआ है। यह तो माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं कि एलॉट-मेंट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एलॉटमेंट कमेटी ने जमीन एलॉट नहीं की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे जो मालूम था वह मैंने जवाब के अन्दर स्पष्ट कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एलॉटमेंट कमेटी ने इनको जमीन एलॉट की थी और जमीन का पजेशन दिलाने के लिए तहसील को आदेश दिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसको ?

श्री भैरोंसिंह : इन हरिजनों को।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन हरि-जन ? स्पेसिफिक बताइये कौन हरिजन हैं ?

श्री भैरोंसिंह : नाम तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन जिन्होंने सरकार के खिलाफ पर्चे निकलवाये थे उनमें यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि अलॉटमेंट कमेटी ने जमीन एलॉट की है और तहसीलदार ने आॅर्डर दे दिया है कि पज़ेशन दे दिया जाय। उसके बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के आॅर्डर से जमीन नहीं मिल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : पर्चों में यह सब छापा गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्चे तो कोई भी छपा सकता है। I hardly take any notice of it.

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि गलत पर्चे छपवाये तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई कन्ट्राडिक्शन निकलवाया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसे पर्चे तो रोज ही छपते रहते हैं। इनका नोटिस नहीं लिया जा सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और एलॉटमेंट होने के बाद भी कब्जा नहीं मिलता है और दूसरे लोग कब्जा कर रखते हैं तो टिनेन्सी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि उनको ट्रेसपासर घोषित करें। सरकार का यह फर्ज है कि वह पज़ेशन दिलवाये, जिनको एलॉटमेंट किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : समझ में नहीं आता है कि फर्ज उनका है कि जो जमीन खाली हो उसको ही एलॉटमेंट करना चाहिए। फिर क्या बात है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसकी आप दुबारा जांच करवायेंगे ?

श्री लादूराम सुलाणिया : उस जमीन का एलॉटमेंट हो चुका है सन् ५८ में लेकिन उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है ५८ से ५६ तक, झगड़ा कर रहे हैं और कब्जा नहीं देते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अलग से सूचना देंगे। नाम, गांव आदि के पूरे डिटेल्स देंगे तो जानकारी कर सकता हूं। इस तरह की बात पर नहीं करा सकता हूं कि एन्क्वायरी करायेंगे। इन्डेफिनिट बात पर इन्क्वायरी नहीं कर सकता हूं। जब तक कोई डेफिनिट बात नहीं हो तब तक इन्क्वायरी नहीं कर सकता हूँ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं डेफिनिट बात पेश करूंगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, हां तब कराऊंगा ।

तहसील फुलेरा के हेड क्वार्टर से मुख्य गांवों को सड़क द्वारा जोड़ना

६८४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister in-charge of P. W. D. (B. &. R.) be pleased to state :-

(1) Is it correct that the Tehsil Head uarters at Phulera is not connected by road with any of the following important villages which lie almost on a straight line :-

(i) Badhal	Population	8,000
(ii) Renwal	„	9,000
(iii) Hingoonia	Population	3,000
(iv) Bhojpura	„	1,500
(v) Mandabhimsingh.	„	2,000
(vi) Khandel	„	1,000

(2) If so, has the Government any scheme to connect these villages by a road with Phulera or otherwise ? When does the Government propose to take up such a scheme of road construction ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : Yes. The direct road connecting these villages with Tehsil headquarter Phulera has not so far been sanctioned during the 2nd Five Year Plan. Nothing can be said at this stage for including it in the 3rd Plan.

प्रश्न संख्या ६८६

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

उद्योग एस्टेट्स

६५४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(1) How many Industrial Estates have been started in the State so for and how many more the State Government want to start during the

Page No.24

(श्री पी. के. चौधरी)

Plan period ? Please state the places of location of these estates and what are the facilities made available to the enterprisers in these estates ?

(2) What is the extent of accomodation in each of these estates and how far the available accomodation has been utilised in each of them ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इसी सत्र के अन्दर पहले भी जवाब दिया जा चुका है, फिर भी माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो देने को तैयार हूं :

(1) Three industrial Estates at Jaipur. 11 more are proposed to be started by the end of Seeond Five Year Plan. These Estates will be located at kota, Udaipur, Shri Ganganagar, Bharatpur, Jodhpur, Sumerpur, Bikaner, Alwar, Pali, Dholpur & Gangapur. The work on four Industrial Estate i. e. Kotah, Jodhpur, GangaNagar and Bharatpur has started. The facilities available to the enterpreneurs are as under :-

1. Ready built factory space at reasonable rent.

2. Availability of power and water at reasonable rate.

3. Facility for Road and /or Rail Transport.

4. Provision for raw material at controlled rates.

5. Assistance in the import of machinery and raw-material and in the supply of machinery on hire-Purchase basis.

6. Provision of Post Offices, Banks and Common Facility Services.

2. The extent of Accomodation in each estate will be as follows :-

	Factory Sheds & other Ancilliary Building.	
1. Jaipnr.	64.	,,
2. Bhilwara.	30.	,,
3. Makhupura.	30.	,,
4. Kotah.	44.	,,
5. Jodhpur.	44.	,,
6. Sri Ganganagar.	44.	,,
7. Bharatpur.	44.	,,
8. Udaipur	36	,,
9. Sumerpur	30	,,
10. Bikaner	26	,,
11. Alwar.	36.	,,
12. Dholpur	30	,,
13. Pali	30	,,
14. Gangapur.	30	,,

श्री पी० के० चौधरी : क्या सभी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स में पॉवर सप्लाई करने का इन्तजाम कर दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जयपुर के एस्टेट्स के लिये पॉवर का इन्तजाम है,

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मौखूपुरा के लिये अजमेर पॉवर हाउस को रुपये दे दिये गये हैं, वे ले आउट कर रहे हैं। भीलवाड़ा में इन्तजाम है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : भरतपुर में क्या तरक्की हुई है शिलान्यास के बाद ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नींव वगैरह खोदने का काम हो रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जयपुर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन्स नहीं दिये गये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमारे पास पॉवर सप्लाई काफी है। फिटिंग वगैरह तैयार हो रहे हैं, तैयार होते ही कनेक्शन दे दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि तैयार हो गये हैं, फिर भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई शिकायत नहीं है. कि जिनके तैयार हो गये हैं उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। नये एस्टेट्स हैं उनके लिये कार्यवाही जारी है।

ग्राम टोडा ठेकला, तहसील लालसोट में अग्नि दुर्घटना से पीड़ित परिवारों को सहायता

६६०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) तहसील लालसोट के ग्राम टोडा ठेकला के कितने घर पिछले वर्ष आग में जले ?

(ख) क्या यह सही है कि इन लोगों को सहायता कुछ सरकारी दरख्त काटने की सुविधा के रूप में दी गई ? यदि हां, तो कितने ?

(ग) जो पेड़ काटे गए उनमें हरे कितने थे और सूखे कितने ?

(घ) क्या यह सही है कि बहुत से दूसरे खातेदारी के पेड़ इन लोगों को कटवा दिए गए जिनकी शिकायत इन खातेदारों ने तहसील में की, जिस पर डील ने यह रिपोर्ट की कि ये पेड़ जबरदस्ती पटेलों द्वारा काटे गये हैं ? इन शिकायतों पर तहसील ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) आठ खान व चार छप्पर जले।

(ख) तहसील द्वारा किसी तरह की सहायता नहीं दी गई न कोई आज्ञा दरख्त काटने को दी गई।

(ग) तहसील की आज्ञा से कोई पेड़ नहीं काटे गये।

(घ) तहसील द्वारा कोई पेड़ न तो कटवाये गये और न काटने की इजाजत दी गई। खातेदारान ने कोई शिकायत इस विषय में तहसील में नहीं की। रिपोर्ट डील पर तहसील में मुकदमा जरूर बना है जिसमें आगामी ता० १६-३-६० नियुक्त थी।

Page No.26

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तहसील में सहायता नहीं दी तो क्या हुआ, मैंने सरकारी सहायता के बारे में पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पहला सवाल पूछा, "तहसील लालसोट के पास टोडा ठेकला के कितने घर पिछले वर्ष आग में जले ?" मैंने जबाब दिया, "आठ छान व चार छप्पर"। दूसरा सवाल आपने पूछा "क्या यह सही है कि इन लोगों को सहायता कुछ सरकारी दरख्त काटने की सुविधा के रूप में दी गई; यदि हां, तो कितने ?" इसके जबाब में मैंने इन्कार किया।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

जिला जालोर व बाड़मेर की गलती से पुनर्ग्रहित छोटी जागीरों के लगान की वसूली एवं वापिस अदायगी

६६८. **श्री अनूपसिंह** [बालोतरा-रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) जिला जालोर व बाड़मेर में ऐसे कितने छोटे जागीरदार हैं जिनको बड़ी जागीर के पुनर्ग्रहण के समय गलती से रिज्यूम कर लिया गया ?

(ख) क्या ऐसी छोटी जागीरों का लगान सरकार ने वसूल कर लिया ? यदि हां, तो क्या वह वसूल किया लगान लौटाया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जिला जालोर व बाड़मेर की छोटी जागीरों में से कुछ को भूल से बड़ी जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय पुनर्ग्रहीत कर लिया गया था।

(ख) जिला जालोर में ८६ ऐसी जागीरों का लगान तहसीलदार ने वसूल किया था जिनमें से कुछ का वापिस करने का आदेश हो चुका है, बाकी की कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

भाखरा नहर क्षेत्र की जमीन का तबादला

६७३. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) भाखरा नहर क्षेत्र में गंगानगर ज़िले की नोहर और भादरा तहसीलों में कितनी जमीन किन किन गांवों में और किन किन व्यक्तियों के नाम से तबदील की गई है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या उपरोक्त तबादलों में से जोहड़-पायतन में भी किसी रकवे का तबादला किया गया है ? अगर हां तो किन किन गांवों में किन किन व्यक्तियों के नाम से है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या इसमें कानून या नियम का

(श्री रामकिशन)

उल्लंघन नहीं किया गया है, जब कि केबिनेट मीटिंग हनुमानगढ़ दिनांक २६-६-५७ में यह तय हो चुका था कि भाखरा नहर बारहमासी होने पर ही जोहड़-पायतन की जमीन नीलाम की जावे ? अगर हां, तो जोहड़ पायतन में लोगों की जमीन के तबादले क्यों किये गये ?

(४) ऐसे जमीन के गलत तबादले करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आ सका है इसलिये आयन्दा तारीख पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसिंह।

(अनुपस्थित)

सन् १९५९ में भरतपुर जिले के हरिजनों के निवास स्थानों में अग्नि दुर्घटना

९८२. श्री गोवर्धनसिंह [बयाना-सु०- डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(क) भरतपुर जिले में सन् १९५९ से अब तक कितने हरिजनों के निवास स्थान अग्निकांड के शिकार हुए हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या सरकार ने इन हरिजनों को कोई सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी। नुकसान कितना कितना व किस किसका हुआ ? नामवार व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) कितने ग्रामों को सहायता नहीं दी गई तथा क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) समाज कल्याण विभाग की प्राप्त सूचना के अनुसार भरतपुर जिले में सन् १९५९ से अब तक जिन हरिजनों के निवास स्थान अग्निकांड के शिकार हुए, उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	ग्राम	तहसील	परिवार संख्या
१.	नियामपुर	बैर	३५
२.	बेझरा	नदबई	१६
३.	पालीडांग	बयाना	३८
४.	घरसीनी	बैर	२७

पूरे विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ग्राम पालीडांग और घरसीनी के हरिजनों को प्रावधान की कमी के कारण सहायता नहीं दी जा सकी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा सहायता दी जाने के लिये पंचायत समितियों को सरकार द्वारा कोई रकम एलॉट नहीं की गई है ?

Page No.28

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है; पंचायत समितियों को क्या २ एलॉट किया गया है और क्या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

कार्य-सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उससे सहमति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति (बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी) के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिवेदन के अन्दर गैर सरकारी बिल के बारे में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : There cannot be any point of order when nothing has been moved. जो अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं वह कौनसा अमेंडमेंट है, यह सर्कुलेट हुआ नहीं है, ऐसी दशा में कोई अमेंडमेंट मूव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : Oral amendments can be moved with the permission of the Chair.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओरल अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, शायद सहमत हो जावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम ऐसा चान्स नहीं देना चाहते हैं। No amendment can be moved. This has been the ruling of the Chair.

श्री भैरोंसिंह : इस स्थिति में जब कि कोई एमर्जेन्सी एराइज़ नहीं हो जाय तब तक इस प्रकार से अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता। असाधारण स्थिति में अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वे यदि आज्ञा दे दें तो दूसरे सदस्यों को भी उस पर बोलने का मौका होता है। ऐसी स्थिति में जब कि उन्होंने लिखित में नोटिस नहीं दिया है, सर्कुलेट नहीं हुआ है, अमेंडमेंट कैसे मूव कर सकते हैं?

श्री आबिदअली : The Chair can accept verbal amendment also.

श्री श्रीभानसिंह : The Chair can accept an amendment at short notice and orally also. It is in the rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस बात का है कि जिस बारे में अमेंडमेंट मूव करना हो उसके लिये प्रोसीजर है कि नोटिस दें। उन्होंने नोटिस दिया नहीं है, इसलिये ओरल मूव करने का सवाल पैदा नहीं होता !

श्री भैरोंसिंह : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष, जो हाउस के भी अध्यक्ष होते हैं, के सभापतित्व में होती है। उसके सम्बन्ध में कोई भी अमेंडमेंट होता है, वह तब तक मूव नहीं हो सकता जब तक कि अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति नहीं ले लें। इसमें अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में कोई अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता।

श्री आबिदअली : But a chance must be given to the Hon'ble member to explain the cricumstances under which amendment may be moved.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं स्पष्टीकरण कर दूं। दफा २१५ में प्रोविज़न इस प्रकार है :

"At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report..."

श्री भैरोंसिंह : आपकी कन्सेन्ट हो गई क्या अमेंडमेंट के बारे में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am addressing the Chair.

१२ म.

श्री भैरोंसिंह : आपकी कन्सेन्ट हो गई क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २१५ में प्रोविज़न है : "At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report" और इसमें प्रोवीजन दिया हुआ है : "Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matters..."

So this is provided in the Rules.

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स की मुझे जानकारी है, मैंने रूल्स पढे हैं। मैंने रूल आपको पढ़ कर सुनाया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं रूल्स की जानकारी आपको कराने के लिए बता दूँ कि जो प्रावधान नोटिस देने का है, अमेंडमेंट मूव करने का, उसमें साधारण मोशन मूव किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट या रिज़ोल्यूशन का नहीं है। उसके लिए रूल बना हुआ है कि दो दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही सदन में पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में कल बैठक हुई थी और आज प्रतिवेदन पेश किया गया। ऐसी स्थिति में हाउस में अचानक संशोधन नहीं आ सकता।

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

संशोधन उस हालत में आ सकता है, जब संशोधन प्रोपरली मेम्बर्स में सरक्यूलेट होता, तो उसे प्रोपर माना जा सकता था।

श्री अध्यक्ष : Let us hear what the Hon'ble member has to say.

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तक जो अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं, उसका नोटिस माननीय अध्यक्ष महोदय को भी नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : Well, I have not permitted the amendment.

श्री भैरोंसिंह : अभी मूव किया जा रहा है, उन्होंने इस आपत्ति के आने के बाद लिखा है और सदन की मेज पर प्रस्तुत किया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): नई परम्परा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रतिवेदन में गैर सरकारी कार्य के लिए समय का बंटवारा किया गया है। उसके सम्बन्ध में मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ....

श्री भैरोंसिंह : संशोधन मूव करने की इजाजत दे दी क्या ?

श्री अध्यक्ष : No, no. He has not been permitted.

श्री भैरोंसिंह : आपको आज्ञा नहीं गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): He is addressing the Chair...

श्री अध्यक्ष : Since I have asked the Hon'ble Member whatever he wants to say...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान समाज शिक्षण विधेयक, १६५८ के लिए दो घंटे की सीमा इसमें निर्धारित की गई है....

श्री भैरोंसिंह : यह अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : No, no. He is not. केवल कहने से अमेंडमेंट मूव नहीं माना जायेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और इसके बाद प्रस्ताव है नाथ द्वारा टेम्पल बोर्ड को भंग करने के सम्बन्ध में।

श्री भैरोंसिंह : अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी मैंने मूव नहीं किया है, मैं अभी बता रहा हूं।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हिन्दुस्तान में अपनी किस्म का बिल है। इसलिए जो सीमा दो घंटे की रखी है, वह कम रखी है। इसलिए इसके लिए समय की सीमा नहीं रहनी चाहिए, इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए, ताकि पूरी चर्चा हो सके। मेरे संशोधन का यह मतलब है। आपकी अनुमति हो तो मैं मूव कर दूँ।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने बिल पेश किया है, वे हैं नहीं और शायद

Page No.31

(श्री अध्यक्ष)

कल भी हों या न हों, यह सदन आपके संशोधन को मान ले....

श्री राम प्रसाद लड्ढा: वे १५ तारीख को आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय सलाहकार समिति के समक्ष यह प्रश्न था उस समय सत्तारूढ़ पार्टी के व्हिप ने ऑब्जेक्शन किया था इस बिल के सम्बन्ध में। इस बिल के प्रति कितने पर्टिक्यूलर हैं, यह इससे मालूम होता है। पर्टिक्यूलर इस बात के लिए हैं कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड का मसला डिस्कस न हो जाय और कुछ गम्भीर विषय जो छिपे हुए हैं उनकी जानकारी न मिल जाये।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं माननी चाहिए।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : बिल पेश करने वाले माननीय सदस्य आ रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उस समय तक के लिए सदन स्थगित हो जाय ?

श्री अध्यक्ष : Well, since you don't have any motion, it is not permitted to be moved. जिस रूल का हवाला दिया गया है उसमें लिखा है कि रिपोर्ट पेश होने के बाद मोशन मूव किया जा सकता है। वह मोशन अन्य मोशन्स से भिन्न नहीं है, जिसके लिए नोटिस की आवश्यकता होती है, इसलिए उस केटेगरी में आता है।

(करतल-ध्वनि)

उस मोशन के लिए नोटिस की आवश्यकता है और ऐसी कोई परिस्थिति है भी नहीं जिसके लिए रूल्स को रिलेक्स किया जाय, इसलिए अमेंडमेंट मूव करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

(करतल-ध्वनि)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है कि हमें यह रिपोर्ट कुछ घंटे पहले ही मिलती है तो नोटिस कैसे दे सकते हैं ? हमें इतना टाइम मिलना चाहिए जिससे संशोधन दे सकें, उसके लिए टाइम रहे। यह व्यवस्था भी हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : रात के १० बजे यह सरक्युलेट होती है...

डॉ० चन्द्रकला : दो दिन पहले नोटिस देना सम्भव नहीं होता। इसलिए इतने टाइम पहले रिपोर्ट पेश होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग कल ही हुई, तो यह रिपोर्ट कल ही पहुंच सकती थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूं कि जो बात माननीय सदस्यों ने उठाई है और अपील की है कि रिपोर्ट टाइम लिमिट से पहले मिलनी चाहिए; माननीय सदस्यों के पास यह रात के १० बजे पहुंचे, यह ठीक नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : There has been Ruling from the Chair. It does not need any discussion.

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह उचित बात है कि सामान्यतया ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे अमेंडमेंट मूव करने की आज्ञा नहीं दी जाय। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें १५ तारीख का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया था। सरकार की तरफ से कुछ हेर-फेर की मांग की गई और कल ही मीटिंग करके कुछ चेंजेज़ की गईं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी परिस्थिति हर समय हो सकती है। सरकार द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद ऐसी परिस्थिति हुई, और किसी कारण से नहीं। सामान्यतया जो बात आपने कही है, इसके लिए काफी समय मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सरकार हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और ऐन मौके पर चेंज नहीं करायेगी और हम, हमारे से जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करेंगे जिससे सदन का कार्यक्रम समय पर निर्धारित किया जा सके।

(करतल-ध्वनि)

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा निवेदन यह है कि रूल २१५ में यह है....

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में रूलिंग हो चुकी है।

श्री श्रीभानसिंह: ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, रूलिंग यह हुई है कि इस तरह का अमेंडमेंट दिया है वह किया जा सकता है या नहीं। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह अमेंडमेंट नहीं है। जिस रूल को वे कोट कर रहे हैं, यह किया जा सकता है whether the House approves or disapproves of the Business Advisory Committee's report. यह अमेंडमेंट नहीं है, जिससे एप्रूवल या डिसएप्रूवल हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ने क्वेश्चन पुट कर रखा है, आप अपनी डिसएप्रूवल जाहिर कर दीजिये, कह दीजिये ना।

डॉ० बहादुरसिंह : उस रूल के अन्तर्गत यह मोशन आ सकता है...

श्री श्रीभानसिंह : जो रूल २१८ है वह पढ़ दें, उससे क्लियर हो जायगा। रूल को पढ़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : रूल किसके लिए पढ़ा जाय, for what purpose the rules should be quoted ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में था, इसलिए मैं कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। रूल २१८ कहता है 'with the consent of the Speaker,' whether the Report of the Business Advisory Committee is accepted by the House or not. Second alternative left for the House is, when the report is presented, one can make a motion without due notice that it can be referred back to the same Business Advisory Committee. यह दो पोज़ीशन्स हैं, थर्ड पोज़ीशन हाउस के सामने आती है, वह समय जब आता है, जब टाइम ऑल्टर किया जाता है। हाउस के अन्दर वह टाइम ऑल्टर तब किया जा सकता है, जबकि अध्यक्ष की परमिशन ले ली हो। यह २१८ के अन्दर है। रूल नम्बर २१८ में माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट दिया, वह पेश नहीं कर सकते। आप २१५ में मोशन कर रहे हैं, amendment may be moved that the

(श्री श्रीभानसिंह)

Report be referred back to the same committee. Either the House a pproves or disapproves, this amendment can be made as soon as the Report is presented to the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल २१८ में, माननीय अध्यक्ष, यह बात साफ लिखी हुई है : "No variation in the allocation of time order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House. और इसमें मोशन के लिए लिखा है, टाइम वेरिएशन चाहते हैं, वहां भी लिखा हुआ है। २१५ रूल पढ़ा उस कमेटी को वापिस रेफर करने के लिए, उसमें भी लिखा है: "provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matters:" उसमें भी अमेंडमेंट मूव करने का सवाल है, इसमें भी अमेंडमेंट मूव करने का सवाल है, ये दोनों मोशन हो नहीं सकते, तो यह प्रश्न खड़ा हो नहीं सकता। अब जो मोशन हाउस के सामने है, उसमें एग्री कर दीजिये या डिसएग्री कर दीजिये। आप चाहें तो ना कह दीजिये ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): २१५ में क्लिअर है कि जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कोई चेंज करने के लिए प्रस्ताव करें, जो रिपोर्ट है उसको बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी को वापिस रेफर कर दिया जाय, इसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार का अमेंडमेंट नहीं है ...

श्री भैरोंसिंह : On a point of order......

श्री श्रीभानसिंह : The Chair cannot take a point of order on a point of order.

श्री भैरोंसिंह : I have my own point of order...मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, अध्यक्ष महोदय, कि एक प्रस्ताव सदन के सामने मत देने के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है वह सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में आपत्ति है, उस सम्बन्ध में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर या रूल का हवाला दिया जा सकता है। जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट स्वीकार किया जाय या नहीं, इस प्रकार कोई संशोधन मूव करने का, या संशोधन करने का प्रावधान रूल्स के अन्तर्गत आता नहीं, इसलिए नहीं किया जा सकता। अब यह सवाल है कि जो प्रस्ताव है उस पर वोट दिया जाय। तो अगर माननीय सदस्य डिसएप्रूव करते हैं तो जो माननीय बद्रीप्रसादजी ने प्रस्ताव रखा है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिये, जो कि उनके अन्दर नो-कोन्फीडेन्स जाहिर करना है, या आप चाहें तो एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन, जिसमें उसके सभापति अध्यक्ष महोदय हैं, उस प्रतिवेदन में संशोधन होता है तो अध्यक्ष के प्रति अविश्वास होता है।

('नहीं, नहीं' की आवाज एवं व्यवधान)

Page No.34

श्री चन्दनमल वैद : माननीन अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव नहीं किया जा सकता कि यह बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाथद्वारा के नाम से पेट में दर्द क्यों होने लगता है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं निवेदन करूं कि दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो अमेंडमेंट के लिए और दूसरे सब्स्टीट्यूशन के लिये। वे दोनों तरह के अमेंडमेंट होते हैं, जिनके लिए नोटिस चाहिये। पर किसी कारण से डिसएप्रूव करते हैं तो इसे अमेंडमेंट के तौर पर नहीं माना जा सकता, ...

श्री अध्यक्ष: इसलिये मैंने पहले व्यवस्था दी, वह इसको भी कवर करती है।

श्री आबिदअली : At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या रखा है ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! हां, आप कहिये।

श्री आबिदअली : It says that at any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report...

२१५ का क्लॉज़ है वह बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के लिये ही कहता है : after the report is presented at any time, a motion may be moved...

श्री अध्यक्ष : That is true but where does it say that the motion is excluded by presentation of notice ? That is the question...

श्री आबिदअली : इसमें लिमिटेशन इम्पोज़ नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : वे कन्डीशन्स सब पर इम्पोज्ड हैं।

श्री आबिदअली : अमेंडमेंट मूव करने के लिये अलग क्लॉज मौजूद है, ऐसी सूरत में प्रोविज़ो देने की जरूरत नहीं थी। There was no need then to insert the proviso here. प्रोविज़ो एड किया है तो स्पेसिफिक इसके लिये रखा है।

श्री अध्यक्ष : मोशन को प्रेजेन्ट करने के लिये सेपरेट प्रोविजन है। यह भी मोशन है, इसके लिये सेपरेट चाहिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : There has been a Ruling from the Chair, we cannot possibly discuss it now.

श्री श्रीभानसिंह : वे रूल्स हैं...

श्री आबिदअली : अध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि मोशन मूव करने के लिये सेपरेट प्रोविज़न है तो २१५ में सेपरेट प्रोविज़ो जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, जोड़ दिया है तो विशेषता आ गई है कि २१५ में मोशन मूव किया जायगा। सेपरेट क्लॉज़ अमेंडमेंट का

Page No.35

(श्री आबिदअली)

है उसी में कवर हो जाता तो २१५ में प्रोविजो एड़ करने की जरूरत नहीं होती । There is no need to insert this in clause 215. अगर इसी में कवर हो जाता तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दी अंग्रेजी में बराबर है, फिर एक बार हिन्दी व एक बार अंग्रेजी में बोलने की क्या जरूरत है ?

श्री आबिदअली : इसलिये २१५ को इन्डिपेन्डेन्टली ट्रीट किया जाय ' विदाउट नोटिस ' २१५ में प्रोवीज़ो है उसके अनुसार इसके लिये दुबारा प्रस्ताव कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि यह मोशन और दूसरे मोशन एक ही केटेगरी में आते हैं, any way I have given my Ruling. प्रश्न यह है कि....

श्री श्रीभानसिंह : But, Sir, a member has a right to speak on the motion of the Business Advisory Committee's Report made by the Minister...

श्री भैरोंसिंह : There is ruling of the Speaker.

श्री श्रीभानसिंह : I am not challenging. A member has a right to speak.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है, सदन अगर नहीं चाहे तो सदन मोशन को गिरा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : You want to speak on this ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : मोशन रख दिया है अब कोई बोल नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष : That is what we have been discussing all this time प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(करतल-ध्वनि)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० क्लॉज १६-इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं । प्रश्न यह है कि....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय,निगेटिव होने की वजह से....

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं ? बोलिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ में है : " The State Government may at any time for reasons to be recorded in writing, withdraw, by notification in the Official Gazette, any of the matters specified in the 3rd Schedule

(श्री सोहनलाल भटनागर)

from the duties of any Panchayat." तो मेरे ख्याल से शिड्यूल पार्ट ऑफ दी एक्ट होता है। क्या क्या फंक्शन्स हैं, यह तो बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज़ है। इसको गजट में नोटिफ़िकेशन देकर किसी को हटा देने का अधिकार देना ठीक नहीं। शिड्यूल की किसी चीज को हटाना एक्ट के प्रोविज़न्स को हटाने के बराबर है। मन्त्री महोदय देखेंगे कि इस पॉवर को रखने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों को हम अधिक से अधिक ताकत देना चाहते हैं, फिर गवर्नमेंट अपने हाथ में इस प्रकार के अधिकार ले लें कि पंचायतों को जो कार्य, जो अधिकार, पॉवर्स दी हुई हैं उनको विथड्रॉ कर ले तो यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसके बारे में बोलना चाहेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचयात मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं इससे सहमत नहीं हूं और चाहता हूं कि यह क्लॉज़ पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) :

[क्लॉज़ १७ पर श्री रामप्रसाद लड्ढा का एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

35. The proposed clause 17 be renumbered as 17A and new clause 17 be added as follows :-

"17. Amendment of section 26, Rajasthan Act 21 of 1953 :-

The words 'obligatory and discretionary' occurring in sub-section (1) of section 26 of the principal Act be omitted."]

अध्यक्ष महोदय, पहले ग्राम पंचायत एक्ट में जो पंचायतों के फंक्शन्स थे वे डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी दोनों प्रकार के थे। ऑब्लिगेटरी की धारा २४ और डिस्क्रिशनरी फंक्शन्स की धारा २५ थी। इस नये अमेंडमेन्ट बिल से पंचायत के डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शन्स जैसी कोई चीज नहीं रही, सब डिस्क्रिशनरी हो गये हैं। इसी तरह २४ और २५ दफा के फंक्शन्स थे वे शिड्यूल में आ गये हैं।

दफा २६ जिसमें शब्द 'डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी' आते हैं वे ज्यों के त्यों ही भूल से रह गये हैं। अब डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शन्स जैसी कोई चीज नहीं रही, इसलिये मूल एक्ट की दफा २६ में एक जगह शब्द डिस्क्रिशनरी और 'प्रोहिबिटरी' दिये हैं, इनको उड़ा दिया जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूँ, वास्तव में यह कमी रह गई थी।

Page No.37

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लढ्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ व क्लॉज १७ ए विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १७ और १७ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १८, श्री शंकरलाल।

[इस खण्ड पर निम्न सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री शंकरलाल

36. In the proposed section 27A–

(i) Delete the word 'or' occurring at the end of clause (a) of sub-section (1),

(ii) delete clauses (b) and (c) of sub-section (1),

(iii) the following new sub-section (3) be added :-

'(3) The Zila Parishad may for purpose of satisfying itself as to the correctness, legality and propriety of any order passed under this Act in Administrative matters by a panchayat from which no appeal lies under section 26A and any order passed by a Panchayat Samiti in administrative matters under section 26A, or otherwise call for and examine the connected records and may confirm, vary or rescind such order.'

श्री दयाकृष्ण विजय :—

37. In the proposed section 27A—

(i) delete clauses (b) and (c) of sub-section (1),

(ii) add the following new sub-section (3) :—

'(3) The Zila Parishad may, for the purposes of satisfying itself as to the correctness, legality and propriety of--

(a) any order passed by the Panchayat Samiti in Administrative matters under section 26A or otherwise, or

(b) any order passed under this Act in Administrative matters by a Panchayat from which no appeal lies under section 26A,

call for and examine the connected records and may confirm, vary or rescind such order.'

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल में जो यह अमेंडमेंट हमारे सामने है और इसमें क्लॉज़ १८ के जरिये मूल एक्ट में धारा २७ ए का प्रावधान रखा गया है, मैं समझता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है

(श्री शंकरलाल)

और इसके लिये गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान के जरिये राजस्थान सरकार ने पंचायतों, पंचायत समितियों और कलेक्टर के एग्ज़ीक्युटिव निर्णयों के रेकॉर्ड को अपने पास मंगा कर फैसला करने का प्रावधान रखा है।

'The State Government may for the purpose of satisying itself as to the correctness, legality and propriety of—

(a) any order passed by the Collector or the officer in charge of panchayats under any provision of this Act, or

(b) any order passed by a panchayat samiti in administrative matters under sec. 26A or otherwise, or

(c) any order passed under this Act in administrative matters by a panchayat from which no appeal lies under section 26A,

call for and examine the connected records and may confirm, vary or resci nd such order...'

अध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान के जरिये पंचायतों का कोई आदेश या आज्ञा किसी की कोई अपील का प्रावधान नहीं है या पंचायत समिति या कलेक्टर की आज्ञा, इन तीनों आज्ञाओं के लिये राज्य सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि उनका रेकॉर्ड राज्य सरकार तलब कर सकती है और उनके हुक्म को बदल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतें और जिला परिषद् और पंचायत समिति के तीन प्रकार के कार्य हैं। एक विकास का और दूसरा एग्ज़िक्युटिव; यानि प्रशासन का और तीसरा न्याय का। ये न्याय पंचायतें अलग कायम करने जा रहे हैं वह न्याय की पंचायतें होंगी। जहां पर एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर का संबन्ध है, पंचायतों का और पंचायत समिति का या कलेक्टर के ये तीनों प्रकार के ऑर्डर के अधिकार डाइरेक्टली सरकार अपने अधीन लेना चाहती है। इसलिये मैंने इसमें यह संशोधन रखा है कि जहां तक कलेक्टर द्वारा जारी किये हुए कानून या आदेश की बात है वहां तक यह ठीक है। लेकिन आपने यह रखा है कि पंचायत, जिला परिषद् आदि से पंचायत समिति से सरकार सीधा रेकॉर्ड मंगा कर उनके ऑर्डर को रद्द कर सकती है, यह कहां तक उचित है? इसके लिये मुझे एतराज है और इसीलिये मैंने यह अपना संशोधन रखा है:

"Delete the word 'or' occurring at the end of clause (a) of sub-section (1).

(ii) delete clauses (b) and (c) of sub-section (1),

(iii) the follwing new sub-section (3) be added :-

'(3) The Zila Parishad may for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality and propriety of any order passed under this Act in Administrative matters by a Panchayat from which no appeal lies under section 26A and any order passed by a Panchayat Samiti in administrative matters under section

(श्री शंकरलाल)

26A or otherwise call for and examine the connected records and may confirm, vary or rescind such order."

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के ऑर्डर की अपील पंचायत समिति में होनी चाहिये। मगर फिर भी अगर किसी ऑर्डर की अपील पंचायत समिति में नहीं हो सकती है तो उस ऑर्डर के लिये सीधो राज्य सरकार फाइल मंगा कर उस पर निर्णय करेगी। मैं यह कहूंगा कि पहले तो पंचायत समिति के पास जानी चाहिये और अगर आप यह चाहें कि पंचायत समिति के पास न जाए तो जिला परिषद् है उसके पास जानी चाहिये। मगर इन दोनों के पास न जाकर आपने सीधा यह रखा है कि वह सरकार के पास जावेगी। मैं नहीं समझता कि यह किस प्रकार का लोकतन्त्र है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो कानून विकेन्द्रीकरण के लिये बनाये गये उनको वापिस उनसे छीनना चाहते हैं। पंचायतों का कोई हुक्म हो उसके लिये पंचायत समिति में अपील की गुंजाइश नहीं है मगर वह सीधा सरकार के पास जावेगा। आपने पंचायत समिति और जिला परिषदें क्यों बनाई हैं? आपने यह बताया है कि पंचायतों पर पंचायत समितियों का और पंचायत समितियों पर जिला परिषद का सुपरविज़न होगा। जब हमने पंचायत व जिला परिषद एक्ट द्वारा अधिकार दे रखे हैं कि पंचायत और पंचायत समितियों पर वह अपना सुपरविज़न रखे तो सरकार किस प्रकार से उनके आदेशों को सीधा अपने पास ले सकती है? यह सिद्धान्त गलत है और दूसरी बात यह भी है कि जनता को इससे बड़ी तकलीफ होगी। मानलें कि किसी पंचायत ने गलत ऑर्डर दे दिया। वह पंचायत समिति में नहीं जा सकता, जिला परिषद में नहीं जा सकता, वह इस प्रावधान के जरिये सीधा सरकार के पास जावेगा। समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या राज है? मैं तो यह समझता हूं कि यह न्यायत: और सिद्धान्ततया बिल्कुल विपरीत प्रावधान है। पंचायत समिति में दूसरे मामलों की अपील होगी, इस प्रकार का विधान पंचायत समिति में है। ऐसे मामलों में जिसमें कोई प्रावधान नहीं था इसलिये सरकार ने यह चाहा है कि २६ (ए) के अनुसार आज्ञा पास की जावे:

"any order passed by a panchayat samiti in administrative matters under section 26A or otherwise, or..."

चाहे किसी भी पंचायत समिति का हुक्म पास किया हो उसको राज्य सरकार तलब कर सकती है और बदल सकती है। मैं समझता हूं कि जिला परिषद फिर किस काम के लिये है? पंचायतों को अधिकार नहीं, तो पंचायत समिति को अधिकार नहीं, जिला परिषद को अधिकार नहीं तो सारे अधिकार आप अपने पास रखते हैं तो फिर जिला परिषद किस लिये है। इसलिये मैंने यह रखा है कि पंचायतों की अपील पंचायत समितियों में नहीं होती है उसके आदेशों को रद्द करने और रेकॉर्ड तलब करने का अधिकार जिला परिषद को रहना चाहिये। इसी प्रकार पंचायत समिति द्वारा जो जो आज्ञाएं जारी की जावें और जिनकी अपील नहीं होती हैं, २६ (ए) के अनुसार पहले जिला परिषद में जानी चाहिये। वास्तव में कलेक्टर की आज्ञा हो उसको सरकार के पास जाना चाहिये। एक तरफ हम यह नारे लगाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन करते हैं और पंचायतों, जिला परिषदों व पंचायत

(श्री शंकरलाल)

समितियों को अधिकार देते हैं और यह चाहते हैं कि पंचायतों व पंचायत समितियों पर जिला परिषद् सुपरविज़न रखे और मामूली आदेश होगा उसके रिविज़न और अपील का पॉवर सरकार अपने पास रखती है और जिला परिषद को बीच में से हटाया जाता है, यह उचित नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा कारण है और सरकार के सामने कौन सी दिक्कत है जिसके कारण सरकार अपने पास रेकॉर्ड मंगाना चाहती है? जब हमने पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में इन दो बॉडीज़ को पॉवर दिये हैं वे इस प्रावधान के जरिये वापिस ले रहे हैं। जो हमने डीसेन्ट्रलाइजेशन की बात रखी है उसको हम फिर से सेन्ट्रलाइज़ करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो यह बहुत ही घोर अन्याय होगा। इसलिए मैंने यह रखा है

इसके साथ में पंचायत समिति को १६ (ए) के अनुसार जो अपीलेट ऑर्डर होते हैं उनके पॉवर्स को सरकार लेना चाहती है। एक तो इस प्रकार के ऑर्डर होते हैं जो प्रशासनिक और सुपरविज़न के होते हैं, दूसरे जुडिशियल मैटर के होते हैं। जुडिशियल मैटर के लिये आगे जब न्याय पंचायतें बनेंगी उनमें केसेज़ जावेंगे लेकिन जहां तक एग्ज़िक्युटिव मामलों का संबन्ध है उनमें ज्यादा गड़बड़ होती है और पब्लिक को ज्यादा परेशानी इसी में आती है। गांवों में जैसे चबूतरे या मकान या बाड़ें हटाने का प्रश्न होता है, ये बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे मामले बहुत होते हैं और अगर इस प्रकार के मामलों में सरकार फाइलें मंगावेगी तो मैं समझता हूं कि जनता को बहुत परेशानी होगी। पंचायत एक्ट जो ५३ में पास हुआ उसके दफ़ा ७५ में गवर्नमेंट मंगाती; उसमें हमने कलेक्टर को अधिकार दे रखे हैं, उसमें हमने बाद में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन किया है We are going to centralise these powers of revision to the Government. इसलिये मैंने यह रखा है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय हैं वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और इससे जो प्रशासनिक दिक्कतें आनेवाली हैं और लोगों को दिक्कतें होनेवाली हैं और जो पॉवर सुपरविजन का आपने रखा है वह सब इस प्रोविजन से रद्द हो जाता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : संशोधन पेश हो जावे उसके बाद।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १८ में मेरा संशोधन है। मैं अपना संशोधन इस पर प्रस्तुत करूं इसके पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतें बनाई और पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद् और इस एक्ट के तहत हम न्याय पंचायतों का निर्माण करने जा रहे हैं, इसके पीछे एक भावना यह थी कि जब तक प्रशासन विकेन्द्रित नहीं होगा हम गांव के लोगों को सुविधा नहीं देंगे, चाहे वह न्याय संबन्धी हो, चाहे प्रशासन संबन्धी हो। जहां तक गांवों के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं पहुँचेगी और गांव के लोग ही अपने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भाग्य का निर्णय नहीं करेंगे तब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। इन बातों को देखते हुये हमने देखा कि थोड़े दिनों बाद छोटी छोटी पंचायतें बनावें। जो आज पंचायतें हैं उनको भी आज बड़ी समझ रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम अधिक काम छोटे छोटे स्तर पर पंचायतों को देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि पंचायतें इस प्रकार की बनें जो अपने गांव के स्तर पर काम कर सकें। लेकिन जहां हम इस प्रकार की भावना करते हैं और भावना को लेकर चलते हैं लेकिन इन कानूनों के साथ साथ इस प्रकार के कानून नहीं उलझाए जावें जिससे मूल भावना खत्म हो जावे, जिसको हम जो सुविधा देना चाहें उसके स्थान पर और ज्यादा असुविधायें बढ़ जावें। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां छोटी पंचायतों को प्रशासन अधिकार दिया है जहां पहले उनके पास फौज़दारी और दीवानी मुकदमों का अधिकार था वे आज उनको नहीं लेंगे। अब उनके पास एक काम रहता है वह यह कि मकान किस प्रकार से बनते हैं, सड़कें, किस प्रकार अच्छी बनाई जावें आदि। जब इस प्रकार के प्रशासनिक काम ग्राम पंचायतों के पास हैं और ग्राम पंचायतें १५००, ७०० की आबादी पर थोड़ी २ जगहों पर बनाई जाती हैं तो उनको फिर से सेन्ट्रलाइज़ करें, यह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। किसी मकान की दो-चार इन्च दीवाल बिना इजाजत लेकर बना ली उसके लिए, निगरानी के लिए वह आदमी दौड़ कर जयपुर आये, राजस्थान पहले ही बहुत बड़ा प्रान्त है और इसकी सीमाओं की दृष्टि से हिन्दुस्तान के प्रान्तों में इसका तीसरा नम्बर है, ऐसी सूरत में एक आदमी के लिए जयपुर छोटे २ से काम के लिए दौड़ आना उपयुक्त नहीं है, किसी प्रकार की ग्राम पंचायत द्वारा उसके लिए गड़बड़ी हुई है, निगरानी के लिए जयपुर दौड़ आयें, यहां आकर फरियाद करें यह नामुमकिन बात है। दो-चार अंगुल जमीन को बढ़ा लिया, निर्माण कार्य कर दिया उसको इस प्रकार से यहां आकर खर्चा करना पड़े, यह उपयुक्त नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज गांवों में दलबन्दी चल रही है। आपस में एक दूसरा पक्ष झूंठे मुकदमा बना कर, बहाना बनाकर मुकदमों में ही वह उलझता है, यह उपयुक्त नहीं है। इस धारा को रख कर तो यह चेष्टा की जा रही है कि आपस में ही झगड़ते रहें और मुकदमे बाजी उनके आपस में चलती रहे और कुछ वह काम न कर पाये। जहां झूंठी दलबन्दी चल रही है, लोग परेशान हों और इस प्रकार का कानून रखें तो किसी प्रकार वह संगत नहीं है। यहां पर यह रखा गया है कि पंचायत समिति के निर्णय हों एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, निगरानी के लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास आना पड़ेगा। पंचायत अधिकारी का जो निर्णय है वह स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही मंगा सकती है और देख सकती है लेकिन छोटी २ पंचायतों के निर्णयों को यहां मंगाया जाय यह उपयुक्त नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद् के काम प्रशासनिक हैं और यह उसके देखने का है। न्याय को अलग ही कर दिया है। न्याय पंचायतें बना रहे हैं। फौजदारी के मामलों के लिए प्रावधान है कि फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास अपील होगी, दिवानी के लिए मुन्सिफ के पास जावेगा और डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी अपील की जा सकती है। जब यह तय कर दिया है तो छोटे २ मामलों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के वहां पर ही फैसले हो सकते हैं तो फिर दुबारा शिकायत करने की गुंजाइश नहीं रहती है। प्रशासनिक मामले तो आये दिन गांवों में खड़े होते ही रहते हैं जहां कि दलबन्दी से लोग शिकार हैं और इस प्रकार के झगड़ों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आज की परिस्थिति को देखते हुए उनके लिये लोगों को दौड़ कर जयपुर आना पड़े, यह न तो न्याय संगत है और न व्यवहारिक ही। मैंने इसमें संशोधन दिया है। आपने लिखा है:

"The State Government may for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality and propriety of :—

(a) any order passed by the Collector or the officer-in-charge of panchayats under any provision of this Act, or..."

यह तो ऐसे का ऐसा ही रखा जाय. बाकी (बी) (सी) सब-क्लॉजेज जो हैं उनमें यह बढ़ा दिया जाय :

"(3) The Zila Parishad may, for the purposes of satisfying itself as to the correctness legality & propriety of:

a) any order passed by the Panchayat Samiti in administrative matters under section 26A or otherwise, or

(b) any order passed under this Act in administrative matters by a Panchayat from which no appeal lies under section 26 A.

call for and examine the connected records and may confirm, vary or rescind such order."

इससे क्या होगा कि जो जिला परिषदें हैं वहां आकर सारे प्रशासन के मामलों के फैसले हों। पंचायतों के या पंचायत समिति के ऑर्डर्स हैं उनके फैसलों की अपील यहां दायर हो। इससे लोगों को अधिक समय भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और सस्ता न्याय भी मिल सकेगा। यह उनके लिए आसान रहेगा।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषद् का कोई विशेष काम नहीं है। यह ऐसी बॉडी है जिसकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं हो रही है। हम यह चाहते हैं कि यह बॉडी बनी रहे प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए। देख-रेख और निगरानी के काम हैं उनके सुपुर्द करना चाहिये। इसलिए संशोधन रखा है कि जिला परिषद् को अधिकार दिया जाय, ऑर्डर्स, फाइल्स को वह मंगा सके और उसमें ऑर्डर्स दे सके। निगरानी का जो तरीका है वह जिला परिषद् को सौंपना चाहिये, यही मेरा संशोधन प्रस्ताव है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि इधर तो जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार छोटी पंचायतें बना रही है और उनकी सुविधा के लिए ग्रुप बना कर जुडिशियरी की पंचायतें बना रही हैं ताकि वहीं का वहीं स्थान पर ही ज्यादा दूर दूर इधर-उधर लोगों को मारा मारा न फिरना पड़े और उनको न्याय वहां का वहीं मिलता रहे, उधर इस प्रकार के प्रावधान रख रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि जिला परिषदें, पंचायत समितियां बनाई, वहीं की वहीं जुडिशियरी पंचायतें

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

बनाते हैं, अपील डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास पेश होंगी और न्याय पंचायतों का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा होगा, उनकी अपीलें डिस्ट्रिक्ट जज के पास होंगी तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ भी उसी माफिक होना चाहिये। पंचायतों के पास से जब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉवर्स ही यदि सरकार लेना चाहती है तो फिर पंचायतों के रखने की जरूरत ही क्या है? सरकार पुराने जमाने की पंचायतें रखना चाहती है। जैसे किसी गांव में कुत्ता मर गया, गाय मर गई, बिरादरी में आना है तो कबूतरों को ज्वार पटक दे। क्लॉज़ १८में २७ए जोड़ा है। यह तो साफ ही विकेन्द्रीकरण को खत्म करने की धारा है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि पंचायत समितियां में प्रशासन के मामलों की अपील होती है तो फाइल मांग सकते हैं तो फिर सरकार के पास इस अपील को मंगाने की क्या आवश्यकता है। अगर, अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २७ ए को रखेंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों में झगड़े मचेंगे और सरकार एक पार्टी को प्रोत्साहन देगी और सरकार के कृपा-पात्र आकर कहेंगे, शिकायत करेंगे, फलां मिसल मंगाओ, फलां पंचायत ऐसा कर रही है। ऐसे २आज भी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जिन लोगों ने पंचायतों से रुपया खा लिया, एन्टीकरप्शन ने आपके पास चालान किया, बरखास्तगी के के लिए लिखा, एक तरफ होम मिनिस्टर दबा कर बैठे हैं, दूसरी तरफ कन्सर्निंग मिनिस्टर दाब कर बैठे हैं। फाइल मांग रहे हैं तो पता ही नहीं है। न मालूम डेवलपमेंट अधिकारी के पास है, दबा रखी है या मिनिस्टर के पास है। इस तरह से करेंगे तो फिर पंचायतें रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार ही करा ले। सहना पटवारी जैसे भले आदमियों को वर्कर्स रख ले। उनका काम कर देंगे। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को रखना ही नहीं चाहिये। रखना है तो जिला परिषद् और पंचायत समितियों को दे दें। उनसे कागज़ात सरकार मंगा सकती है। छोटी २ पंचायतों के कागजात को मंगाना ठीक नहीं है। इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे तो इससे आपकी प्रशंसा नहीं होगी। पॉवर दे रहे हैं या ले रहे हैं?

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८ में दो अमेंडमेंट प्रस्तुत हुए हैं मैं दोनों का ही विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त राजस्थान में जो स्टेज है डिसेन्ट्रलाइजेशन की, वह परीक्षण के तौर पर है। बहुत से अधिकार पंचायत और पंचायत समितियों को दिये जा रहे हैं और पंचायत एक्ट बहुत अर्से से राजस्थान में चल रहा है लेकिन जो कार्य प्रणाली और काम हम पंचायतों को देते हैं बहुत सी जगह वास्तव में वे गल्ती कर बैठते हैं और परिस्थिति बहुत सी दफा ऐसी हो जाती है कि जिसकी न अपील होती है और न निगरानी। ऐसी सूरत में यह इनेबलिंग और रिज़र्विंग क्लॉज है वह आवश्यक है इसलिये हमने पंचायतों को जो अधिकार दिये हैं उनको वापिस छीनने का प्रश्न नहीं और न उनके अधिकारों पर ही कुठाराघात करने का प्रश्न है। पंचायतों को काम करने की स्वतंत्रता और उनको जो अधिकार दिये हैं उनमें किसी प्रकार की कमी करने की कोई बात नहीं आती है। केवल जबकि अपील का प्रोविजन नहीं वैसी हालत में कोई दूसरा रास्ता हो इसलिये यह रखा गया है। जिसके ऊपर आफत पड़ती है उसके लिये किसी

(श्री तेजमल बापना)

जगह पुकार करने का स्थान अवश्य होना चाहिये और इसीलिये गवर्नमेंट ने यह अधिकार रखा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'आफ़त' की डेफ़ीनीशन क्या है ?

श्री तेजमल बापना : आफत का सवाल ऐसे है कि किसी जगह जब कि पंचायतों का परीक्षण काल है, कई जगह देखा गया है कि पेनल्टी ऑर्डर्स पंचायतें लगा देती हैं, दफा २७ के अन्तर्गत अपील नहीं होती, तहसील पंचायत सुनती नहीं ; उसके अलावा कोई दूसरा प्रोवीज़न वगैरह है नहीं। १०), ५) रुपये के लिये तीन सौ, चार सौ रुपये की पेनल्टी इम्पोज़ कर देती है। ऐसी हालत में गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं रहते हैं तो राहत कहां मिल सकती है ? इसलिये गवर्नमेंट के पास ऐसे अधिकार रहना आवश्यक है। सरकार इसका सदुपयोग करेगी, दुरुपयोग नहीं करेगी। इसलिये मैं समझता हूँ, माननीय मन्त्री महोदय ऐसा आश्वासन देंगे कि इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा, वे इस बारे में पूरे सचेत रहेंगे। इसके अलावा एक सुझाव और देना चाहता हूं इस धारा के २७ ए के (बी) क्लॉज के अन्दर " any order passed by a panchayat samiti in administrative matters under section 26 A or otherwise, or " और 'जिला परिषद' और एड कर दिया जाय। मेरे ख्याल से बहुत से ऑर्डर्स जिला परिषद के ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर गौर करना, संरक्षण देना आवश्यक हो जाता है। अगर मुनासिब समझें तो ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिला परिषदें तो एडवाइज़री बॉडी हैं !

श्री तेजमल बापना : वैसी हालत में यह जो क्लॉज़ है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० के क्लॉज १८ के द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम में नई धारा २७ ए का समावेश किया जाना है, मैं मूल धारा का समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज नया नहीं है, पंचायत एक्ट जो हम १९५३ में पास कर चुके हैं उसकी धारा ७६ में यह प्रावधान मौजूद है, उसको विलोपित करके २७ ए में समाविष्ट किया है। उसको विलोपित करने का कारण क्या है ? उसमें पहले जो अधिकार थे वे चीफ पंचायत ऑफ़िसर को थे इसलिये चीफ पंचायत ऑफिसर अभिलेख वगैरह मंगाने का, राज्याधिकारी गलत आज्ञा जारी नहीं करेंगे इसलिये वह राहत अपने हाथ में रखते हैं। पंचायत के ऊपर पंचायत समिति है और पंचायत समिति के अन्दर कलेक्टर वगैरह है अब तक उनकी आज्ञायें नहीं मंगाते थे और वे ही अन्तिम होती थीं। यह नया क्लॉज़ नहीं है इस एक्ट के अन्दर धारा ७६ जो विलोपित कर दी गई, वह इसीलिये इस जगह जोड़ी गई है जो अत्यन्त आवश्यक है। कोई भी पंचायत समिति या पंचायत जो कलेक्टर या पंचायत के प्रभारी अधिकारी गलत आज्ञायें जारी करते हैं उसके लिये हर एक हाईकोर्ट में रिट नहीं कर सकता। नये अधिकार नहीं है, जिला परिषद विधेयक जो हमने पास किया है उसको भी स्टैंडिंग

Page No.45

(श्री सम्पतराज जैन)

कमेटी के अभिलेख आदि मंगाने की शक्ति दी हुई है। पंचायत समिति और जिला परिषद इन सब के अभिलेखों को मंगाने की शक्ति राज्य सरकार को सौंपी है, इस तरह से मैं मूल क्लॉज़ का समर्थन करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के क्लॉज १८ का विरोध करती हूं। इसमें सरकार ने रेकॉर्ड मंगाने का अधिकार चाहा है। निस्सन्देह इसके पीछे सरकार की यह भावना है कि पंचायत समितियें किसी तरह की गलती न करें जिससे जनता को तकलीफ हो। सरकार की यह भावना सराहनीय है लेकिन जिस तरह से आजकल हमारे दफ्तरों के काम चलते हैं, जिस तरह से कागज़ एक जगह चिपक जाता है, आगे नहीं खिसकता उससे मुझे भय होता है कि इसी तरह से पंचायत समिति के काम में भी थोड़ी देरी हो सकती है और कई काम कागजों के अभाव में गड़बड़ हो सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें सरकारी ऑफिसेज़ का काफी अच्छा अनुभव है। कागज़ कहां है, इसका पता तक नहीं चलता। सचिवालय एक ऐसा स्थान है जहां पर कागज़ इधर से उधर होने पर उसका ढूंढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से पंचायत समितियों का रेकॉर्ड मंगाकर रखना ठीक नहीं है। मेरा तो यह सुझाव है कि पंचायत समिति कोई इस तरह का ऑर्डर पास करे जिसकी एक प्रतिलिपि जिला परिषद और कलेक्टर के पास अपने आप भेजती रहे। न हमें मंगाने की जरूरत हो और न सरकार इस तरह से काम में किसी प्रकार की बाधक होगी और न पंचायतों को बिना रिकॉर्ड के दिक्कत उठानी पड़ेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पार्टीज़ भोगती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : पार्टीज़ भोगती रहें तो भोगते रहने दीजिये। पंचायत समिति के रेकॉर्ड मंगाकर आप किस तरह से पार्टीज़ को मदद दे सकेंगे? जिस तरह से हमारी विधान सभा की कार्यवाही होती है वह पार्लियामेंट को चली जाती है उसी तरह से पंचायत समिति में जो कुछ इस तरह की चीजें हों उसकी प्रतिलिपि नेचुरल फोर्म में कलेक्टर के पास आ जाया करे। सरकार को देखना है वह उसमें देख ले। इससे पंचायत समिति के कार्य में बाधा भी नहीं आयगी और सरकार को भी जानकारी रहेगी। जहां कलेक्टर पंचायत समिति और जिला परिषद में समन्वय करने वाला अधिकारी है उसके पास सभी तरह की सूचनायें रहे। आपके इस प्रकार के अधिकार लेने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है कि आप उनसे उन आज्ञाओं की प्रतिलिपि भेजने का निर्देश दे दें ताकि वे सब कलेक्टर के पास मौजूद रहें, वहां से आप रेफ़्रेन्स के तौर पर मंगा सकते हैं। उसके बाद भी पंचायत समिति से किसी खास रेकॉर्ड की आवश्यकता हो तो वह भी मंगाया जा सकता है। इससे पंचायत समिति के कार्य पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। आप यदि किसी पंचायत को दिक्कत में डालना चाहते हैं तो उसका रेकॉर्ड मंगाकर रख लेंगे और उसके बिना आगे का काम पंचायत का रुक जायगा। रेकॉर्ड के बिना बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छा तो यह होता कि आज जा

(डॉ० चन्द्रकला)

कागज़ों के रोकने का तरीका है उससे मुझे यह शंका होती है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से पंचायत समिति के काम में बाधा पड़ने वाली है। सरकार यदि इस प्रकार के अधिकार लेती है तो वह न लेकर उसकी कार्य प्रणाली ऐसी बना देनी चाहिये जिससे पंचायत समिति जो कुछ भी करे उसकी कॉपी कलेक्टर के ऑफिस में आ जाया करे, जिला परिषद में आ जाया करे और एक सम्बन्धित सी० पी० ओ० के पास चली जाय। इसमें रेकॉर्ड मंगाने की आवश्यकता नहीं ....

एक माननीय सदस्य : जब कोई पॉइन्ट उठ जाता है तो।

डॉ० चन्द्रकला : वैसी हालत में भी आप सम्बन्धित कागजात मंगाकर ही देखेंगे। हरएक मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है। उसको मंगवाकर देखना उसको खत्ते में डालना है। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय को पता होगा कि एक पंचायत का कागज था जो कुए में पड़ा मिला। जिस कागज को चाहेंगे कि यह आगे नहीं सरके तो वह कुए में पड़ जायगा। हमारा सचिवालय बहुत बड़ा कुआ है जिसमें पड़ा हुआ कागज निकलता ही नहीं और यदि हम पंचायत समिति के कागजात मंगाकर इस कुए में डाल देंगे तो पंचायत को हम तकलीफ में डाल देंगे इसलिये इस प्रकार कागजात मंगाने का अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं। पंचायत समिति को काम करने दीजिये, गलत करती है तो करने दीजिये एक बार तो गलतियां करेगी नहीं इसमें ज्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

कई बार तो पंचायत अधिकारी और हमारी सरकार भी पंचायतों से जान बूझकर गलतियां करवाती है। अपने अनुकूल किसी चीज़ को नहीं देखते हैं तो उसको बदलवाने की कोशिश की जाती है और यदि रेकॉर्ड मंगाने का अधिकार दे दिया तो यह इस तरह का चारा है जिससे पंचायतों पर कन्ट्रोल रहे, नियन्त्रण रहे; यह तरीका ठीक नहीं है। पंचायत अपनी स्वतन्त्र इकाई है इसलिये उसको पूरी छूट देनी चाहिये। जिस तरह से हम बच्चे को आजाद छोड़ देते हैं केवल उसकी खबर रखते हैं ताकि वह खतरा पैदा न करे इसी तरह से हमारी सरकार को कलेक्टर द्वारा यह देखना होगा कि हमारी पंचायत समितियां ऐसी गलतियां तो न कर दे, जिससे वहां की जनता या वहां के लोगों को दिक्कत है उसको मिटाने के लिये सुविधाएं दे सकते हैं। अन्य रास्ते बरत सकते हैं, पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से कि वे हमारी शक्ति के बाहर न चली जावें, आपे से बाहर नहीं चली जावें इस दृष्टिकोण से शक्तियां आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसलिये इस तरह का प्रावधान रखते हैं तो इस क्लॉज का मैं इसलिये विरोध करती हूँ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : दयाकृष्ण जी के संशोधन के समर्थन में बोलना चाहता हूं। आज की विकेन्द्रीकरण की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत बात इस विचारधारा में है। एक तरफ हम न्याय को स्वतन्त्र करना चाहते हैं दूसरी तरफ इस तरह का अंकुश अपने हाथ में रखना चाहते हैं तब ऐसा मालूम होता है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार की जमीन खिसकती जाती है। वह समझती है कि किसी भी तरह से लोगों पर अंकुश रखा जावे, उपयुक्त या अनुपयुक्त का कुछ भी विचार न किये हुए

(श्री शिवचरणदास)

ही अपनी विचारधारा को थोपना चाहें, यह किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार चाहे कि वहां के निर्णय को अपने पास मंगवाया जावे और इस बीच में पंचायत और पार्टी को मोहताज रखा जावे और सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करते रहें, यह ठीक नहीं।

बताया गया कि यह हमारा परीक्षण का समय है। ठीक है। पर इसमें सरकार के लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका भी तो परीक्षण है। वे भी इस परीक्षण से बाहर नहीं रह सकते। तो इस चीज़ को यहां रखना इस दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

एक चीज़ और कही गई। कहा गया कि इसकी अपील नहीं होती। यदि ऐसा है तो आप जिला परिषद् में या पंचायत समिति में कहीं भी अपील का प्रावधान कर दें। पर सरकार इस चीज़ की मांग करे, यह समझ में आने जैसी चीज़ नहीं है क्योंकि सरकार एक पार्टी विशेष की है, उसके अपने इन्ट्रेस्ट हैं, न्याय के मामले में इस दृष्टि से भी उसको दखल नहीं देना चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन को बिल्कुल उपयुक्त समझता हूं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि ऐसे छोटे से मामले यहां सेक्रेटेरियट में आकर इस तरह उलझ जाते हैं कि फिर उनका पता ही नहीं लगता। लोग इस बात के मोहताज ही हो जाते हैं कि जल्दी उनको न्याय मिल जाय। तो इससे मामले सुलझाने में और न्याय प्राप्त करने में भी दिक्कत आवेगी। इसी से प्रेरित होकर तो हमने विकेन्द्रीकरण की बात सोची है, हम फिर घूम-फिर कर वहीं केन्द्रित करने की, सत्ता को एक जगह फिर उसी सेक्रेटेरियट में लाने की बात सोचते हैं तो यह अनुचित होगा। आप कलेक्टर के यहां अपील का प्रोवीजन कर सकते है, जिला परिषद् में भी कर सकते हैं। इसलिये मैं इसका समर्थन करते हुए आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो रखा गया है यह २७ क हटा दिया जावे।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़): मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं और ओरीजिनल क्लॉज़ का समर्थन करती हूं। यह सही है कि पंचायतें बहुत सोच-समझ कर निर्णय देंगी, फिर भी अधिक पढ़े-लिखे न होने से भुलावे में आकर भी वे अनुचित काम कर जाते हैं। यह भी सही है। आप-हम सब जानते हैं। इसको अभी जो पंचायतों के पंच-सरपंच हैं अभी तक वे इतने ऊंचे विचारों के नहीं हो पाये हैं जैसा हमने उनके नाम के साथ जोड़ रखा है कि पंच परमेश्वर। उस नाम के योग्य अभी तो मैं समझती हूं, नहीं हो पाये हैं। तो ऐसी अवस्था में यह जो सरकार को हमने पॉवर दिया है कि कागज मंगा सके तो मैं शीघ्र न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से इसे ठीक ही समझती हूँ। जिन पर ऐसी मुश्किलें आती हैं वे ही अनुभव करते हैं। तो उनकी सुविधा के लिये यह ठीक है।

फिर और भी इससे भी सरल तरीके हो सकते हैं जिससे कागजों को जल्द से जल्द निकाला जा सके और निश्चित समय पर न्याय दिया जा सके अगर ऐसा रास्ता निकल सके तो और भी जनता के फायदे की यह चीज होगी। तो इस पर तो मन्त्री महोदय

(श्रीमती गंगा देवी डाटा)

विचार करें। अगर लोगों की सुविधा के अनुकूल हो सके तो अच्छी बात है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो संशोधन हैं, पर आशय दोनों का एक ही है। वे चाहते हैं कि ये अधिकार जिला परिषद् को दिये जावें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् एक एडवाइज़री बोर्ड की तरह है। उसको किसी तरह के कोई एग्ज़ीक्युटिव या जुडीशियरी पॉवर्स नहीं दिये गये हैं। ऐसी दशा में उसको ये पॉवर्स देना मूल कल्पना के खिलाफ होगा, हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद् के अधिनियम की स्प्रिट के खिलाफ होगा। इसलिये इसको स्वीकार करना किसी तरह भी उचित नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा): इसको फिर क्या विकेन्द्रीकरण मानते हैं आप ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विकेन्द्रीकरण तो तब तक है ही जब तक हमारा मूल ग्राम पंचायत है। हमारी प्राथमिक इकाई के रूप में तो वह है और हम उसी को अधिकार दे रहे हैं, उनको नहीं देकर जिला परिषद् को सत्ता देने का मतलब भी केन्द्रीकरण ही होगा। हमने जिला परिषद् को तो एडवाइज़री बॉडी रखा है तो अब आप उसे चित्र में लाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है। और....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : पंचायत समिति को दे दिया जावे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भी विकेन्द्रीकरण की उल्टी दिशा में काम होगा। विकेन्द्रीकरण का अर्थ है नीचे की इकाइयों को शक्ति देना। ये माने हैं, दूसरे माने नहीं हो सकते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह है अर्थ कि केन्द्र की जो शक्ति एक जगह है उसको बिखेर देना।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिखेरते बिखेरते आखिर कहां तक जावेंगे आप ? हमने वह सत्ता तो पंचायतों को दी है, पर अभी उनसे भी अगर निर्णय ठीक से न हो तो उसकी अपील की सत्ता जिला परिषद् में नहीं दे सकते, इसलिये नहीं दे सकते कि इससे सीढ़ियां और बढ़ती जावेंगी और इससे तो विकेन्द्रीकरण भी नहीं होगा।

१. म. प.

विकेन्द्रीकरण सही माने में तब होगा जब कि सत्ता हम पंचायतों को और पंचायत समितियों को देंगे....

रावराजा श्री सरदारसिंह : यही तो कर रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : विकेन्द्रीकरण का मतलब गल्तीकरण नहीं है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमें विकेन्द्रीकरण की तरफ प्रगति करनी है तो जो जिला परिषदों को शक्तिशाली बनाने का कदम यदि हम उठायेंगे तो वह विकेन्द्रीकरण के खिलाफ है। यदि आप शक्ति पंचायतों को और पंचायत समिति को देते हैं तो आपका कदम विकेन्द्रीकरण की ओर होगा....

Page No.49

श्री दयाकृष्ण विजय : हमारा तो संशोधन यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय जिला परिषद को ये अधिकार दिए जायें। ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों जायें ?

श्री अध्यक्ष : उसका भी जवाब मिलेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने आपकी एक युक्ति का उत्तर दिया है....

श्री सोहनलाल भटनागर : अभी तो उत्तर बहुत देना है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, अभी तो बहुत है। मेरे उत्तर से आपको १४ आने तो सन्तोष हो जायेगा, यह मुझे विश्वास है....

श्री शिवचरणदास : १६ आने नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं कोशिश तो यही करूंगा कि २० आने सन्तोष हो और १४ आने पर मैं सन्तोष मान लूंगा, केवल दो-चार आने का ही फर्क रहेगा। इसलिए यह निश्चित बात है कि यदि हम जिला परिषद को किसी तरह भी पिक्चर में लाते हैं तो यह कदम विकेन्द्रीकरण के विपरीत होगा। इसलिए सरकार उसको स्वीकार नहीं कर सकती। अब रह गई यह बात कि सरकार यह अधिकार क्यों लेना चाहती है और ये पंचायत समिति के पास ही रहने दिए जायें तो मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत की अपील पहले तहसील पंचायत के पास होती थी और अब तहसील पंचायतें हटा दी गई हैं और उसकी जगह पंचायत समिति आ गई हैं। अब कई ऐसे हास्यास्पद केसेज़ मेरे पास आते हैं। एक मिसाल मैं देता हूं। एक चौंतरा तोड़ दिया गया पंचायत के हुक्म से। वह पंचायत समिति के पास अपील करने गए तो पंचायत समिति ने अपील ले ली और उन्होंने चाहा कि स्टे ऑर्डर दिया जाये तो पंचायत समिति न तो स्टे ऑर्डर देती है और इधर पंचायत समिति कहती है कि तोड़ दिया जाये। वे मेरे पास आये। मैंने सारे कायदे कानून देख डाले और आखिर यह देख कर कि इसकी अपील का प्रावधान कहीं नहीं है तो आखिर मैंने वे कागज़ात लॉ डिपार्टमेंट के पास भेज दिए....

श्री सोहनलाल भटनागर : एक फायदा हुआ कि कानून सारे जान गए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जान रहा हूं धीरे धीरे। तो दुखी की फरियाद तो कहीं न कहीं होनी चाहिए। पंचायत समिति के फैसले से किसी को असन्तोष है तो कहीं तो उसको सन्तोष की जगह होनी चाहिए। आप कहते हैं कि यह अधिकार जिला परिषद को दे दिए जायें और मैं कहता हूं कि जिला परिषद को नहीं जाने चाहिए....

श्री दयाकृष्ण विजय : बात यह है कि लोग यहां जयपुर आने से घबराते हैं। वे इतना खर्चा लगा कर यहां आयें और फाइलें इधर उधर फिरती रहें ?

श्री शिवचरणदास : आपने जो यह फर्माया है कि जिला परिषद पिक्चर में नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा क्यों....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य ने बताया कि उनको जयपुर में नहीं आना चाहिए और सबसे ज्यादा तकलीफ उनको तब से होती है कि जब से यह वभाग

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मेरे पास आया। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। एक नहीं बीसीयों मिसालें ऐसी हैं कि एक मकान है। गिराया जा रहा है, पैनल्टी लगा दी गई है और स्टे ऑर्डर के लिए पंचायत समिति के पास कोई जाये और उसकी कोई फरियाद नहीं हो तो आखिर कोई दाद फरियाद तो होनी चाहिए। तो या तो वह रिट करे या फिर सिविल सूट करे। हम लोगों की इच्छा यह है कि न्याय सुलभ हो और जहां के मामले हों वहीं के वहीं निबटा लिए जायें....

रावराजा श्री सरदारसिंह : राइट, यहां तक तो ठीक है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तब हो सकता है जब कि पंचायत और पंचायत समितियां ठीक तरह से काम करें। मेरे अकेले के बलबूते की बात नहीं है। अगर वह ठीक तरह से काम नहीं करती है या गड़बड़ होती है तो वह तो हो, लेकिन पार्टी तो फील करती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो जो रेकॉर्ड चाहने का अधिकार सरकार ने लिया है तो उसको दुरुस्त करने का अधिकार मांगा गया है। इसके लिए आपत्ति की गई। तो जिन मैटर्स में पंचायत समिति के पास अपील नहीं है तो इसलिए अपवाद स्वरूप स्थिति में वह केस यहां आये....

डॉ० चन्द्रकला : कलेक्टर के पास तो सारे अधिकार हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाद में डेलीगेशन से पावर्स दूसरे को मिल सकती हैं। इसलिए इसकी जरूरत पेश आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना स्पष्टीकरण करने के बाद माननीय सदस्य इस बात को समझ जायेंगे कि जिला परिषदों को शक्ति देना अनुचित है, वह नहीं दी जा सकती है। यह जो अधिकार सरकार लेना चाहती है वह ठीक है, नहीं तो लोग समझेंगे कि हमारे साथ अन्याय होता है। तो उसे सुनने का कोई यथोचित प्रोविज़न सरकार के पास नहीं है।

श्री शिवचरणदास: जो आपने 'सुलभ' शब्द कहा है तो सुलभता तो यों प्राप्त हो सकती है कि जिला परिषद् को नहीं देना चाहते हैं तो कलेक्टर को दे दें। वहां से आपके पास आयेगा तो वह खर्चा भी उसको करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का प्रावधान भी संशोधन में है। चाहें तो डैलीगेट कर भी सकते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूसरी धारा है उसमें यह प्रोवीज़न है।

श्री शंकरलाल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं समझता हूं कि जब तक मंत्री महोदय इस विभाग के मंत्री हैं तब तक पंचायत समिति, पंचायत या जिला परिषद का रेकॉर्ड मंगाये लोगों को न्याय मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन बात यह है कि जिला परिषद को पंचायत एक्ट में कोई अधिकार नहीं दे रखे हैं। मैं डिस्कशन में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा लेकिन धारा ५७ है उसमें जिला परिषद को पॉवर्स दे रखी हैं : पंचायतों की गतिविधियों को देखना जिला परिषद का काम। अभी यह स्टेज

Page No.51

(श्री शंकरलाल)

नहीं है। मौजूदा विवरण में यदि मंत्री महोदय अपने पास अधिकार रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके पास अधिकार रहें तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): मैं विथड्रॉ नहीं करना चाहता। यह तो केन्द्रीकरण है। बाहर इसको विकेन्द्रित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २०

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

[क्लॉज़ २० पर निम्न सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुये :

श्री सोहनलाल भटनागर:-

44. Proviso to sub-section (1) of section 27 B sought to be inserted, be deleted.

49. In sub-section(3)of section 27C

(i) the word 'twenty five' be substituted for the word 'thirty' occurring in clause (i),

(ii) clause (ii) be deleted.

Sub-section (7) of section 27C be deleted.

(श्री सोहनलाल भटनागर)

56A. In Sub-section (1) of section 27G the words 'Officer-in- charge of Panchayats' be replaced by the words 'Nyaya Panchayat'

श्री रामप्रसाद लड्ढा:-

45. In clause (iv) of Sub-section (3) of section 27C sought to be inserted, after the words 'Zila Parishad' 'insert the words 'or a member of any standing committee of a Panchayat Samiti.'

श्री दयाकृष्ण विजय :-

46. In section 27C, replace clause (ii) of Sub-section (3) by the following:—

(ii) if he has not passed Middle Examination or the examination of Nyaya Visharad conducted by the State Government.

56. In Sub-section (2) of section 27G replace the words 'Judicial Clerk' by the words 'Nyaya lipik'

श्री पी. के. चौधरी :-

50. Replace Sub-section (7) of section 27C by the following:—

'(7) the maximum term of every Nyaya Panchayat shall be of three years and after the expiry of the term, a new Nyaya Panchayat shall be constituted in accordance with the provision of this Act.'

55. In sub-section (3) of section 27F replace the words 'to not more than one Panchyat without being required to state the grounds of his objection', by the words 'to the inclusion of a Panch stating the reasons for his objection.'

रावराजा श्री सरदारसिंह :-

48. (1) In Sub-section(3)of section 27C-

(a) substitute the words 'twenty-five' for the words 'thirty', occurring in clause (i).

(b) add a new clause (v) after clause (iv) as follows:—

'(v) if he is not a resident of Nyaya Panchayat area.'

(2) Sub-section (6):

(a) Replace the words "within a period specified in this behalf by the officer incharge of Panchayats" by the words 'within a month from the date of the administration of oath.'

(b) Replace the word 'choose' wherever it occurs in the section by the word 'elect'.

(3) Add the following new sub-section (8) after Sub-section (7):-

'(8) The members and the Chairman of a Nyaya Panchayat shall be paid such remuneration as may be fixed by the State Government.'

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

54.(1) In sub-section (4)of section 27F add the following at the end:—

Insert 'Provided that two-third of the members of the bench are present there.'

(2) In sub-section (1) of section 27G-(i) replace the words 'the Officer in-charge of Panchayats' by the words 'the District and Sessions Judge having Jurisdiction' and

(ii) add the following proviso:-

'Provided that a person to be appointed shall have experience of working of a Panchayat or of other administration of not less than five years'.

96. In clause (i) of sub-section (3) of section 27C—

(1) The words "Thrty-five" be substituted for the word "Thirty".

(2) In sub-section (3) of section 27C, substitute the following clause for clause (JJ):—

"(JJ) if he has not passed at test precribed by the State Government for this purpose"

डॉ० चन्द्रकला :-

97. Substitute the words "a bench for every village" for the word "benches", occurring in the Penultimate line of sub-section (1) of section 27D.]

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): पर २० में अपनी संशोधन मू व नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें यह निवेदन किया है कि प्रोविज़ो जो है उसको डिलीट कर दिया जाय, क्योंकि न्याय पंचायत का जो कॉन्स्टीट्यूशन है उसमें लिखा है: "not being less than five or more than seven"और प्रोविजो में कहना चाहते हैं कि इस से कम भी राज्य सरकार कर सकेगी। उसके आगे हम बैंचों की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद माना जाय कि ५ से भी कम में किसी न्याय पंचायत का फॉर्मेशन हो सकेगा। इस दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से इसको डिलीट कर दिया जाय कि कम से कम ५ मेम्बर्स होने चाहिए, तब आगे जाकर बैंच के रूप में काम कर सकती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७ सी कम्पोजिशन ऑफ न्याय पंचायत और उसके सब क्लॉज़ (३) के भाग (४) में यह बताया गया है कि कौन आदमी उस न्याय पंचायत का पंच नहीं बन सकता है "(iv) if he is the Sarpanch or panch of a panchayat or the Pradhan or member of a Panchayat Samiti or the Pramukh or member of a Zila Parishad or the member of the House of the State Legislature or of Parliament" मैंने इसमें यह संशोधन रखा है कि 'जिला परिषद्' वर्ड के बाद यह और बढ़ा दिया जाय

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

"or a member of any standing committee of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad". क्योंकि जो परिभाषा इसमें दी गई उसमें पंचायत समिति के स्टेंडिग कमेटी के मेम्बर्स इन्क्लूडेड नहीं हैं और यह उनका इरादा है कि पंचायत समिति के सब–कमेटीज़ के मेम्बर्स और स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर्स भी न्याय पंचायत के सदस्य नहीं होने चाहिए, और इसलिए यह तरमीम आवश्यक है, और माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दयाकृष्णविजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ द्वारा जो २७ सी धारा जोड़ने की बात है, उसके पार्ट सब क्लॉज़ (३) के सब पार्ट (२) में मेरा संशोधन है और वह संशोधन इसलिए मूव किया है कि हमारे पास ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि ग्राम पंचायतों में किस प्रकार का न्याय दिया जाता है। अभी अभी मंत्री महोदय खुद फर्मा रहे थे कि इस प्रकार का न्याय ग्राम पंचायतों ने दिया और उसका कारण जो बताया गया है वह यह है कि गांव के अन्दर इतने शिक्षित लोग नहीं हैं, हालांकि शिक्षा दिनो दिन बढ़ती चली जा रही है और काफी लोग इस विषय में अपना ज्ञान रखने लगे हैं। मेरा इसमें अब यह है कि जब हम ग्राम पंचायतों के पास केवल प्रशासन का कार्य रखने जा रहे हैं और सारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल उनसे अलग करना चाहते हैं तो कम से कम हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या हम उसी प्रकार के व्यक्ति जिनके विषय में जो शिकायत थी, जो अच्छी तरह से न्याय नहीं दे पाते थे अपनी अशिक्षा के कारण उन्हीं लोगों को पंचायतों में भेजा जाय ? मुझसे विपरीत मत रखनेवाले माननीय सदस्य यह कहेंगे कि इसमें प्रावधान रखा गया है कि हिन्दी वह भलीभांति और धारा प्रवाह से जानता हो। अभी तक इसी प्रकार का प्रावधान ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए था। उसमें भी यह बात थी कि हिन्दी अच्छी तरह से लिख-पढ़ सके। इसके नाम पर क्या होता था कि ३–४ लाइनें पढ़ दी और अपने दस्तखत कर दिये और कई कई जगह तो ऐसा भी होता था कि जिस दिन चुनाव होता था उस दिन के लिए नाम लिखना सीख लेते थे और कोई पाठ पहले से दिखा दिया जाता था उसको पढ़ लेते थे और कोई विशेष योग्यता नहीं होती थी। छोटी छोटी पंचायतों में हम जानते हैं कि अच्छे पढे - लिखे लोग नहीं मिलें लेकिन यह बात बहुत साफ हो गई कि ४, ५ पंचायतों की मिल कर एक न्याय पंचायत होगी तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि पढ़े - लिखे लोग नहीं आयेंगे। एक एक पंचायत से एक एक व्यक्ति जायगा। तो पढ़े -लिखे लोग मिल सकते हैं। तो मैंने इस संशोधन में यह बात कही है कि कम से कम मिडिल पास हो और उसके साथ साथ एक बात और अभी कह दी कि यदि मिडिल पास नहीं हो तो हमारी सरकार इस प्रकार के एग्ज़ामिनेशन्स कन्डक्ट करवाये, इस प्रकार के एग्ज़ामिनेशन्स प्रारम्भ करे जो न्याय विशारद के हों ताकि न्याय के विषय में कुछ शिक्षा हासिल हो सके। वैसे पहले से तो हासिल हो सकती है, क्योंकि पंचायत के अन्दर जितने भी सरपंच या पंच रहते हैं वे लोग एक न्याय के विषय में समझते हैं। सरकार सेमिनार के नाम पर, सम्मेलन के नाम पर पंच, मुखियाओं और

Page No.55

(श्री दयाकृष्ण विजय)

टीम्स को बुला कर हजारों और लाखों रुपया खर्च करती है तो कम से कम पंचों को न्याय की शिक्षा दी जावे कि किस प्रकार से न्याय किया जाता है । सामान्य कानून सिखाया जा सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ाया जाय । किस प्रकार के कानून के अन्दर कितनी शक्तियां हैं, कितने अधिकार हैं और किस प्रकार से उनको प्रयोग कर सकते हैं । सामान्य ज्ञान दें । इस प्रकार की कक्षाएं चलायें तो बहुत उचित होगा । उस प्रकार कक्षायें पास करने वाले व्यक्तियों को न्याय के सिंहासन पर बैठायेंगे, न्याय की कुर्सी पर बिठायेंगे तो वे निश्चित रूप से न्याय करेंगे । बिना परीक्षा लिये, बिना ज्ञान हुए, बिना उसके अन्दर शिक्षा के कुर्सी पर बैठकर न्याय करेंगे तो जो उदाहरण पंचायत में देखने को मिलता है वही उदाहरण बराबर मिलेगा । मैंने नहीं कहा कि मिडिल ही पास हो । मैंने एक उदाहरण दिया कि न्याय की परीक्षा पास नहीं की है तो मिडिल पास होना चाहिए । मिडिल पास नहीं हो और पुराने अनुभव के आदमी हैं और हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं तो कम से कम आपके द्वारा चलाई जाने वाली कक्षाओं में हजारों लाखों रुपया खर्च करके इस प्रकार की कक्षायें चलायें ताकि पंच कानून का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकें ताकि जनता के साथ अन्याय नहीं हो और उनको अपील के लिए नहीं दौड़ना पड़े । मेरी इसी मूल भावना को रखते हुए यह मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है । वह इस प्रकार से है क्लॉज़ २७ सी के सब क्लॉज़ (३) के पार्ट (२) में है : "(ii) if he is unable to read and write Hindi fluently, freely and legibly" उसके बजाय मैंने लिखा है : "(ii) if he has passed Middle examination or the examination of Nyava Visharad conducted by the State Government." मैंने अर्ज किया है कि न्याय के सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं चलाई जायं जहां कि कम से कम लोग पढ़ें और १-२ महीने में पास कर जायं और उनके पास करने के बाद में कम से कम पास किये हुए व्यक्तियों को न्याय की कुर्सी पर बैठावें । अगर वहां पर अंगूठा छाप लोग बैठ जायेंगे तो न्यायोचित बात नहीं होगी । आप चाहते हैं कि न्याय अच्छा मिले, आप चाहते हैं कि लोग-बाग विचारवान वहां पर बैठे, डिग्री वाले वहां नहीं हैं, डिग्री की को आवश्यकता नहीं है लेकिन कम से कम सामान्य ज्ञान वाली राजस्थान की कक्षाएं चलायें कानून के संबंध में । उन कानून की कक्षाओं को पास करके वे कुर्सी पर बिराजेंगे तो जनता के साथ में अन्याय नहीं हो, इसी मूल भावना से मैंने यह संशोधन रखा है । इसी मूल भावना की पृष्ठ भूमि पर बैठ कर मैंने यह रखा है और इसको मानते हुए किसी डिग्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । केवल एक कक्षा चलायें जिसमें १-२ महीने के लिए वह हो सकती है । कानून का सामान्य ज्ञान लेकर वे बैठेंगे तो अच्छा होगा । जो ट्रेनिंग की कक्षा को पास करके वहां पर बैठेगें तो ज्यादा ठीक होगा इस नीयत से मैंने रखा है ।

इसके अलावा मुझसे पहले जो दो प्रस्ताव आये हैं मैं उनका विरोध करता हूं और उसका कारण है । जैसा कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि इसके साथ में जो प्रोविज़ो है उसको हटा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दिया जाय तो वह नहीं हटना चाहिए। उसका कारण क्या है? कई जगह पंचायतें बड़ी २ दूरी पर हैं। जैसलमेर के इलाके और जोधपुर के इलाके और आपके इधर के इलाकों के हालात देखें तो बड़ी बड़ी दूरी पर गांव हैं और पंचायतें हैं, तो ५ पंचायतों को मिल कर बनायेंगे तो बहुत बड़ा कष्ट लोगों को हो सकता है। तो जनता को सुविधा देने के लिए थोड़ी पंचायतों को मिला कर न्याय पंचायत बना सकते हैं तो उस संबंध में सीमा की घट बढ़ हो सकती है। तो जो सुविधा राज्य सरकार ने दी है वह उचित है और माननीय सदस्य उसको हटाना चाहते हैं वह ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

इसी प्रकार से एक माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि स्टेन्डिंग कमेटी के लोगों को भी न जाने दिया जाय, तो यह न्यायोचित बात नहीं है। आखिर जितने भी सदस्य व स्टेंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन बनते हैं और मुझे याद है कि पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी बनी तो उसकी कोई सीमा नहीं है। किसी में ५ स्टेंडिंग कमेटीज़ बनीं, किसी में तीन और किसी में और ज्यादा भी बन सकती हैं। तो जो समझदार लोग हैं वे कुछ प्रधान, प्रमुख बन जायेंगे, कुछ लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर्स बन जायेंगे, कुछ एम. पीज़ बन जायेंगे; तो और उस एरिया के पढे लिखे लोग क्या करेंगे? कुछ स्टेंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन बन जायेंगे और स्टेंडिंग कमेटी के चेअरमैन पर प्रतिबन्ध लगायेंगे कि यह नहीं बनेंगे, न्याय पंचायतों के मैम्बर तो वह न्यायोचित बात नहीं कही जा सकती है। वहां पंचायत में कौन होगा? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और जैसा है वैसा ही रखा जाना चाहिए, और मेरा संशोधन है कि कम से कम ये कक्षाएं चलायें कि जो कानून की कक्षाएं हों वे एक, दो महीने के लिए हो सकती है, उनको पास करना जरूरी है। मिडिल पास व्यक्ति यदि मिल जायं तो कम से कम उनको न्याय के सिंहासन पर बैठावें, यह न्यायोचित होगा। यही मेरा संशोधन है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, २७ (सी) को साथ लेलें तो ठीक रहे।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और संशोधन था जो यह कि 'जुडिशियल' शब्द के स्थान पर 'न्याय' शब्द काम में लाया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि अंग्रेजी शब्द ठीक नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : (श्री सोहनलाल से) आप इस पर नहीं बोले हैं क्या?

श्री सोहनलाल भटनागर : सब साथ ले रहे हैं तो मैं कुछ अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): इसमें मेरा संशोधन यह है :

"In sub-section (3) of section 27 C—

1. the word 'twenty five' be substituted for the word 'thirty' occuring in clause [1]." इसमें यह है कि समिति

Page No.57

(श्री सोहनलाल भटनागर)

के लिये ३० वर्ष की उम्र रखी है। मेरा संशोधन यह है कि २५ वर्ष कर दिया जाय। मेरा ख्याल है कि २५ वर्ष की उम्र में नौजवान परिपक्व हो जाता है और उसकी बुद्धि भी परिपक्व हो जाती है। इसलिये २५ वर्ष की आयु रखना अच्छा रहेगा क्योंकि २१ वर्ष के पंच रखे हैं। दूसरी बात यह है कि जब यह व्यवस्था कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट्स उनकी अपील सुनेंगे तो मजिस्ट्रेट्स आर. ए. एस. ऑफिसर्स होते हैं जो २१ वर्ष की उम्र में ही हो जाते हैं। तो २२–२३ साल की उम्र वाले लोग अपील सुनेंगे और पंचों के लिये ३० वर्ष की उम्र रखी है, यह उचित नहीं है।

दूसरा यह है : "Delete clause (ii)." इस पर प्रथम वाचन के समय भी काफी बहस हुई थी। गांवों में शिक्षा का स्तर काफी नीचा है। गांवों में काफी कम लोग शिक्षित हैं, इस दृष्टि से अच्छा आदमी नहीं मिल सकता। एक आदमी सुशिक्षित ही हो, यह जरूरी नहीं है। अशिक्षित लोग भी अच्छे और ईमानदार हो सकते हैं। गांवों में काफी अशिक्षित लोग भी चतुर और बुद्धिमान होते हैं। इन्टेरिम पीरियड में एडल्ट एज्यूकेशन भी चालू कर रहे हैं; इसलिये यह शिक्षा का लिमिटेशन हटाया जाय।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। कानून के बारे में देखें तो न्याय एक तरह की कॉमनसेन्स से ताल्लुक रखता है। पंचायत में हाइली डेवलप्ड व्यक्ति हैं। उनके फैसले अच्छे से अच्छे पढ़े–लिखे के समक्ष भी हो सकते हैं। इसलिये जो पढ़े–लिखे होने का रखा है उसके बारे में प्रेक्टिकल रूप में देखेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर भी उनकी परीक्षा लेगा, कौन पढ़–लिख सकता है। इससे काफी कॉम्प्लीकेशन होगा इसलिये सब क्लॉज़ (२) को डिलीट किया जाय।

मेरा तीसरा संशोधन है :–

"Sub-section (7) of section 27 C be deleted.

Sub-section (7) reads as under :–

'(7) As nearly as possible one-third of the members of a Nyaya Panchayat shall retire by rotation as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with rules made in that behalf by the State Government.' इसके लिये हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर दूसरे वर्ष कम से कम एक तिहाई आदमी रिटायर हो जांय। कौंसिल ऑफ स्टेट के माफिक यहां भी करने की कोशिश की है, लेकिन जो अपीलेट बॉडी की लाइफ है वह भी पंचायत के समकक्ष हो तो अच्छा रहेगा वर्ना हर वर्ष चुनाव करने की समस्या होगी, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा और लोगों को कष्ट होगा। इसलिये इसकी लाइफ भी पंचायत के समान कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्लॉज़ २० पर दो अमेंडमेंट्स हैं, एक तो अमेंडमेंट नं. ५० and the other one is 55. अमेंडमेंट नं.५० जो है वह क्लॉज २० में न्यू क्लॉज २७ (बी) सब–

श्री पी. के. चौधरी)

सेक्शन (७) पर है। नया क्लॉज २७ (बी) सब सेक्शन (७) इस प्रकार का है कि न्याय पंचायत के मेम्बर्स by rotation, every second year one third of the members will retire. मान लीजिये उसमें ६ मेम्बर्स होते हैं तो हर दूसरे साल दो-दो रिटायर करेंगे और दो-दो नये चुने जायेंगे। इसके स्थान पर मैंने इस प्रकार का अमेंडमेंट दिया है :—

Replace sub-section (7) of section 27C by the following :- '(7) The maximum term of every Nyaya Panchayat shall be of three years and after the expiry of the term, a new Nyaya Panchayat shall be constituted in accordance with the provisions of this Act." रोटेशन का रखा है मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि न्याय पंचायत की टर्म है वह भी ३ साल हो और कोई रोटेशन का सिस्टम नहीं रखा जाय क्योंकि रोटेशन का सिस्टम रखते हैं तो नतीजा यह होगा कि कुछ मेम्बर्स की टर्म लगभग ६ वर्ष की बन जाती है; One-third of the members will retire. कुछ मेम्बर्स की टर्म्स ६ साल तक की हो जाती है और न्याय पंचायत के सदस्य ६ वर्ष तक रहते हैं। मैं समझता हूं इस स्टेज पर न्याय पंचायत के सदस्य ६-६ साल तक काम करें, यह उपयुक्त नहीं रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये भी हमने रखा है कि ३ साल के बाद उनकी बदली हो जाय। जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों ही तरह के ऑफिसर्स की ट्रान्सफर कर देते हैं तो जुडिशियल बॉडी के कुछ मेम्बर्स ६ साल तक करेंगे तो उनमें कुछ प्रेज्युडिसेज़ और बायस डेवलप हो सकते हैं और उसका सारा इफेक्ट कॉन्स्टिट्युएन्ट एरिया पर पड़ता है। यह जो पद्धति है कौंसिल ऑफ स्टेट जैसी बनायी है वह तो लेजिस्लेटिव बॉडी है. लेकिन न्याय पंचायत जुडिशियल बॉडी है इसलिये अव्वल तो इसको इन्ट्रोड्यूस नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे कई कॉम्प्लीकेशन्स होंगे। कोई अधिकारी बन कर ६ साल तक काम करे, यह ठीक नहीं रहता है। इसलिये मेरा संशोधन है कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Then there is another amendment no 55. Please move it along with this.

श्री पी. के. चौधरी : The amendment is: "In sub-section (3) of section 27F "replace the words 'to not more than one panch without being required to state the ground of his objection" by the words 'to the inclusion of a panch stating the reasons for his objection.'

अध्यक्ष महोदय, २७ (एफ) के सब सेक्शन (३) में ऐसा रखा गया है :

"Every party to a suit or case shall be entitled to object, at the earliest opportunity, to not more than one panch without being required to state the grounds of his objection, and such panch shall thereupon abstain from sitting on the panchayat during the hearing of such suit or case."

इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति

(श्री पी. के. चौधरी)

जो न्याय पंचायत में बैठेगा उसके लिये कोई भी यह ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मेरा केस उनके सामने है। तो मिस्टर एक्स मेम्बर है वह न्याय पंचायत में नहीं बैठना चाहिये। इसके लिये उसे कोई रीज़न नहीं देना पड़ेगा। मैं इतना सा ही कह दूं कि वह नहीं बैठना चाहिये तो उस सदस्य को चला जाना चाहिये। मैं इसको अनरीज़नेबल मानता हूं। इसमें यह रखा है कि एक के लिये ऑब्जेक्शन उठाने वाला है तो दूसरे के लिये नहीं उठा सकता इसलिये मैंने रखा है कि जो रीज़न्स स्टेट करके कि किस वजह से ऑब्जेक्शन उठा रहा है पंच के लिये, वहां अगर तीन पंच है तो तीनों के लिये उठा सकते हैं। यह वजह हो सकती है कि कोई किसी में इन्ट्रेस्टेड हो, किसी के रिलेशन में हो तो पार्टी को तीनों के लिये कहने का अधिकार होना चाहिये। किसने किया, कैसे मालूम हो ? All the three or five members who are sitting on the panel इन तीनों लोगों को उसमें इन्ट्रेस्ट हो and which I can establish; तो इस तरह रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक के लिये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, बाकी के लिये नहीं उठा सकते हैं। मैं इसे अनरीज़नेबल मानता हूं। यह जो प्रोवीज़न है इसमें कोई लोजिक नहीं है। उसमें एक आदमी है। उसके लिये ऑब्जेक्शन कर दिया। लेकिन रीज़न्स नहीं दें; जैसे मान लीजिये कि मैं बैठा हूं। वैसे कह दिया कि इसकी शक्ल खराब है, इसलिये नहीं बैठना चाहिए। अब रीज़न्स कहने की जरूरत है नहीं इसलिए शक्ल खराब है, तब भी बिना कहे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह कोई हरिजन है, उसको नहीं बैठाना चाहते तो उसके लिए कह देंगे। मान लीजिये कोई रामप्रसाद है। उसके लिए ऑब्जेक्शन कर दिया, लेकिन उसके लिए कोई रीज़न्स या ग्राउन्ड स्टेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान रखना न्यायोचित नहीं है। इसमें लोजिक नहीं है। मेरा जो अमेंडमेंट है, उसको स्वीकार करने के लिए, जो माननीय मंत्रीजी बैठे हैं वे कन्विन्स्ड हैं, वे इसे स्वीकार करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो क्लॉज़ है, उसको विथड्रा कर लें, क्योंकि पंच के लिए ग्राउन्ड स्टेट करने हैं तो सब के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक के लिए भी नहीं कर सकते हैं। यह मेरे अमेंडमेंट का मतलब है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्लॉज़ २७ के 'सी' और 'एफ', दोनों में एक साथ अमेंडमेंट मूव कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : जी हां। एक साथ कर दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा २७ में सब-सेक्शन तीन में इस तरह का अमेंडमेंट है :
(1) In sub-section (3) of section 27C

Page No.60

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

substitute the words 'twenty-five', for the words 'thirty' occurring in clause (1).

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, मंत्री महोदय इसे बढ़ा क्यों रहे हैं, जब कि २१ वर्ष का व्यक्ति वोट देता है और २१ वर्ष का मेम्बर हो जाता है और २५ वर्ष....

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): गलत है, २१ वर्ष का मेम्बर नहीं होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंच हो जाताहै। ठीक है, २५ वर्ष का सरपंच होता है। २५ वर्ष की उम्र एम. एल. ए. तक के लिए रखी जाती है, तब फिर यहां ३० वर्ष की क्यों उम्र रखी है कि ३० साल की उम्र हो तब ही खड़े हो सकते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि ३० वर्ष की उम्र राज्य सभा के सदस्य के लिए और २५ वर्ष की उम्र एम. पी. के लिए रखते हैं तो यहां क्यों रखते हैं? जब कि एक न्याय पंचायत बनाते हैं, वह इसलिए बनाते हैं कि जनता को सस्ता न्याय मिले और इसके लिए जो २२ वर्ष का सदस्य होता है, वह सरपंच हो जाय तो वह भी न्याय करता है। अब अगर दो वर्ष बाद वह चुनाव में आ जाय, तो क्या उसे जुडिशियल पंडित मानेंगे? इसलिए मैं तो समझता हूँ कि यह जो आपने ३० साल की सीमा रखी है वह तो आपने एम. एल. ए. की उम्र से भी ऊपर बढ़ा दी है, सरपंच से भी बढ़ा दी है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसको रखने का भावार्थ क्या है? अगर आपको अच्छे अच्छे आदमियों को लेना है, जो अच्छे सरपंच हैं उनको इसमें लाना चाहते हैं, उनसे न्याय कराना चाहते हैं तो इसमें २५ वर्ष की उम्र रखिये बजाय ३० वर्ष की उम्र के।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट यह है : add a new clause (v) after clause (iv) as follows:—

"(v) if he is not a resident of Nyaya Panchayat area."

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : बहुत अच्छा साहब।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह अर्ज करता हूं कि यह देखी हुई बात है कि अगर यह प्रोविजन नहीं लगावेंगे तो आज तक पंचायत समितियों और जिला परिषद् के लिए तो यह शर्त लगा दी है कि ब्लॉक का रहनेवाला होना चाहिए, लेकिन कोई प्रधान बने या प्रमुख बने तो किसी डिस्ट्रिक्ट का लाकर पंचायत समिति में ठोक देते हैं। आज तक यह दृष्टिकोण मौजूद है। देवली की पंचायत मौजूद है, उसके अन्दर टोंक का वकील लाकर ठोक दिया। वह सन्डे के सन्डे जाता है और दिन भर काम करता है और रात को आ जाता है। इसके लिए मेम्बर्स का ऑब्जेक्शन हो रहा है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जब यह ब्लॉक के लिए लगा दिया तो इसमें भी करना चाहिए कि जो पंचायत या जुडिशियल पंचायत का प्रधान या प्रमुख बनें वे पंचायत के क्षेत्र के रहनेवाले होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह ठीक रहेगा।

तीसरा अमेंडमेंट यह है: in sub-section (6) replace the words "within a period specified in this behalf by the officer incharge of Panchayats' by the words 'within a month from the

(डॉ० बहादुरसिंह)

date of the administration of oath.' मैं अर्ज करता हूं कि इसमें आपने जो स्पेसीफाइड शब्द रखा है वह वेग शब्द है । इसमें आप निर्धारित कर दीजिये एक महीने, दो महीने, १५ रोज, तो इसके लिए सहूलियत हो जायगी । आपकी मर्जी हो तो तीन महीने में करायें, आपकी मर्जी हो तो छः महीने में करायें । मैंने ऐसी पंचायतें देखी हैं जहां पंचों के चुनाव हो गये लेकिन सरपंच का चुनाव नहीं हुआ, वह बाहर बैठा हुआ है । जब पंचायत समितियों के चुनाव होने लगे तो सरकार ने क्या किया कि पुरानी पंचायतें थीं उनको पंचायत मान कर उनमें से सरपंच को लेकर वोट ले लिये । यह ठीक नहीं है, इसलिए इसमें टाइम स्पेसीफाइड कर दीजिये, तो यह ठीक रहेगा ।

चौथा अमेंडमेंट यह है, इसमें तो आपने 'चूज़' शब्द लिखा है, इसके लिए मैं सुझाव देता हूं : Replace the word 'choose' wherever it occurs in the section by the word 'elect'. इलेक्ट का वर्ड जोड़ देना चाहिए...

डॉ० बहादुरसिंह : कहां जोड़ा जायेगा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : यहां जोडेंगे, मैं बताऊं । जहां आपने लिखा है " The members of the nyaya panchayat shall choose " तो इसको इलेक्ट कर देना चाहिए और इलेक्ट करने से मैं यह लिखता हूं " The members of a Nyaya Panchayat shall elect within a period......"

My other amemdment is that after sub-section (7) add the following new sub-section (8) :- "The members and the Chairman of a Nyaya Panchayat shall be paid such remuneration as may be fixed by the State Government. " तो जो चेअरमैन होगा, मेम्बर होंगे, वे ओनरेरी होंगे । मैं कहता हूं कि इसके द्वारा आप करप्शन का दरवाजा खोलते हैं क्योंकि पहले ओनरेरी मजिस्ट्रेट होते थे, रियासत के टाइम में.....

डॉ० बहादुरसिंह : इलेक्ट कौन करेगा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि उनके लिए आपको कोई पे निर्धारित करनी चाहिए । मैंने आज ही सुना है, पता नहीं कहां तक सच है, पंचायत समिति के प्रधान के लिए भी आपने प्रावधान किया है....

एक माननीय सदस्य : १५० रुपये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसी तरह आप न्याय पंचायत के चेअरमैन के लिए भी इसमें प्रावधान रखिये । मैं आपको निवेदन करूं कि मेरी देखी हुई बात है कि काश्तकार मेम्बर है । उनके खेत में काम करने का टाइम होता है । वे तीन तीन रुपये देकर आदमी रख कर आते हैं, और मैं समझता हूं उनको तीन रुपये यहां से दिये जाते हैं, वे कहते हैं हमको क्या फायदा है, अगर हम सारे खेत पर जाते तो पांच रुपये मिलते । मेरा अर्ज करने का मतलब है कि यहां जो विधान सभा में आये हैं, उनमें से सबके खेत तो हैं नहीं ! मेरे खेत हैं, मेरा जो आदमियों पर खर्च लगता है उससे मुझे मालूम

(रावराजा श्री सरदारसिंह).

होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह आप जरूर देख लेना। इसको करके देखें कि अगर उनके लिए तनख्वाह या भत्ते का प्रावधान नहीं करेंगे तो करप्शन फैलेगा और न्याय पंचायत की अपीलें सेशन जज के पास जायेंगी, तो उनमें बड़ी त्रुटियां होगी। इससे रिश्वत बढ़ेगी और सरकार को इसको सम्हालना मुश्किल हो जायगा। तो मेरा यह संशोधन है, उसको स्वीकार करने की कृपा करें।

आगे मेरा एक छोटा सा अमेंडमेंट एफ० में और है।

श्री अध्यक्ष : "Provided that two-thirds of the members of the bench are present there."

रावराजा श्री सरदारसिंह : Yes, Sir In sub-section (4) of section 27 F add the following at the end:-

'Provided that two-thirds cf members of the bench are present there.'

अब मैं कहता हूं कि कभी कभी माननीय अध्यक्ष, कोरम के वास्ते इतना झगड़ा होता है कि यह चेअरमैन की मर्जी के ऊपर हो जाता है तो इसमें प्रेस्क्राइब कर दिया जाय कि २।३ मेम्बर्स तो जरूर मौजूद होने चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आपका एक २७ G. में भी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : In sub-section (1) of section 27 G- (i) replace the words 'the officer-in-charge of Panchayats' by the words the District and Sessions' Judge having Jurisdiction, and ?

(ii) add the following proviso :-

"Provided that a person appointed shall have experience of working of a panchayat or of other administration of not less than five years."

तो मैं अर्ज करूं कि वहां ऑफिसर मुकर्रर किये जायं, रूल्स रेगुलेशन्स फोलो किये जायं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये न्याय पंचायतें हैं और इनकी अपीलें सेशन जज के पास होंगी तो रूल्स रेगुलेशन्स सेशन जज के होने चाहिये। तो उनका स्टाफ, हाई कोर्ट के जितने कायदे कानून हैं, वे ही इस न्याय पंचायत के लिये होने चाहिये, वर्ना एग्जीक्युटिव पंचायतों का कानून इन पर लाद देंगे तो आज जुडिशियरी और एग्जीक्युटिव को सेपरेट करने की बात है वह नहीं रहेगी। सरकार कहेगी कि फलां को रखो, फलां को हटाओ, क्योंकि आजकल तो यहां तक व्यवस्था हो गई है कि कोई चपरासी तक रखना हो तो ऊपर से कहे माफिक रखे जाते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : आपका भाषण मन्त्री महोदय सुन तो नहीं रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनकी कुर्सी तो सुन रही है।

श्री अध्यक्ष : वे खुद खड़े हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शायद परामर्श लेने गये होंगे, आप तो सुनते होंगे। न्याय पंचायतों के लिये रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स हाई कोर्ट के होने चाहिये, नहीं तो दिक्कत

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

पड़ेगी। हाई कोर्ट में सेशन्स कोर्ट में रिट कर दिया तो यदि वह रूल्स के माफ़िक नहीं होगी तो रिट रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जुडिशियरी है। तो मेरा निवेदन है कि एग्जीक्युटिव के रूल्स लागू मत करिये। यही मेरा निवेदन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं बोलूं साहब।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): अभी तो हमारे संशोधन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २० में मैंने दो संशोधन दिये हैं। पहला संशोधन मेरा उस आयु के सम्बन्ध में है। यद्यपि अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो मूल विधेयक में ३० वर्ष की आयु निर्धारित की है उसके स्थान पर २५ की आयु रखने का सुझाव दिया है, लेकिन मैं कुछ उल्टी धारा में चलना उपयुक्त समझता हूं। मैं ३० के स्थान पर ३५ रखना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि यद्यपि बहुत सी युक्तियां इस सम्बन्ध में दी गई हैं कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ६५ की आयु रखिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एम० एल० ए० रिटायर हों, वे लिये जायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कम से कम रावराजा साहब के लिये तो होना ही चाहिये।

यद्यपि बहुत सी युक्तियां दी गईं कि २१ साल के बाद में आर० ए० एस०, आई० ए० एस० होकर आ सकते हैं, एम० एल० ए० हो सकते हैं, पंचयतों के लिये खड़े हो सकते हैं तो न्याय पंचायतों के लिये खड़े क्यों नहीं हो सकते ?

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूं और मैंने गांवों की पंचायतें देखी हैं। आजकल नये चुनाव के आधार पर चुनी हुई नहीं, पर वास्तव में जिन पंचायतों को न्याय का मन्दिर कहते थे, जिनसे लोगों को वास्तव में न्याय मिलता था उन पंचायतों में, विशेषत: गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करते थे। यों नवयुवक भी बैठते थे पर बुजुर्गों को विशेष रूप से इकट्ठा करते थे और समझते थे कि वे बुजुर्ग लोग ईश्वर, परमात्मा, खुदा जो भी है उसको हाजिर-नाजिर करके न्याय करेंगे। ऐसा लोगों का विश्वास था। यह विश्वास आज कहां तक रहा है, मैं नहीं कह सकता। यह मानी हुई बात है कि उम्र के साथ साथ संजीदगी आती है। हमारे यहां राज्य परिषद के लिये है और मेरा खयाल है दूसरे मुल्कों में मिनिस्टरों की आयु निर्धारित की है और ३५ से ऊपर आयु रखी है। इसलिये रखी है कि वे लोग जमाने को देख लेते हैं, उन्हें अनुभव हो जाता है। २५,३० वर्ष की अवस्था के व्यक्ति पंचायत के पंच, सरपंच हो सकते हैं, ऐसे युवक कुछ दिन पंचायतों के पंच और सरपंच रहें और उनको अनुभव हो जाय, सेवा का, ग्रामीण विकास का, उसके बाद न्यायासन पर बैठें तो उपयुक्त होगा। यह बात नहीं कि मैं युवकों को योग्य नहीं समझता, न्यायप्रिय या ईमानदार नहीं समझता, आखिर युवक ही तो होंगे ३५ साल के। ६५ या

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

५५ साल का तो लौट कर ३५ की उम्र पर नहीं आयेगा, २५,३० वाला ही उस अवस्था पर पहुँचेगा।

न्यायासन की, विक्रमादित्य के न्यायासन की कहानियां पढ़ा करते हैं। यह बड़ा ऊंचा और पवित्र स्थान होता है। हम अभी उसमें इतनी व्यवस्था करना चाहते हैं कि हिन्दी पढ़नेवाला अच्छा पढ़ा लिखा हो। अच्छे पढ़े लिखे की कोई परिभाषा नहीं तो उस हालत में इसका मतलब यह होगा कि जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ कर युवक होंगे वे ही वहां होंगे। जिन मजिस्ट्रेटों की बात करते हैं तो हमें यह मानना चाहिये कि उन्होंने कानून को विधिवत् पढ़ा है, कॉलेजों में शिक्षा पाई है, रात दिन हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स और अदालतों के फैसलों को वे लोग देखते हैं इसलिये यदि उन पढ़े-लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को न्याय का काम सौंप दिया जाता है तो यहां यह एनोलोजी, उपमा ठीक नहीं बैठती कि यदि इस उम्र के मजिस्ट्रेट होकर न्यायलयों में काम करते हैं तो न्याय पंचायतों में काम क्यों नहीं कर सकते? यहां अनुभव की आवश्यकता है, बाकायदा शिक्षा से और कानून के अध्ययन से जो उन लोगों ने ग्रहण किया है वह सब कुछ गांवों के नवयुवक ग्रहण नहीं कर पाते, पर धीरे धीरे अनुभव से कुछ सीख जाते हैं। वास्तव में संजीदा, बुजुर्ग लोग न्याय करते हैं, वे उचित अनुचित को देख कर, सब की बात सुन कर ठीक ही न्याय करेंगे, ऐसा लोगों का विश्वास होता है। यह आम लोगों का विश्वास है कि उम्र के साथ न्याय की भावना भी आती है।

मैंने पंचायतों के लिये नहीं कहा, वहां ठीक है, २५ वर्ष की उम्र रखी है, पर जहां न्याय पंचायतों का प्रश्न है, मैं न्याय पंचायतों के लिये आवश्यक समझूंगा और मन्त्री महोदय से भी कहूंगा कि ३० के स्थान पर ३५ रखें। आखिर आपने आयु बढ़ाई तो है, २५ से ३० की है, तो २५ से ३० करने के लिये जो युक्ति है तो ३५ के लिये वह युक्ति और भी वज़नदार होगी। ३५ की उम्र राज्य सभा के लिये रखी है, ठीक नहीं बता सकता पर इंग्लैंड में ३५ की आयु को रखा है। तो यहां ३५ की आयु रख लें, न्याय पंचायतों में ठीक न्याय देने के लिए इस आयु के लोग ही उपयुक्त होंगे।

दूसरा मेरा जो संशोधन है वह यह है कि यह जो आपने योग्यता रखी है न्याय पंचायतों के पंचों के लिये कि पहली तो आयु सम्बन्धी है और दूसरे में यह है कि हिन्दी का उसको ज्ञान होना चाहिये। आपने लिखा: "Freely, fluently and legibly" पढ़ या लिख सकता हो। मैं समझता हूं कि ये अनुचित से शब्द हैं और मुझे अनुभव है कि इसका दुरूपयोग होता है। हमें जिला परिषदों और तहसील पंचायतों का अनुभव है। मुझे कतई यह आशा नहीं थी और कभी भी मैंने यह विचार नहीं किया था कि प्रशासन के पद पर वे लोग भी आ सकते हैं जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। मुझे मेरी कॉन्स्टीठ्युएन्सी का पता है कि जो लोग एक अक्षर भी नहीं पढ़े हुए थे उनको भी ले लिया गया। इसलिये यह 'फ्लुएन्टली, फ्रीली और लेजिबली' शब्द तो बड़े अच्छे हैं लेकिन व्यवहार में सार्थकता नहीं रहती। इसलिये मैं देखता हूं कि आप ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं तो ट्रेनिंग में टैस्ट की व्यवस्था रखी जावे। टैस्ट कैसा हो, यह तो

Page No.65

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मैं नहीं कह सकता कि न्याय विशारद का ही टैस्ट हो लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार बोर्ड या युनिवर्सिटी है उसके अनुसार टैस्ट हो मगर टैस्ट की व्यवस्था अवश्य करें। गवर्नमेंट जिस प्रकार से टैस्ट लेने चाहें ले। गवर्नमेंट कई प्रकार के टैस्ट रख सकती है। शायद हिन्दी का टैस्ट भी गवर्नमेंट रख रही है तो इसका भी टैस्ट हो जिससे न्याय अच्छा हो। आप चाहें तो रिफ्रेशर्स कोर्स ही खोल दें और ट्रेनिंग दें मगर सब कुछ होते हुए भी चाहे वह व्यक्ति साधारण पढ़ा लिखा हो, एक टैस्ट और हो जिससे मालूम हो जावे कि जैसी योग्यता वह बता रहा है वैसी उसमें है या नहीं। मेरा एक और संशोधन यह है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसको उचित और आवश्यक समझेंगे कि बिना टैस्ट के 'Freely, fluently and legibly' इन शब्दों से कोई मतलब नहीं निकलेगा और ये शब्द बड़े वेग हैं। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है " If he has not passed a test prescribed by the Government. " उसकी अयोग्यता इसी में समझी जावे कि उसने टैस्ट पास नहीं किया है। " Prescribed by the State Government in this behalf. " जिस कार्य के लिये गवर्नमेंट स्वयं निश्चित करे। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करे कि जिनको हम न्याय आसन पर बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं उनकी परीक्षा अवश्य हो-वे हिन्दी जानने वाले अवश्य हों। उनके पास कोई इसका प्रमाण जिससे हो, खाली उनके कहने से नहीं माना जा सकता कि वे योग्य हैं; इसलिये उनका एक टैस्ट हो ताकि जो कुछ उसने बताया है वह ठीक है या नहीं। मैं समझता हूं कि यह उचित, समीचीन होगा और माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया संक्षेप में ही बोलें। काफी समय हो गया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मैं संक्षेप में ही बोलूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज २० के बारे में संशोधन है : " Substitute the words 'a bench for every village' for the word 'bench,' occurring in the penultimate line of sub-section (1) of section 27 D. " क्लॉज २७ (डी) के अनुसार जो न्याय पंचायतें होंगी वे बैंचेज़ बनायेंगी और काम का बंटवारा जिस तरह राज्य सरकार नियम निर्धारित करेगी उसके अनुसार होगा। मेरा यह सुझाव है कि हर गांव के लिये बैंच हो और जितना समय वे इस काम में दे सकें दे। मेरा यह सुझाव है कि जिस तरह हम पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं वे इसलिये दे रहे हैं कि वहां की जनता को प्रशासन की सुविधा हो, उनको न्याय की सुविधा हो और उनको सस्ता न्याय मिले और हर गांव में गांववालों को वहीं न्याय मिल सके जैसा पहले हुआ करता था। पहले क्या होता था, कि गांव के खास खास लोग, मुखिया इकट्ठे होकर गांव में फैसला करते थे और उनका फैसला सभी गांववालों को मान्य हुआ करता था जिस तरह आज गांवों में ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें हैं, अब ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत के साथ साथ गांवों में न्याय पंचायत की बैंच भी रहेगी जो उस छोटे से गांव की

(डॉ० चन्द्रकला)

अदालत होगी और उस गांव के मामलों के उसी गांव में फैसले होंगे। मगर इसमें जो प्रोविजन रखा है उसको देखने से यह पता नहीं लगता है कि बैंच कहां होगी। बैंच की बैठक उसी गांव में होगी या ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति के कार्यालय में होगी। अगर पंचायत समिति के कार्यालय में बैठक होगी तो लोगों को वहां पर जाना पड़ेगा अपने न्याय के लिये। इसके लिये सारे रूल्स सरकार बनाएगी। इसलिये इसमें स्पष्टीकरण करने की बात है कि यह बैंच कहां पर रहेगी। अगर यह बैंच तहसील हेडक्वार्टर या तहसील पंचायत में रहेगी तो उन ग्रामीणों के साथ वही बात और आजकल की परम्परा होनेवाली है कि वे तहसील की कचहरी में दिन भर बैठे रहें। जिस प्रकार लोगों को अपने न्याय के लिये तहसील में जाना पड़ता है उसी प्रकार जाना पड़ेगा और पैसा व समय खर्च करना पड़ेगा और लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये सबसे अच्छा यही होगा कि न्याय पंचायतें जो ब्रांच बनाएं तो सदस्य उस बैंच के सदस्य हों वे सब सदस्य वहीं गांव के मुकदमें देखें और निपटा दें। अगर कोई मामला गम्भीर हो और जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता हो उसके लिये अगर वे चाहें तो अलग कार्यवाही कर सकते हैं। मगर मामलों का निर्णय वहीं पर करें और अगर किसी को उनके फैसले से नाराजगी हो तो उसकी अपील आगे हो सकती है। इस तरह का प्रावधान रखा जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने 'बैंच' का शब्द रखा है; यह साफ जाहिर नहीं करता कि बैंच की बैठक कहां होगी। इसलिये मैंने यह रखा है। हर गांव की बैंच अलग अलग हो।

इसके अलावा मैंने दूसरा संशोधन रखा था, पता नहीं उसका क्या हुआ। मैं यह निवेदन करूंगी कि इसमें ऐसे कई संशोधन हैं जिनको स्वीकार करना आवश्यक है। जैसे भाषा पर ही आती हूं। उसमें लिखा है कि जो सदस्य न्याय पंचायत के सदस्य होंगे, धारा प्रवाह हिन्दी पढ़े-लिखे होने चाहिये। हम देखते हैं कि लोक सभा और विधान सभा में बिना पढ़े-लिखे लोग आते हैं मगर यहां तो बगैर पढ़े-लिखे लोग भी सदस्य हो सकते हैं लेकिन यह न्याय का मामला है इसलिये उनको न्याय की जानकारी होनी चाहिये, इसलिये वे पढ़े-लिखे होने चाहिये, इसलिये ऐसा किया गया है। आपने लिखा है "Freely, Fluently and legibly." तो हम देखते हैं कि जितने बड़े आदमी हुए हैं वे हमेशा अस्पष्ट ही लिखते रहे हैं। लेजिबल नहीं लिख सकते हैं। इसलिये अगर ऐसा रखेंगे तो वे लोग तक सदस्य नहीं हो सकेंगे। हमको कई दफा यह बताया जाता है सरकार की तरफ से कि कानून की भाषा साफ होनी चाहिये। मगर यह कानून सरकार की तरफ से आया है इसलिये इसकी भाषा बिल्कुल क्लीअरकट होनी चाहिये लेकिन यह गोलमाल और कन्फ्यूज़न पैदा करनेवाली है और इसीलिये यह सुझाव दिया गया है कि जो ऑर्डिनेरी हिन्दी पढ़ सकते हैं यह रख दिया जावे बजाय "Freely, fluently and legibly" इसलिये "Freely, fluently and legibly." इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अब समय कम है इसलिये मैं विशेष नहीं कह कर यही निवेदन करूंगी कि जो भाषा-ज्ञान के सम्बन्ध में ऑर्डिनेरी हिन्दी का संशोधन है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मामूली हिन्दी पढ़ा हो, यह आपके संशोधन में तो नहीं है।

(श्री तेजमल बापना के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है और काफी समय ले लिया गया है। मेरे ख्याल से अब इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तेजमल बापना : मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो आप बहुत ही संक्षेप में कहिये।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज की दो-तीन बातों पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। सबसे पहले न्याय पंचायतों के सदस्यों की उम्र के बारे में सब क्लॉज (३) में ३० साल की आयु का प्रावधान रखा गया है। इस पर कुछ सदस्यों के सुझाव आये कि २५ साल की उम्र कर दी जाए और एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि ३५ वर्ष की उम्र कर दी जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि ३० वर्ष की उम्र का उल्लेख किया है वह उचित है। न्याय के ऐसे मामले हैं जिसमें कुछ संजीदगी और विचारयुक्त व्यक्ति का होना आवश्यक है। यों तो एक पंचायत का सदस्य २५ साल का हो, यह उचित है लेकिन न्याय पंचायत में न्याय के लिये मामले आते हैं, इसलिये उसमें ३० साल की आयु रखी है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है।

दूसरा सब क्लॉज (६) में :

" (6) The members of a Nyaya Panchayat shall choose within a period specified in this behalf by the officer-in-charge of panchayat one from amongst themselves to be the chairman of such Nyaya panchayat."

तो 'चूज़' के स्थान पर 'इलेक्ट' होना आज के युग में जरूरी है। क्योंकि सब व्यक्ति एक साथ बैठ कर इलेक्ट कर लेंगे, इसलिये यह होना जरूरी है। इसका सब-क्लॉज (७) है उसको हटा दिया जावे और मैं इसके हटाये जाने के पक्ष में हूं। आपने इसमें दो वर्षों से रोटेशन का प्रावधान रखा है और कार्य-काल तीन वर्ष का रखा है। मैं समझता हूं कि यह रोटेशन का जो प्रावधान आपने रखा है गांवों के लिये उपयुक्त नहीं होगा और हर बार पंचों के रिटायर होने पर चुनाव दुबारा होने में काफी परेशानियां उठानी होगी।

एक सदस्य महोदय ने क्लॉज २७ जी में यह रखा कि "officer-in-charge of Panchayats." के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज कर दिया जाय, यह सुझाव दिया वह उचित नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के अन्डर में न्याय पंचायतें नियुक्त हों, कर्मचारी नियुक्त हों, डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के कहने से नियुक्त हों, यह ठीक नहीं है। ऑफिसर इन्चार्ज ऑफ पंचायत का जो

२. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रावधान किया है वही ठीक है और वह ही रहना चाहिये।

चौथा, माननीय सदस्य ने हर गांव के लिए बैंच बनाने का सुझाव दिया है। वह

(श्री तेजमल बापना)

कैसे उपयुक्त हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या हर एक गांव में न्याय पंचायत किये जाने की उनकी मन्शा है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। गांवों के समूह के लिए तो बैंच की जाय यह तो उपयुक्त हो सकता है लेकिन हर एक गांव के लिए बैंच रखने से तो न्याय पंचायत बनाने का जो मूलभूत आधार है उसके अनुसार ही यह ठीक नहीं रहता है। उनके सुझाव का मैं विरोध करता हूं। जैसा मैंने बताया क्लॉज ७व ६ में 'चूज़' के बजाय 'इलेक्ट' शब्द रखा जाय और सारा प्रावधान जैसा रखा गया है उसको मन्जूर किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा २७ जी में न्याय पंचायतों के सदस्य चुने जाने के लिए ३० साल की उम्र रखी गई है और इस विषय में सलूम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य और उनियारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं और उन्होंने यह बताया है कि पंचायत समिति में जहां फैसले सुने जाते हैं वहां ३० साल की उम्र रखी गई है मैं मूल पंचायत एक्ट, ५३ की धारा ११ की उप धारा (ग) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि कोई पंच चुना जावे तो २५ साल उम्र रखी गई है। तो न्याय पंचायतों में अनुभवी और शिक्षा की दृष्टि से होने चाहिये, ज्यादा उम्र के होंगे तो अनुभवी होंगे और ठीक न्याय कर सकेंगे। इसलिए ३० साल की उम्र रखी गई है, वह उपयुक्त है और न २५ साल होनी चाहिये और न ही ३५ साल। दो, चार साल ज्यादा रहे तो अच्छा ही है, २५ से ३० हो गये हैं।

दूसरा निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायतों के लिए क्लॉज २७ सी के सब क्लॉज़ (७) में राज्य सभा की तरह चुनाव का प्रावधान रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत और पंचायत समिति के लिए कार्यकाल की अवधि तीन साल रखी है वैसी सूरत में इनके लिए भी तीन साल की ही अवधि रखी जाय और यह जो अवधि दो साल की निर्धारित की है वह उपयुक्त नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं निकलता है कि इस न्याय पंचायत के लिए अलग से इस तरह का प्रावधान रहे। इसलिए श्री पी० के० चौधरी ने जो संशोधन संख्या ५० रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

क्लॉज २७ एफ. में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। क्लॉज़ २७ च के पार्ट (२) में है " किसी वाद या मामले का प्रत्येक पक्षकार शीघ्रातिशीघ्र अवसर पर, अधिक से अधिक एक पंच के बारे में, आपत्ति उठाने का, अपनी आपत्ति का आधार बताये जाने की अपेक्षा न की जाते हुए, हकदार होगा और वह पंच ऐसे वाद अथवा मामले की सुनवाई के समय पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहेगा।" "एक पंच" की जगह 'सदस्य' होना चाहिये, " वह पंच " की जगह भी 'सदस्य' होना चाहिये। दूसरी जगह 'सदस्य' रखा है। अंग्रेजी के ड्राफ्ट में भी गल्ती है, हिन्दी में भी है। किसी ने भी इसमें संशोधन नहीं रखा है, यह आवश्यक है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स

(श्री सम्पतराज जैन)

जज को न्याय पंचायत के पंच को हटाने का अधिकार दिया गया है। चुने हुए पंच को हटाने का अधिकार सरकार को होना चाहिये न कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को। न्याय पंचायतें चुनी हुई बॉडीज़ हैं।

मैं आशा करता हूं कि ये जो बातें मैंने रखी हैं उनकी ओर मन्त्री महोदय ध्यान देंगे और उनको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, न्याय पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा है। सरकार ने अधिकार लिये हैं कि पांच –सात पंचायतों पर सर्किल बनाया जाय। लेकिन इसके साथ ही प्रोविजो रखा गया है कि इससे कम संख्या पर भी पंचायत सर्किल बनाया जा सकता है। तीन से कम तो बनाने का सवाल ही नहीं आता है। दूसरी दिक्कत यह आवेगी कि ८ हजार से ऊपर की जन–संख्या के कस्बों को नगरपालिका में परिवर्तित किया है और उससे नीचे के पंचायतों में। ७ हजार की भी जन–संख्या है और २ हजार की भी जन–संख्या है। यहां भी पंचायतें बनाई हैं। न्याय पंचायत में पंच भेजेंगे तो सात हज़ार की जनसंख्या वाले को और दो हजार की जनसंख्या वाले को, दोनों को एक ही अधिकार होंगे। जहां प्रतिनिधित्व का प्रश्न आवेगा न्याय पंचायतों में वहां गलत हो जावेगा यह। जहां इस प्रकार से सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है तो वहां पर आबादी का झगड़ा आवेगा। कई गांव एक युनिट होने के कारण ७ हज़ार की आबादी के हो गये। उनका भी एक ही प्रतिनिधि होगा और २ हजार का भी एक। दूसरा यह लिखा है कि कोई पंच, सरपंच पंचायत समिति का अध्यक्ष न्याय पंचायत का सदस्य नहीं बन सकेगा। इसमें ही स्पष्ट कर देना चाहिये कि ऐसे सदस्य हों, विधान सभा के सदस्य हों, उसमें खड़े ही न हों; स्पष्ट प्रावधान कर देना चाहिये।

इसके अलावा चुनाव की जो पद्धत्ति रखी है वह भी किसी प्रकार से सफल होती हुई नहीं दिखाई देती है। एक सर्किल में एक पंचायत एक प्रतिनिधि भेजेगी वह एवरी टू इयर रिटायर होगा और फिर इलेक्शन करेंगे। जिस प्रकार से राज्य सभा का इलेक्शन करते हैं उसी प्रकार का प्रावधान न्याय पंचायतों के लिए रखा है। उनका पीरियड कन्टीन्युएशन में हो गया। लिमिट नहीं है। १।३ रिटायर होते रहेंगे। यह प्रावधान उचित नहीं है। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए तीन साल की अवधि रखी है उनके समकूल ही इसका भी रख देते हैं तो अच्छा रहेगा। हर तीसरे साल पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें आवेंगी तो ये न्याय पंचायतें भी नई गठित होंगी। नहीं तो पंचायत विभाग को हर साल के लिए निर्णय करना पड़ेगा कि कौन रिटायर हो रहा है, किनका इलेक्शन होना है। इससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि हर एक को तीन साल काम करना है और तीन साल के बाद चुनाव होने के हैं। इस तरीके को सभी समझ सकेंगे। नये तरीकों को लावेंगे तो गावों में लोग समझ नहीं सकेंगे। यह लिखा है, "if he is unable to read and write Hindi fluently freely and legibly, or".

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इन शब्दों का उपयोग निर्वाचन अधिकारी किसी प्रकार कर सकता है। नगरपालिका और पंचायत एक्ट में यह था कि वह लिख-पढ़ ले। लेकिन यहां रखा है फ्लुएन्टली, फ्रीली और लेजिबली; तीन विशेषण लगा दिये हैं। निर्वाचन अधिकारी जो होगा उसकी इच्छा इसमें रहेगी। किसी आदमी के लिए भी यह विशेषण काम में ले सकता है। मैं हिन्दी पढ़ा हूं लेकिन कहेगा कि तुम अटक कर पढ़ते हो, स्पष्ट नहीं पढ़ सकते इससे मेरा पर्चा खारिज किया जा सकता है। जो ये विशेषण लाये गये हैं इनका हर स्थानों पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग होगा क्योंकि निर्वाचन अधिकारी की केवल मात्र इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसके दुरुपयोग की पूरी संभावना है। केवल यहां इतने ही शब्द रखे जाने चाहिये कि वह हिन्दी लिख-पढ़ सके। निर्णय लिखने का काम पंचों को नहीं करना है लेकिन उनको लेखक दिया जावेगा और जिसको वे अपने पास रखेंगे वह लेखक लिखेगा। उनका काम केवल बताना है कि हमने ये ये निर्णय लिए हैं। इसलिए यह जो विशेषण रखे हैं उनका निर्वाचन अधिकारी दुरुपयोग करेगा। इस प्रकार के जो अनावश्यक विशेषण हैं उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन अनावश्यक शब्दों को हटा दें, यही मेरी मन्शा है; इससे ठीक रहेगा। इस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : There is lack of quorum, Sir.

(गणपूरक घंटी)

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७ सी में जहां न्याय पंचायतों के कम्पोज़ीशन पर विचार किया जा रहा है उसके सब क्लॉज़ (३) के एक और दो में न्याय पंचायत के सदस्यों के पढ़ने-लिखने की योग्यता के बारे में एक विशेष लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचारों के अनुसार राय दी है। इसमें बतलाया गया है कि तीन वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सदस्य न हो और कुछ सदस्यों ने २५ और ३५ की आयु रखने का भी कहा है। उसके साथ साथ उसकी योग्यता के बारे में लिखा गया है "He can read and write Hindi fluently, freely and legibly ......" जैसा कि हमें गांवों का अनुभव है मैं समझता हूं अगर आपने बीस या तीस से अधिक उम्र के मेम्बर को रखा तो उसमें इस प्रकार की योग्यता मिलनी मुश्किल है क्योंकि ३५ वर्ष या ३० वर्ष का आदमी फ्लुएन्टली, लेजिबली हिन्दी लिख-पढ़ नहीं सकता। इस तरह से इस उम्र का इस योग्यतावाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि यह कानून हम उन गांव-वालों के लिए बनाने जा रहे हैं और जनता में से मेम्बर लेना है जहां शिक्षा का अभाव रहा है। राजस्थान के गांवो में पिछले दस वर्षों से शिक्षा का प्रचार हुआ है। लेकिन जो पढ़ने की रुचि बढ़ी है वह पिछले दस वर्षों से बढ़ी है, वैसी हालत में पैंतीस साल का व्यक्ति जिसको आप मेम्बर की तौर पर लेंगे फ्लुएन्टली और फ्रीली लिख-पढ़

(श्री रामचन्द्र)

नहीं सकेगा और न इस उम्र का, इस योग्यता वाला व्यक्ति ही आपको मिलेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ३०–३५ साल की उम्र के बजाय २५साल की उम्र मिनिमम रख दी जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। २५ साल की उम्र का सदस्य अच्छा पढ़ा लिखा मिल सकता है उतना ३०–३५ साल की उम्र का पढ़ा लिखा नहीं मिल सकेगा। इसका नतीजा यह होगा कि गलत आदमी आजायेंगे और आपस में झगड़े होंगे; रिटें पेश होंगी और पंचायत का काम ठप्प हो जायगा। जहां आपने मेम्बर के लिए इतनी योग्यता रखी वहां आपको एग्ज़ामिनेशन की योग्यता रख देनी चाहिये। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिये और जिस प्रकार के गुण आपने चाहे हैं वे तो उसी में हो सकते हैं। और मैट्रिकुलेट तीस पैंतीस साल का व्यक्ति मिलना मुश्किल है वैसी हालत में आप यदि क्वालिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो वहां उम्र तीस–पैंतीस साल की जगह २५ साल की रहनी चाहिये।

इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि अधिक उम्र का पंच होता है वह न्याय अच्छा कर सकता है, उसको ज्यादा तजुर्बा होता है; लेकिन हमारा यह अनुभव है जहां अधिक उम्र होती है वहां अधिक लोगों के सम्पर्क में आने की वजह से, आपसी मुलाहिजा की वजह से वह व्यक्ति अपना डिस्क्रिशन नहीं लगा सकता और मुलाहिजा में आकर न्याय के साथ मुलाहिजा भी बरत लेता है। वैसी हालत में यदि कम उम्र का सदस्य रखा जाय तो वह अपने डिस्क्रिशन पर न्यायोचित फैसला दे सकता है। दोनों तरह से देखेंगे तो २५ साल की उम्र ही निहायत उपयुक्त है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय :(पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत क्लॉज़ पर जो भिन्न भिन्न संशोधन प्रस्तावित हुए हैं उन पर अपने विचार प्रदर्शित करने के पहले मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि मैं किन किन संशोधनों को स्वीकार करना उचित समझता हूं। सबसे पहले तो इस क्लॉज़ में '२७ आई' है आखिरी क्लॉज़, इसको विलोपित कराना चाहता हूं। पेज १० पर जो संशोधन है कि क्लॉज़ २७ आई विलोपित किया जाय, इसको ठीक समझता हूं।

इसके साथ ही इस २७ एफ़ का पार्ट(३) है उसमें 'पंच' शब्द आया है दूसरी लाइन में यह असल में गल्ती से आ गया है इसकी जगह 'मेम्बर' शब्द मान लिया जाय ...

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप जबाब दे रहे हैं या प्रस्ताव रख रहे हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रस्ताव और जबाब दोनों ही साथ साथ दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : "No member of a Nyaya Panchayat, who is a party to, or is personally interested in, any suit or case, shall hear or dispose of such suit or case."

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसी तरह से दूसरी लाइन में 'पंच' शब्द आया है, "to not more than one panch without being required to state the grounds of his Objection and such panch..." इसमें जो 'पंच' शब्द आया है इसको जगह

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मेम्बर शब्द प्रयोग होना चाहिये । इसी तरह से जहां कहीं भी पंच शब्द आया है वहां मेम्बर शब्द का प्रयोग किया जाय ।

अब मैं इसके बाद संशोधनों को लेता हूं : एक तो २७ आई० को ओमिट किया जाय और दूसरा जहां जहां भी 'पंच' शब्द है वहां मेम्बर हो जायगा ।

इसके अलावा जिन जिन माननीय सदस्यों के संशोधनों को स्वीकार किया है वे इस प्रकार हैं । श्री रामप्रसाद लड्ढा का संशोधन नं ४५ "Or a member of any standing committee of a Panchayat Samiti" ये शब्द जोड़ने के लिए कहा गया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतना ही मूव मैंने किया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सैशन्स जज का प्रोसीज़र जो हटाया है उसके वास्ते कुछ प्रकाश तो डालना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले सुझाव तो मानलें फिर प्रकाश आया करेगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूसरा संशोधन रावराजा सरदारसिंहजी का है "within a month from the date of the administration of oath". इसमें 'विदिन ए मन्थ' को स्वीकार करता हूं । इसके बाद है शंकरलालजी का संशोधन जिसमें उन्होंने 'चज़' की जगह 'इलेक्ट' शब्द सुझाया है । मैं इसको भी स्वीकार कर लेता हूँ ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (रावराजा श्री सरदारसिंह को संकेत करके) : आपका भी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री रावराजा का भी है । दोनों का सम्मिलित है ।

श्री उपाध्यक्ष : Both the amendments are identical.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आगे दयाकृष्णजी का है । जुडीशियल क्लर्क की जगह न्याय लिपिक रखने का । मूल अनुवाद में भी ये शब्द रखे गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप एक्सेप्ट कौन-सा करते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : न्याय लिपिक । इतने तो मैंने स्वीकार किये हैं ।

बाकी में आयु सम्बन्धी पेश किया गया । उसमें एक सुझाव ३५ वर्ष का भी है और एक २५ वर्ष का भी आया है । पर तीस का ठीक है । इसे सबको मन्जूर कर लेना चाहिये । ३५ की उम्र बहुत ज्यादा हो जावेगी । इससे देहातों में दिक्कत होगी । मिलने में मुश्किल होगी ।

श्री रामचन्द्र : वहां तो तीस के भी नहीं मिलेंगे ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : ३० के तो बहुत मिलेंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके बाद रोटेशन का कहा गया, अच्छी परम्परा डालने

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का कहा गया है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी कहा है यही। तो यह अच्छी परम्परा होगी, कुछ आदमी अनुभवी रहें और कुछ हटते चले जावें तो पुराने व्यक्ति भी रह जावेंगे और नया खून भी आता जावेगा। इसमें विरोध नहीं होना चाहिये और मन्जूर हो जाना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शिक्षा सम्बन्धी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिक्षा सम्बन्धी जो शब्द रखे गये हैं दूसरे शब्द होते तो ज्यादा अच्छा था। साधारण हिन्दी लिखे-पढ़े लोगों के लिए ठीक रहता। पर संशोधन ऐसा आया नहीं है और मामूली सी बात है। इससे कोई बड़ी भारी बाधा आवेगी नहीं, इसलिए जो रखा गया है वही ठीक है। करीब करीब जो मुख्य संशोधन थे उनका मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं मानता हूँ, जो मैंने मान लिये हैं उनके अलावा बाकी को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, इसलिये वे वापिस लिये जावेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आप मेरे दूसरे अमेंडमेंट के बारे में भी फर्मा दीजिये, नहीं तो ऑनरेरी हो जावेगा और करप्शन बढ़ेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नियमों में वह बात आ जावेगी इसलिए जरूरी नहीं कि यहां कहा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह-जी का जो एक्सेप्ट किया है माननीय मन्त्री महोदय, ने उसके अतिरिक्त दूसरा जो है उसको तो आप (श्री सरदारसिंह) वापिस ले रहे हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : दूसरा भी मैं वापिस ले लेता हूं, रूल्स में प्रावधान किया जावेगा; ऐसा इस आश्वासन के बाद मैं अपना यह अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंह के, अतिरिक्त उस संशोधन के, जो माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, बाकी को उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं इसके अतिरिक्त सभी अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्रीरावराजा ने प्रस्तुत किया और जिसे मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह ने 'चूज़' के बजाय इलेक्ट शब्द के प्रयोग करने सम्बन्धी प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २० पर श्री सोहनलाल भटनागर ने पेश किया उसे वापिस लेने की उनको अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया ? विथ दी एक्सेप्शन ऑफ ५६—संशोधन संख्या ५६ के अतिरिक्त- उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने क्लॉज़ २० पर संख्या ५६ प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

I am more. Corrsct than the Hon'ble Member.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मान लिया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: यह अन्त्येष्टि क्रिया नहीं है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ २० पर जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

Then Shri Shankar Lal.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न है कि क्लॉज़ २० पर जो संशोधन डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकर किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मिनिस्टर इन्चार्ज ने क्लॉज़ २० पर प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ २० है वह संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २१

(विराम)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ विधेयक का अंग बने ?

श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I would like to speak over this clause.

श्री उपाध्यक्ष : Don't you think that you are little late? When I was to put the question to vote, you rose on the chair. Any way, I would like to give you a chance.

श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) : It has not been put to vote, Sir, as yet. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ में जो ओरीजिनल एक्ट का सेक्शन २८ है उसमें एक अमेंडमेंट कराया जा रहा है : "In section 28 of the principal Act, for the words 'a panchayat' the words 'a Nyaya panchayat' shall be substi-

(श्री आबिदअली)

tuted." तो यह जो संशोधन किया जा रहा है; इसके विरोध में मैं बोल रहा हूं। The words 'concurrent with that of the criminal courts' shall be omitted प्रिन्सिपल एक्ट में उपाध्यक्ष महोदय जब हम उसके अन्दर सेक्शन २८ को देखते हैं तो उसमें ये शब्द हैं :

"Notwithstanding any thing contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, and subject to the provisions of this Act, a Panchayat shall have jurisdiction concurrent with that of the Criminal Courts, within the Panchayat Circle for which it has been established and constituted, for the trial of, and shall take cognizance of any offence and abetment of or attempt to commit, any offence, specified in the first schedule."

तो फर्स्ट शिड्यूल में जितने भी ऑफेन्सेज़ बताये हैं उनकी जुरिस्डिक्शन सोल्ली पंचायतों को दे दी गई है और जो क्रिमिनल कोर्ट्स के कॉन्करेट जुरिस्डिक्शन थीं वह लेजिस्लेशन के जरिये खत्म करने जा रहे हैं। नतीजा यह निकला कि उन ऑफेन्सेज़ में even without securiug a warrant, एक पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है चाहे उसकी वैल्युएशन २५ रुपये की हो, लेकिन उसके अन्दर पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी, चाहे उसका वैल्युएशन १० रुपये हो या ५ रुपये हों। लेकिन लॉ यह प्रोवाइड करता है कि आई० पी० सी० की ३८६ के केस में पुलिस का अधिकारी उसका इन्वेस्टीगेशन करेगा और चालान पेश करेगा और आज वह ऑफेन्स जो कि नॉन कॉग्नीजीबल है और नॉन-बेलेबल है उसका जुरिस्डिक्शन हम पंचायतों को देने जा रहे हैं। जो यह शब्द हैं 'concurrent with that of the criminal courts' आज यह निकल जाते हैं तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को या सेकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट को इस केस को ट्रायल करने के अधिकार नहीं होंगे और वह इस केस को ट्राई नहीं कर सकता। ऐसे केसेज़ कि जिनका वैल्युएशन २५ रुपये से कम होता है उनकी ट्रायल अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता बल्कि पंचायत करेगी। तो वहां पर प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर जिसको लीगल नॉलेज है और एक इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जिस केस का इन्वेस्टीगेशन किया है और पंचायत के सामने पेश किया है तो प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर को जिसको सारी लीगल नॉलेज होती है वह कम्पलेनेन्ट को पूरी मदद पहुँचायेगा और अपने केस को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करेगा और एक्यूज्ड की पोज़ीशन बड़ी गड़बड़ में पड़ जायेगी और वह अपने डिफेन्स में किसी वकील को भी नहीं कर सकता। हम पंचायत एक्ट को देखते हैं तो वह किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकता और इस तरह से हम कम्प्लेनेन्ट को अनड्यू एडवान्टेज देने जा रहे हैं। हाउस में बार बार यह बात कही जाती रही है कि पुलिस की ज्यादतियां बेहद बढ़ती जा रही हैं और बहुत से मामलात झूठे किस्म के पेश कर दिए जाते हैं। तो पुलिस के जो लोग हैं वे बहुत आसानी से मेनुपुलेट कर सकते हैं और नतीजा यह होगा कि ३८९ में जो केस दर्ज होगा और केस के दर्ज करने के बाद में यह ख्याल में रखते हुए कि एक्यूज्ड पंचायतों में वकील नहीं कर सकते और प्रोसी-

(श्री आबिदअली)

क्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर अपने केस को कामयाब कराके ले जायेगा। इसके अलावा जब हम आगे प्रिन्सिपल एक्ट में पढ़ें तो सैक्शन ३० के सब-सैक्शन (५) को भी अमेन्ड कर रहे हैं। सेक्शन ३० के सब-सेक्शन (५) में यह था कि किसी भी पंचायत को इम्प्रिज़नमेन्ट करने का अधिकार नहीं था लेकिन जब हम क्लॉज़ २२ को पढ़ेंगे तो उसके अन्दर यह साफ प्रावधान है कि सैक्शन ३० में जो सब-सैक्शन (५) है उसके अन्दर पंचायतों को जेल करने का अधिकार नहीं दिया गया है उसको जब हम डिलीट करने जा रहे हैं और जेल करने का अधिकार पंचायतों को देने जा रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह एक्यूज्ड के लिए अन्याय होगा। वैसे लीगल एडवाइज़ कम्पलेनेंट को नहीं मिलेगी तो एक्यूज्ड को भी नहीं मिलेगी लेकिन कम्पलेनेन्ट को इतना तो बेनीफिट होगा कि प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर उस केस को इन्वेस्टीगेट करेगा और फिर चालान करके पंचायत के सामने पेश करेगा और एक्यूज्ड अपने बचाव के लिए किसी प्रकार की भी लीगल असिस्टेन्स नहीं ले सकेगा तो यहां पर इस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं तो यह बहुत ही घोर अन्याय होगा और जो एक्यूज्ड है वह बहुत ज्यादा कठिनाई में चला जायेगा। हम फर्स्ट शिड्यूल को देखते हैं तो जो ओरीजिनल एक्ट है उसका आप मुलाहिजा फरमाइये। जो आपका ओरीजिनल फर्स्ट शिड्यूल है उसके अन्दर जो सैक्शन २८ के तहत में फर्स्ट शिड्यूल बनाया है उसमें सैक्शन १४० के तहत में जो केस होगा उसमें सब-इन्सपेक्टर विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, २८३ में विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, २८५ के अन्दर विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, २८६ में विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, २८९ में विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, २९० के अन्दर विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, ३३६ के अन्दर विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है, ३४१ सैक्शन के अन्दर विदाउट वारन्ट अरेस्ट कर सकता है। आपका जो शिड्यूल है विदाउट वारन्ट अरेस्ट करने के और जो सैक्शन्स हैं कि जहां एक सब-इन्सपेक्टर इन्वेस्टीगेशन करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर सकता है तो जो क्लॉज़ २१ के अन्दर कॉन्करेन्ट जुरिस्डिक्शन कोर्ट को था उसको आप समाप्त कर देंगे तो यह एक्यूज्ड के साथ इनजस्टिस होगा और इससे यह होगा कि प्रोसीक्यूशन की साइड से इन्सपेक्टर के जरिये से और सब-इन्सपेक्टर के जरिये से प्रोसीक्यूशन को मदद मिलती रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हो सकता है कि प्लानिंग कमीशन की रिकमन्डेशन इस प्रकार की हो लेकिन मेरा निवेदन है कि हाउस इसको पूरी तरह से देखे और जो एक्यूज्ड को एक अनड्यू डिसएडवान्टेजीयस की पोज़ीशन में रखा है और जब कि उसको टैक्निकल एडवाइज़ नहीं मिलेगी तो यह न्याय से परे होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन इसके ऊपर पूरा पूरा विचार करे और मेरी राय में जो संशोधन लाया जा रहा है इसको इस समय न लाया जाये। अभी जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि न्याय पंचायतों में कोई अच्छे केलीबर के आदमी आने वाले नहीं हैं, वे ज्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे इसके लिए होना तो यह चाहिए कि हमें इस

Page No.78

(श्री आबिदअली)

प्रकार की कोई संस्था खोलनी चाहिए थी कि वहां न्याय पंचायतों के सदस्यों को उनके काम के बारे में शिक्षा दी जाती। आज पोज़ीशन यह है कि जो न्याय पंचायतों में पंच बैठे हुए हैं वे इस हालत में नहीं होंगे कि वह लॉ को इन्टरप्रेट कर सकें और नतीजा यह होगा कि एवीडेन्सेज़ की सारी चीजें,इग्नोर कर दी जायेंगी। तो एक तरफ तो न्याय पंचायत के पंचों को इतनी लीगल नॉलेज नहीं होगी और वह लॉ पॉइन्ट्स को ठीक तरह से इन्टरप्रेट नहीं कर सकेंगे और उधर प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर केस को प्रोसीक्यूट करते हुए चला जाता है और वह इस प्रकार से चला जाता है कि उसकी इन–ग्रेडियेन्ट्स आ जायें। वह इनग्रेडियेन्ट्स जो हो जायें तो वह एक्यूज्ड इस पोज़ीशन में नहीं है कि वह न्याय पंचायत के सामने रख सके। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ३७६ का केस है उसमें प्रोसीक्यूशन को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है; Wrongful loss to one person आज यह जो पॉइन्ट है इसको प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर बहुत अच्छी पोजी-शन में है अगर आज यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती है और अगर एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है और एक्यूज्ड को लीगल असिस्टेन्स नहीं मिलती है तो वह इस पोज़ीशन में नहीं होगा कि वह अपने आपको डिफेन्ड कर सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो अमेंडमेंट है 'फॉर दी टाइम बीइंग' जब तक कि हमारी पंचायतें अच्छी तरह से फ्लरिश न हों और जब तक कि एफीशियेन्सी नहीं आये उस समय तक अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो इस क्लॉज़ पर आपत्ति उठाई है वह यह है कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। पहले जो अधिकार थे वे सब के सब पंचायतों को दिये जा रहे हैं। उनकी दृष्टि यह और है कि वकीलों को वहां जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए उनको यह डर है कि कानून–कायदे और जाब्ते की बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो न्याय पंचायतों में नहीं होंगी....

श्री आबिदअली : मैंने यह कहा कि पैरोकार जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : Is he entitled to prosecute the cases before the Panchayat ?

श्री आबिदअली ; Pardon, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I mean, can the Perokar give his appearance before the Nyaya Panchayat ?

श्री आबिदअली : Definitely, Sir. Because he does not come under the definition of a legal adviser. क्योंकि यहां पर एक वीकल को जाने से रोका है। एक केस पुलिस का है तो पुलिस का पैरोकार है वह उसकी पैरवी नहीं करेगा, आप यह प्रावधान कर दें। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी पोइन्ट है कि इन्वेस्टी-गेशन के ऊपर टेक्निकल आदमी जिसको लॉ का अनुभव है उसको इन्वेस्टीगेशन सौंपने के लिए है तो सब इन्सेक्टर उसका इन्वेस्टीगेशन करेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

महोदय, असल बात यह है कि जो इस वक्त हमारा उद्देश्य है वह यह है कि पंचायतों को नीचे के स्तर पर भी न्याय के अधिकार दिये जायं और न्याय सुलभ हो, और महज़ कानून के अधिकारों के आधार पर जो न्याय किया जाता है उसके बनिस्बत वाकयात के आधार पर, वस्तुस्थिति के आधार पर वहां पर न्याय हो, इस प्रवृत्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं। जो पहले अधिकार नहीं थे न्याय पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। अब यह ठीक है कि जहां जहां कानून की सीमा आती है अगर वहां पर पैरोकार जा सकता है तो सहायता ले सकता है। तो मूल उद्देश्य की तरफ ध्यान रखना जरूरी है। तो मूल उद्देश्य यही है कि वास्तविक न्याय हो और वहां के लोग न्यायाधीश बन जायेंगे, न्याय पंचायत के पंच बन जायेंगे तो कानून-कायदे के बिना भी वह बात की जा सकती है; क्योंकि वे सब जानते हैं और सारी घटना का उन्हें पता रहता है। उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो पैरोकार और कानून के कानूनदाओं की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद मिलना चाहिए। सरकार विकेन्द्रीकरण की ओर ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है; बजाय इसके माननीय सदस्य ने आशंका प्रकट की है कि न्याय मिलने में ज्यादा कठिनाई पैदा होगी। मैं मानता हूं कि वह आशंका निराधार है। ऐसी इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह क्लॉज़ ज्यों का त्यों पास होना चाहिए। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। यह बहुत कॉम्प्लीकेटेड सेक्शन है। एक पार्टी को लीगल एडवाइस देने का अधिकार दे रहे हैं इन्डाइरेक्ट वे में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को समझ तो लिया है। आपको ऐसी स्थिति में दुबारा एक्स्प्लेनेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। Conducting of the cases के आधार पर सहायता ली जायेगी।

श्री आबिदअली : It is a very very delicate question, Sir, a very very delicate.

श्री उपाध्यक्ष : I don't know whether the Perokar is entitled to give his appearance. If he is entitled then there is a possibility of interference in the Justice.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पैरोकार अगर जाता है और हमारी न्याय पंचायत को पॉवर होती है तो कोई गलत बात नहीं है। वकील के अलावा दूसरा एजेन्ट भी जा सकता है। मुलजिम का भी कोई जा सकता है और मुद्दायले का भी एजेन्ट जा सकता है।

श्री आबिदअली : मैं सिविल केस की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं दोनों की बातें कहता हूं, और यह ख्याल करें कि न्याय पंचायत पर जाकर किस तरह से असर कर सकेगा? हमेशा यह बात ठीक नहीं है और यह मान कर नहीं चलना चाहिए। पुलिस वाले

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आते हैं तो लीगली जो नतीजा है उस नतीजे के बिना पर पंचायत फैसला करती है। तो पुलिस के कहने का कोई असर नहीं होने-वाला है।

श्री आबिद्अली : तो वकील को इजाजत दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई लीगल या उस तरह का आदमी होता है उसकी जरूरत नहीं है। कानून जाननेवाले की जरूरत नहीं है।

श्री आबिद्अली : मर्डर केस में आता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मर्डर केस में नहीं आता है। डिप्टी एडवोकेट जनरल को मर्डर केस करना चाहिए। वह कानून की बात नहीं है। वकील को नहीं आने का रखा है।

श्री आबिद्अली : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि केस में जो एन्क्वायरी....

श्री उपाध्यक्ष : That will do for the present.

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २२....

श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा थोड़ा सा यह निवेदन है कि जैसा कि, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी क्लॉज २१ पर निवेदन किया था इसी तरह से क्लॉज २२ के अन्दर....I am sorry. Sir. I don't press.

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २३

श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २३ में :

"In Section 30 of the principal Act-

(i) in sub-sec. (1) for the word 'Panchayat' the words 'Nyaya Panchayat' shall be substituted: " फिर उसके बाद में नम्बर दो है :

"(ii) sub-sections (2) to (5) shall be omitted." सब सेक्शन्स (२) से (५) ऑफ दी प्रिन्सिपल एक्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें पहले गवर्नमेंट का प्रतिबन्ध था पंचा-

Page No.81

(श्री आबिदअली)

यत के विरुद्ध पंचायत एक्ट का सेक्शन ३६ है उसका अमेंडमेंट है—

"A Panchayat shall not be competent to impose on any person convicted of an offence tried by it a sentence of fine exceeding fifty rupees." उसके बाद सब सेक्शन्स (२), (३), (४) और (५) हैं। उसमें सब सेक्शन (५) में ये शब्द हैं :

"No Panchayat shall inflict a substantive sentence of imprisonment." अब, उपाध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत में यह प्रावधान था कि पंचायत जो है वह सब्स्टेन्टिव सेन्टेन्स किसी केस में पास नहीं कर सकेगी तो उनको ओमिट करने के बाद में कन्विक्शन का अधिकार हो जाता है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब क्लॉज (१) है उसको पढ़ लें तो जो आपकी शंका है वह नहीं होगी। यह बात नहीं है सब क्लॉज (१) में यह प्रोविजन है "A Panchayat shall not be competent to impose on any person convicted of an offence tried by it a sentence of fine exceeding fifty rupees." इस तरह का और कोई अधिकार नहीं है। इनको जब हम ओमिट कर रहे हैं तो यह ऐसा का ऐसा ही आ जायगा।

श्री आबिदअली : इसका क्या मतलब है फिर "on any person convicted of an offence tried by it a sentence of fine exceeding fifty rupees?" उसके बाद में "No Panchayat shall inflict a substantive sentence of imprisonment." आपका मतलब यह है कि सब सेक्शन (१) में सब्स्टेन्टिव सेन्टेन्स पास नहीं करते हैं तो इस तरह से तो सेकिण्ड टाइम में सब-सेक्शन (५) के द्वारा कर सकते थे।

श्री सोहनलाल भटनागर : डिफॉल्ट के बजाय इम्प्रिज़नमेंट कर सकते हैं इसलिए क्लॉज़ (५) में लिखना जरूरी था कि सब्स्टेन्टिव इम्प्रिज़नमेंट नहीं दे सकते थे।

श्री आबिदअली : सेक्शन ३० के सब-सेक्शन (२) में यह है :

"Where an offender has been sentenced to pay a fine exceeding two rupees and such fine or part thereof remains unpaid for three months, the Panchayat may by warrant direct that such offender shall undergo simple imprisonment for a term which shall not exceed one day for every two rupees of the fine or part thereof thus remaining unpaid." आपका मतलब यह है कि सब-क्लॉज (२) से (५) तक को डिलीट करते हैं। वे उसमें रखते हैं तो सब-सेक्शन (५) का मतलब यह है कि सब्स्टेन्टिव सेन्टेन्स इम्पोज़ नहीं कर सकते हैं। आप आज इनको डिलीट करने जा रहे हैं, इसको ओमिट करने जा रहे हैं तो पंचायतों को यह अधिकार मिलेगा। ३७९ के अन्दर जितना भी २—३ महीने में या १५ रोज़ का कन्विक्शन पंचायत कर सकती है तो उस एक आदमी का रेप्युटेशन, एक आदमी का केरियर उस पर डिपेन्ड करता है। ३७९ के केस के अन्दर किसी आदमी का कन्विक्शन हो गया तो ....

३ म. प.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जो इन्टरप्रिटेशन किया है वह नहीं है । सब-सेक्शन (१) में ५०) से अधिक सजा दे नहीं सकते । यह जो क्लॉज रखा है दूसरा वह फाइन नहीं दे तो जेल भेज सकते हैं । लेकिन सब-सेक्शन (२) से (५) तक ओमिट कर रहे हैं उससे शक की बात नहीं रह जायगी ।

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अभी मंत्रीजी ने यह स्पष्टीकरण किया कि सब क्लॉज (५) पहले एक्ट में उनके विचार के मुताबिक अन्नेसेसरी एडीशन था । आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सब क्लॉज (१) में ५० रु० से अधिक फाइन कर नहीं सकते ।....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब क्लॉज (२) के मुताबिक जेल भेज सकते थे ।

श्री आबिदअली : आप कंट्राडिक्टरी लेजिस्लेशन कैसे कर सकते हैं ? सब क्लॉज (२) में अधिकार दिया था कि डिफॉल्ट में फाइन का पेमेंट नहीं होता है तो सिंपल इम्प्रिज़नमेंट की सजा दे सकते हैं, चाहे दो रोज के लिये ही हो । आगे चल कर दफा (५) में जो प्रोविजन है उसको निकाल रहे हैं । आपका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार का है कि कन्विक्शन पंचायत नहीं कर सकती । यदि यह स्प्रिट है कि किसी कॉग्निजेबल केस में ५० रु० से ज्यादा कन्विक्शन का अधिकार पंचायत को नहीं होगा तो जैसी कि आपने बात कही है मैं मान लेता हूं कि हाउस में जो डिस्कस कर रहे हैं उसके खिलाफ पॉवर नहीं होनी चाहिये । दफा ३७९ में अगर ५० रुपये का फाइन किसी पर हो गया तो उसका तमाम केरियर बर्बाद हो गया, वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, सर्विस नहीं कर सकता because this is a heineous offence under Section 379. इसलिये गम्भीरता से विचारने की बात है । मैं for the sake of argurment नहीं कह रहा हूं, माननीय मंत्रीजी इसे लाइटली ट्रीट नहीं करें । एक आदमी को कॉग्निजेबल केस में स्पोइल करनेवाली बात है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जुर्माना करने का पॉवर सैक्शन २३ (१) में है । पंचायत ऑलरेडी ट्राइ करती है । दूसरी बात यह कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास न जाकर पंचायत में आवे । ५०) रु० तक पहले भी वह कर सकती थी, अब भी वह कर सकती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, उपधारा (१) देखेंगे तो विदित होगा "A Panchayat shall not be competent to impose on any person convicted of an offence tried by it a sentence of fine exceeding fifty rupees." इसका मतलब यह होता है So there are two sentences. Since one is a sentence of fine and the other is a sentence of imprisonment. तो इस दृष्टिकोण से एम्बीग्विटी रह जायगी । सेन्टेन्स ऑफ फाइन ५० रु० का होता है, उसको नहीं देने पर इम्प्रिज़नमेंट होता है । उसको ओमिट करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि पंचायत को सजा देने का जो अधिकार दिया है उसे वापिस ले रहे हैं, it will be the intention of the legislature. यदि यह मंशा है कि इम्प्रिज़नमेंट का अधिकार नहीं दिया जाय तो दफा (५) इन ल्यू ऑफ इम्प्रिज़नमेंट हटा दिया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी यह आपत्ति बेबुनियाद है। आप पहले को देख लीजिये, कहीं भी लिखा हो that the accused will be convicted and sentenced to so and so imprisonment and fined... सेन्टेन्स देना है, जुर्माना और जेल है। जब हमने कह दिया कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ५० रु० से ज्यादा नहीं कर सकते तो जेल खत्म हो जाती है। दोनों ही माननीय सदस्य वकील हैं, डाउट की बात नहीं है।

श्री आबिदअली : इंग्लिश शब्द 'सेन्टेन्स' और 'फाइन' है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २४

(विराम)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २४ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २५, २६ और २७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजिज़ २५, २६ और २७ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २५, २६ और २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ८

श्री भीमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल : I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Page No.84

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज २६

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

[क्लॉज़ २६ पर श्री रामप्रसाद लड्ढा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :]

65. The existing provision of the clause be numbred as sub-clause (1) and add the following sub-clause (2) :-

'(2) After the word 'Munsif' occurring in sub-section (2) of the principal Act, insert the words 'or where there is no Munsif, to the Civil Judge."

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्सिपल एक्ट के सैक्शन ४३ का सब सैक्शन (२) है उसमें शब्द मुंसिफ का जुरिस्डिक्शन है, उसके आगे "or where there is no Munsif, to the Civil Judge" तरमीम करने की प्रार्थना की है। अक्सर जो डिक्रियें ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हैं वे मुंसिफ के पास वास्ते एग्ज़ीक्यूशन जाती हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां मुंसिफ होते ही नहीं हैं, जैसे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह मुंसिफ हैं तो जब सिविल जज के पास जाते हैं। तो 'सिविल जज' शब्द इसमें नहीं होने से दिक्कत आती है। इसलिये "or where there is no Munsif to the Civil Judge" शब्द जोड़ने के लिये मैंने प्रार्थना की है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इसमें भाषा से संबंधित शब्द ठीक लिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने क्लॉज़ २६ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६, संशोधित रूप से विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३०

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्लॉज़ ३० में मेरा संशोधन है पार्ट (२) में। पार्ट २ में बताया गया है:—

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"for the words 'sarpanch or the upsarpanch or in the absence of both to any other panch' occurring in sub-sec.(1) and(2), the words 'chairman or in his absence to any Member' shall be substituted." यहां यह लिखा है कि चेयरमैन और उसकी ऐब्सेन्स में किसी भी सदस्य के पास न्याय पंचायत के दावे या केस, मुकदमें पेश किये जा सकते हैं । मेरा यह कहना है कि किसी भी सदस्य के बजाय जो भी मेम्बर 'प्रिसाइड कर रहा हो उसके पास पेश होने चाहिये । किसी भी मेम्बर के सामने पेश किया जाय, यह उचित नहीं है । प्रिसाइड' शब्द आने से यह होता है कि चेयर पर जो भी मेम्बर हो उसको दिया जा सकता है, नहीं तो किसी भी चलते-फिरते मेम्बर को देकर कह सकते हैं कि मेरे दावे ले जाना और पेश कर देना । इसलिये जब तक यह नहीं होगा तब तक ठीक नहीं रहेगा । इसलिये मैंने बढ़ाया है: "Chairman or in his absence to any Member presiding at that time or before the Bench thereof"

एक और बात कही है । हमने न्याय पंचायत में बैंच सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया है । इस प्रकार के तीन मेम्बर्स की बैंच बनेगी और मुकर्रर स्थान पर केसेज़ सुनेंगी । लेकिन जहां केसेज़ सुनने का अधिकार है वहां केसेज़ एन्टर्टेन करने का अधिकार देते हैं तो लोगों को पंचायत सेन्टर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी । जहां बैंच जाती है वहीं दे सकते हैं और एन्टर्टेन कर सकते हैं, ऐसा अधिकार देना चाहिये । मुझे याद है कि रेवेन्यू बोर्ड की बैंच जाती है वहां वह केसेज़ एन्टर्टेन नहीं कर सकती इसलिये बड़ी दिक्कत आती है । यदि पंचायत ने इस प्रिन्सिपल को एडोप्ट नहीं किया तो बड़ी दिक्कत होगी ।

जो कोई मामूली सी बात हो, यह हमने ग्राम पंचायत एक्ट के अन्तर्गत रखा है कि कोई आदमी ओरली शिकायत कर देगा, तो केस इन्स्टीट्यूट किया माना जायगा, तो जहां मौखिक कहने का अधिकार है सरपंच और उपसरपंच के सामने वहां बैंच के सामने कहने का प्रावधान नहीं रखेंगे तो जो कुछ सुविधा पंच और सरपंच को रख दी है वह नहीं मिलेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय पंचायत के चेअरमैन या in his absance presiding member को अधिकार देते हैं, कि जब बैंच गांव में आई हुई है तो बैंच के सामने आये नये केसेज़ को इन्स्टीट्यूट कर सकता है, यह अधिकार दिया जाना चाहिए। इस मन्शा से कि लोगों को न्याय अधिक सस्ता मिल सके और कम से कम तबालत करनी पड़े । वे गांव में आई हुई बैंच के सामने केस इन्स्टीट्यूट कर दें, इसके लिए आवश्यक है कि बैंच के सामने केस इन्स्टीट्यूट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और जो मैंने बढ़ाया है, "presiding at that time or before the Bench thereof"; जो बैंच उनके सामने है, उसके सामने केस इन्स्टीट्यूट किया जा सके । मेरा अमेंडमेंट

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यह है, "In part (ii) of the clause after the words 'to any member' add the words 'presiding at that time or before the Bench thereof." यह इसमें बढ़ा देना चाहिए ताकि ऐसे किसी मेम्बर की बात न रह कर, जो व्यक्ति चेअर पर है, उसको प्रेजेन्ट किया जाय। उसके बाद जो बैंच गांव में गई हुई है वे केसेज़ को इन्स्टीट्यूट कर सकें, जिससे तवालत कम हो, समय भी कम खर्च हो और सस्ता न्याय मिल सके। साथ ही यह भी मालूम पड़ जाय कि कौनसी जगह आगे सुनवाई होगी, जैसा कि आगे क्लॉज़ ४५ के अन्दर है। उसके अन्दर क्लिअर दे रखा है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इसको स्वीकार करने के पक्ष में नजर आते हैं। यह बहुत लॉजिकल बात है, एक व्यवहारिक बात है। इसे मानना आवश्यक है। इसको चैंज करने के वगैर इसमें चैंज करने में सेंस नहीं है। जब चेअरमैन चेअर पर नहीं हो "any member presiding at that time or before the Bench thereof." और जो मेम्बर इन एब्सेन्स ऑफ चेअरमैन है उसको बैंच के अन्दर केस को इन्स्टीट्यूट करने का अधिकार दिया जाय। यह अमेंडमेंट ऐसा है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान किया गया है, हमारे यहां पहले जो पंचायतें गांवों का काम करती थीं, उस समय सरपंच और उप-सरपंच हुआ करते थे, वे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हुआ करते थे। अब न्याय पंचायतें अलग रखी हैं तो सरपंच की जगह हो गया चेअरमैन, उप-सरपंच की जगह कोई है नहीं, इसलिए इसमें प्रावधान रखा गया है कि कोई मेम्बर, जो न्याय पंचायत का होगा, का चुनाव, चेअरमैन की गैर हाजिरी में कर दिया जाय, वह चेअरमैन का का काम करेगा। इसमें रुकावट पैदा नहीं होती है। जो इसमें संशोधन किया गया है, उसमें इसकी सीमा बहुत छोटी हो जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : "Or before the bench thereof" यह तो होना चाहिए। पांच-सात मेम्बर्स होते हैं, किस मेम्बर को प्रेजेन्ट किया जा सकता है : "Presiding at that time or before the Bench thereof"

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो मेम्बर होंगे, उनमें से एक चेअरमैन होगा, बाकी के मेम्बर रहेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें कहां लिखा है ?

श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): मीटिंग में प्रिसाइड करने की बात रहती है, उसमें चेअरमैन प्रिसाइड करेगा। वहां चेअरमैन एब्सेन्ट है तो उसकी बात अलग है, वहां मीटिंग नहीं हो रही है; वहां प्रिसाइडिंग की बात नहीं है, जो काम कर रहा होगा, उसको देना चाहिए। जैसा कि ऑलरेडी प्रोवीज़न है, सरपंच या उप सरपंच को दे सकता है। अगर इसमें प्रिसाइडिंग की बात रखेंगे तो डिफिकल्टी हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि जैसा है वैसा पास कर देना चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : "Chairman or in his absence to any member

(श्री दयाकृष्ण विजय)

presiding at that time or before the Bench thereof."

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing?

श्री दयाकृष्ण विजय : बैंच के सामने केस इन्स्टीट्यूट किया जा सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले जैसी व्यवस्था थी वही है, नाम के बदलने से कोई बात नहीं है....

श्री दयाकृष्ण विजय : वह मैंने देख लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing ?

श्री दयाकृष्ण विजय : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० में जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पंचायत मिनिस्टर को इन्ट्रेस्ट कम है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३१, श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह साधारण सी तरमीम है, जो सैक्शन ४६ मूल एक्ट का है उसमें उप धारा (३) समन की तामील करने के बारे में है, जो पंचायत सर्किल के जुरिस्डिक्शन के बाहर आदमी रहते हैं उनका सवाल है। उनको समन की तामील मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाने का प्रावधान है । मैंने तरमीम की है कि जहां मुन्सिफ नहीं है वहां "Or where there is no Munsif, to the Civil Judge."

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१ में जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज ३१, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज ३२ से ३६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३२, ३३, ३४, ३५ व ३६ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३२, ३३, ३४, ३५ व ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज ३७, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन है In item (i) of the clause, the words 'Munsif or the Magistrate having Jurisdiction, as the case may be', 'be substituted for the words 'District and Sessions Judge.'

माननीय उपाध्यक्षजी, ओरीजिनल एक्ट की जो ५६ धारा है, वह यह है :

" 56. Cancellation of Jurisdiction -(i) The Tehsil Panchayat may at any time for just and sufficient cause, on its own motion or otherwise, cancel the Jurisdiction of any Panchayat with respect to any suit or case or quash any proceedings of such Panchayat at any stage.

(2) Where an order has been passed under sub-section (1) in respect of any suit or case the same may be instituted in, or transferred to, the nearest Panchayat for trial."

माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें किसी केस के जुरिस्डिक्शन को कैन्सल करने का अधिकार, ट्रान्सफर करने का अधिकार तहसील पंचायत को दिया हुआ था, वह व्यवस्था नहीं रखी है। जो व्यवस्था ओरीजिनल बिल में रखी है कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को अधिकार दिया जाय, मेरे ख्याल से जब न्याय पंचायतों की संख्या काफी होगी तो स्पीडी जस्टिस मिलने की व्यवस्था रखें। तहसील पंचायत को केस के जुरिस्डिक्शन के कैन्सलेशन या ट्रान्सफर का अधिकार दिया था, उसमें वही पॉवर्स होती हैं जो अपील की होती हैं, अपील सुनने की जो बॉडी होती है, जिसको अपील सुनने का अधिकार होता है उसको कैन्सलेशन और ट्रान्सफर ऑफ जुरिस्डिक्शन का अधिकार होना चाहिए वर्ना छोटे छोटे मामलों में जुरिस्डिक्शन न होने के कारण न्याय पंचायतें इन्जस्टिस करेंगी, लोगों को जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास और वहां से केस को ट्रान्सफर कराना पड़ेगा और जो पहले व्यवस्था थी उससे बुरी व्यवस्था होगी। इस दृष्टि से निवेदन है कि जो अपील के लिए मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट-सिविल केस में मुन्सिफ और क्रिमिनल केस के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया है उसी तरह से उनको कैन्सलेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन या ट्रान्सफर ऑफ जुरिस्डिक्शन का अधिकार होना चाहिए। आगे ऐसा प्रोविजन है नहीं, इसलिए अपील के लिए मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट का प्रोविजन रखा जाता है, तो मेरा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

निवेदन है कि आपकी जो अपीलेट ऑथोरिटी है, उसको कैन्सलेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन का अधिकार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा निवेदन कर दूँ। इसमें जो संशोधन है उस संशोधन के सम्बन्ध में इतना निवेदन कर दूँ कि मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट शब्द न रख कर....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या कह रहे हैं, माइक को सामने रख कर बोलिये।

श्री मोतीलाल : डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज ऑथोरिटी नहीं है, अपीलेट ऑथोरिटी है, जो अपीलेट ऑथोरिटी होगी, उसे निर्णय लेने का है, मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को निर्णय लेने का नहीं है। मेरा सुझाव है कि इसमें आप अपीलेट ऑथोरिटी कर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): इसे विचार करने के लिए डेफर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 37 is deferred.

(विराम)

क्लॉज ३८, श्री रामप्रसाद लड्ढा।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३८ विधेयक का अंग बने ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि यह भी........

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३८ पर तो कोई संशोधन नहीं है।

श्री मोतीलाल : वही बात आई है।

श्री उपाध्यक्ष : They are interlinked ?

(विराम)

डेफर किया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३८ डेफर किया गया।

(विराम)

क्लॉज ३९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज ४०, श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : Clause 40 is also relevent to that.

श्री उपाध्यक्ष : Clause 40 is also to be deferred ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): Yes, sir.

श्री उपाध्यक्ष : Clause 40 is also deferred.

(विराम)

क्लॉजेज ४१ से ४४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४१, ४२, ४३, ४४ विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४१, ४२, ४३, ४४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ ४५, श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत का जो मूल एक्ट है उसकी ६३ (जी) धारा है :

"(g) the sale proceeds of all dirt, dust, bone, dung or refuse including the dead bodies of animals, collected by the servants of Panchayats from public places" यह है और इसके बारे में जो रूल बनाये हैं उसके तहत १७ (३) है वह इस प्रकार है : "The Panchayat may give out contracts for the sale of bones of dead animals, removal of ownerless animals, skinning the animals and for depositing a fixed amount in exchange of the skins. The proceeds received from such contract shall be credited to the Panchayat fund." और जो अब हमारी पंचायत समिति के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रखा है : "Income arising from leases granted for the collection of bones in the block."

इस तरह बोन्स के कलेक्शन के बारे में ग्राम पंचायतों को अधिकार है कि बोन्स का ठेका दें, और पंचायत समितियों को भी अधिकार है कि ठेका दें तो एक ही चीज़ का दो दो बॉडीज़ को ठेका, यह एक ही चीज़ की डुप्लीकेसी है । इसलिए मैंने अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है कि (जी) क्लॉज़ है वह डिलीट कर दिया जाय, सारा नहीं तो कम से कम जहां जहां 'बोन' शब्द आया है उसको डिलीट कर दिया जाय, जिससे एक ही चीज़ की डुप्लीकेसी नहीं रहे और पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच में इस प्रकार की बात नहीं हो ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): यह शब्द इसमें से निकाल देना चाहिये, यह मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५ पर जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४५, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४६, श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४७, प्रश्न यह है कि....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I will oppose clause 47.

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ ४७ इस प्रकार है :

"47. Insertion of new section 64 (b) in Rajasthan Act 21 of 1953-

After section 64 [a] of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

" 64 (B) Validation of levy of certain taxes:- Notwithstanding any thing contained in sub-section (3) of section 64 or in any other provision of this Act or in the Rules made under this Act or in any Judgment or decision of any court and notwithstanding any error, omission or defect in the imposition or levy thereof all taxes imposed by Panchayats after the commencement of this Act shall be deemed to have been validly imposed and levied as from the dates from which they are being actually recovered and collected even though such dates may not have been specified at the time of such imposition and levy."

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तो विरोध करने लायक है, इसका डट कर विरोध करना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा गया था :

" (9) In the existing rules under the Act it is provided that the State Government should while sanctioning the imposition of a tax specify the date from which it is to be imposed. In many cases no such date was fixed but the taxes are being collected since long. The validity of such collection has been successfully challenged and it is therefore proposed to make a provision validating the levy of such taxes."

उपाध्यक्ष महोदय, ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह कहा गया है, गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज़ करने की डेट स्पेसिफाइ नहीं की थी

(श्री पी. के. चौधरी)

इसलिये पहले जो भी टैक्स का कलेक्शन हुआ है उसको सक्सेसफुली चैलेंज किया था, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया था and the decision of Court has gone in favour of the complainant.

अब यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इस अमेंडमेंट से सिर्फ पास्ट केस को वेलिडेट करने जा रहे हैं, यह नहीं है; it is becoming part and parcel of the principle Act.

प्रिन्सिपल एक्ट का पार्ट एन्ड पार्सल हो जाय तो इसमें जिस प्रकार के वर्डिंग्स हैं : that any tax levied, inspite of any error, omission, or anything, whatever tax levied by the panchayats will be treated as correct.

उपाध्यक्ष महोदय, इसके वर्डिंग्स पर गौर फरमाइये :

"Not withstanding anything contained in sub-section (3) of section 64 or in any other provision of this Act, or in the Rules made under this Act or in any judgment or decision of any court and notwithstanding any error, omission or defect in the imposition or levy thereof all taxes imposed by panchayats after the commencement of this Act shall be deemed to have validly imposed and levied as from the dates from which they are being actually recovered and collected even though such dates may not have been specified at the time of such imposition and levy."

अब यहां जो सिर्फ पास्ट केसेज़ को वेलिडेट करते हैं तो कोई बात नहीं थी पर by these wordings, in future also such things will apply, when this becomes part and parcel of the original Act. इसका मतलब यह हुआ कि आज के बाद कोई भी पंचायत कोई भी टैक्स लेवी कर लेती है, उसकी तारीख अनाउन्स नहीं करते, कानून के खिलाफ़, किसी कोर्ट के डिसीज़न के खिलाफ़ टैक्स लेवी कर लेती है, सब प्रकार के ओमिशन्स, कमिशन्स के बावजूद भी टैक्सेज़ वसूल कर लेती है तो वे कलेक्ट करने के बाद वेलिड रह जायेंगे। ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा था कि पहले डेट स्पेसिफाई नहीं की थी इसलिये कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने उसके खिलाफ़ फैसला किया–इस प्रकार के कलेक्शन्स को इन्वेलिड ठहराया, because they recovered the collections inspite of being against the rules. रूल्स में डेट्स मेन्शन करना जरूरी है। गवर्नमेंट को अकोर्डिंग टू रूल्स डेट मेन्शन करना चाहिये, वह नहीं किया इसलिये कोर्ट में चैलेंज किया। अब इसको वेलिड करना चाहते हैं तो आइन्दा ब्लैंक पॉवर पंचायतों को दे दें कि पंचायत ने एक दफ़ा कोई भी टैक्स किसी तरह वसूल कर लिया तो वह सब वेलिड हो जायगा Notwithstanding any defect, omission or commission, any tax levied and recovered by the panchayats will be treated as valid."

चाहे वह अगेन्स्ट दी लॉ हो, रूल्स के खिलाफ हो, उनमें ओमिशन्स–कमिशन्स हों, कोर्ट के डिसीज़न के खिलाफ़ हो, येन केन प्रकारेण हो, वह वेलिड होगा। उस दिन सवाल आ गया था एक ताला का कि सर-

(श्री पी. के. चौधरी)

पंच ने ताला ले लिया। बाद में गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जाकर सेक्रेटरी को अरेस्ट कर लिया कि ताला अटेच करने का प्रस्ताव पास किया था, उसी दिन अटेच कर लिया। उसको इन्वेलिड माना क्योंकि प्रस्ताव पास किया उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिये, ढोल पीट कर प्रचार होना चाहिये, उसके बाद अटेच करते तो वेलिड होता। अब आप जो यह करने जा रहे हैं, यह हो जायगा तो वह भी वेलिड माना जायगा, चाहे आपके घर से सन्दूक उठा कर ले जाय तो भी वेलिड होगा, it will be valid. इसको आपने वेलिड माना है। तो मैं माननीय पंचायत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको ठीक तरह से पढ़ कर इस पर विचार करें तो it is a validating Act for correcting one particular omission in the past. तो सिर्फ पास्ट के लिये होता तो दरगुजर कर सकते थे, I would like to understand it. वह ओमिशन क्या था कि सिर्फ डेट मेन्शन नहीं की थी; it was a question of one specific omission. जब कभी टैक्स वेलिडेटिंग का मौका आया तो गवर्नमेंट वेलिडेटिंग बिल लेकर आती है and the Government clarifies the position. इस पर्टिकुलर एक्ट के लिये वेलिडेटिंग एक्ट पास करना जरूरी हो गया। अब उसके आगे क्या है कि and all omissions and commissions and all actions against the rules will be validatd if it becomes part and parcel of the Act. इसलिये मेरा इसके लिये सख्त विरोध है और मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे इसको या तो फौरन विथ्ड्रॉ कर लें और अगर विथ्ड्रॉ नहीं करें तो इसको डेफर कर दें और इस पर बैठ कर विचार कर लें। If it becomes part and parcel of the Act, तो इसमें बड़ी भारी गलत चीज़ हो जावेगी। देना चाहिये पास्ट डिफेक्ट रहे थे। वे क्या थे? एक यह था कि डेट गवर्नमेंट ने मेन्शन नहीं की; they can amend that, 'for the past.' But you are embodying it for all time to come. तो मैं समझता हूं कि बिल में जो categorically stated objects बताये गये हैं उनके खिलाफ चाहे मिनिस्टर इन्चार्ज भी कोई चीज़ लाना चाहे तो वह गलत रहेगी। मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन इस स्टेटमेंट एन्ड ऑब्जेक्ट्स पर है और मैं माननीय उपाध्यक्ष से चाहूंगा कि वे इस पर अपनी रूलिंग दें। मेरी इस संबन्ध में वैधानिक आपत्ति है, whether a provision in the bill which is against the objects stated in the Objects and Reasons, can be allowed? In the Objects and Reasons it is only to validate that particular omission in the past of not mentioning the date. But the new clause as it is worded, it does not remain confined to the past legislation. It remains for the future also and such similar omission and commissions of any nature will be validated. I think it is a very wide power to be given.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): This only relates to the past.

श्री पी. के. चौधरी : But when it becomes part and parcel of the original Act......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Then also it relates only to the past. यह पास्ट के लिए है, फ्युचर के लिए नहीं है। इसमें लिखा है, देखिए "have been validly imposed and levied as from the dates from which they are being actually recovered and collected" इसमें वेलिडेटिंग की बात है, वह आयन्दा की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ४७ के सम्बन्ध में फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये हैं ....

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : on a point of order, Sir. फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने वैधानिक आपत्ति उठाई थी, उसका निर्णय नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : That is presumed to have been withdrawn.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन किया कि यदि वे इस क्लॉज़ को विथ्ड्रॉ कर लें तो बहुत ही अच्छा है और उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस क्लॉज़ को वापिस लेना चाहिये यह धारा वापिस लेने के लायक है। सबसे बड़ी बात इस क्लॉज़ के द्वारा जो प्रस्तावित की जा रही है उसका सार यह है हमने पब्लिक को जो अदालत में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार दे रखा है वह अधिकार उनसे वापिस ले लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे राज्य सरकार की विशेष तौर से परिपाटी रही है और बनती जा रही है कि कानून को लागू करने में सरकार की तरफ से जो गल्तियें होती हैं उन गल्तियों के कारण पब्लिक के समक्ष जो परेशानियें पैदा होती हैं उसका विरोध यदि कोई व्यक्ति अदालत में जाकर करे, अदालतों में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद उन गल्तियों के कारण से अदालत उसको सरकार से राहत दिलाना चाहती है उस समय हमारी सरकार ने एक परिपाटी के अनुसार कानून में संशोधन लाकर उन गल्तियें को, गल्तियें नहीं, भूलें नहीं हैं इन सारी चीजों को गल्तियों और भूलों को-भुला कर एक यह नया रास्ता अख्त्यार किया है कि यह उनकी भूलें नहीं और गल्तियें नहीं हैं। यह आज की बात नहीं बल्कि विधान सभा में न मालूम कितने ही वेलिडेटिंग बिल पास हुए हैं। उन सब में सरकार की गल्ती के कारण, कानून के इन्टेन्शन के कारण जब लोगों ने अदालत से रिड्रेस प्राप्त किया है उसको वे प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात की व्यवस्था की जाती है और यह व्यवस्था इसी प्रकार कानून में की जा रही है।

जहां तक इसमें केवल एक ही प्रश्न होता जैसा फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि नोमिनेशन इश्यू नहीं किया गया और किया गया तो उसमें डेट का एक्सप्रेशन नहीं था कि किस तारीख से इसका अमल होगा, यह निर्धारित नहीं किया। यदि केवल यही बात होती तो यहां पर जो वर्ड रखे हैं वे दूसरे होते और स्पष्ट रूप से कहते कि कई पंचायतों ने टैक्स लगाया और बाकी के बारे में जो नियम है उन सब का पालन किया है और यह टैक्स किस तारीख से लगेगा और इसके कारण से कई कानूनी कमियें पैदा हो गई हैं इन खामियां के कारण से कोई टैक्स वसूल कर लिये हैं ; अगर ऐसी

(श्री भैरोंसिंह)

बात होती,तो मैं समझता हूं कि कोई बात रखते। मगर आपने तो यह रखा है कि नोटिफिकेशन में तारीख नहीं, इस वजह से यह सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं। मैं यह कहूंगा कि नियम में टैक्स का जो प्रावधान है उनकी पूर्ति नहीं की गई है। इसमें यह है कि किसी प्रकार की omission, commission, mistake; किसी प्रकार की कमी रह जाती है उस कमी के बावजूद भी किसी ने टैक्स लगाये वे कायम समझे जावेंगे और अगर किसी ने वसूल कर लिये हैं वे भी जायज़ होंगे।

दूसरा प्रश्न पैदा होता है, एक तो फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत बात सदन के सामने प्रस्तुत की गई है, मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में खास तौर से लिखा है कि नोटिफिकेशन में डेट मेन्शन नहीं करने के कारण इस प्रकार का संशोधन पेश किया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि नोटिफिकेशन में तारीख नहीं थी, वह गल्ती है और भी वजह और गल्तियों के कारण से; "Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 64." क्लॉज ६४ के सब क्लॉज (३) में यह लिखा है कि पंचायत टैक्स लगा सकती है according to the manner prescribed में एक पॉइन्ट आता है जिस तारीख को नोटिफिकेशन लिखा जावेगा उसमें तारीख भी होगी। इसमें केवल यही पॉइन्ट नहीं बल्कि ६४ के सब क्लॉज (३) में जितने manners prescribed हैं इस बात का प्रावधान किया गया है; जबकि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में केवल आपने एक बात का ही जिक्र किया है कि डेट नहीं लगाई, इस चीज को दूर करने के लिये यह रखा गया है। क्लॉज ६४ के पार्ट (३) में केवल एक बात नहीं है। अब इसके आगे लिखा है "any other provision of this Act or in the rules made under this Act." इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशन में तारीख की बात थी वह ६४ के पार्ट (४) में आई है। बाकी दूसरी कौनसी दिक्कत थी जिसके कारण आप यह वेलिडेटिंग ला रहे हैं और जिन दिक्कतों को आपने स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स में संकेत नहीं किया और आगे कौनसे रूल्स रह गये हैं जिनके कारण आप ऐसा करना चाहते हैं और फिर लिखा है : "......or in the Rules made under this Act or in any Judgment or decision of any court and notwithstanding any error, omission or defect in the imposition or levy thereof, all taxes imposed by Panchayats after the commencement of this Act shall be deemed to have been validly imposed and levied as from the dates from which they are being actually recovered and collected even though such dates may not have been specified at the time of such imposition and levy ?"

अब यहां पर एक इस प्रकार की अजीब परिस्थिति सामने पैदा होती है। हमने यह कानून १९५३ में बनाया। कानून के साथ साथ टैक्सेज़ इम्पोज़ करने का अधिकार दिया, टैक्सेज़ किस प्रकार से लगेंगे उनके लिए नियम बनाये और नियम बना कर जनता को अवसर प्रदान किया कि ज्योंही कोई पंचायत नोटिस निकाले कि ऑब्जेक्शन्स हों तो पेश करें, उन ऑब्जेक्शन्स की पंचायत स्क्रूटिनी करे, फिर गवर्नमेंट एप्रूवल ले ले

(श्री भैरोंसिंह)

और एप्रूवल के समय भी यदि पब्लिक को ऑब्जेक्शन हो तो वह उसको पेश करे और फिर उसका नोटिस इश्यू होता है कि अमुक पंचायत, अमुक प्रकार का टैक्स अमुक चीज पर लागू करेगी, यह हमने व्यवस्था की है। तारीख की हमारी सरकार को कोई चिन्ता नहीं। सरकार को रूल्स की चिन्ता नहीं, जजमेंट के कारण लोगों को जो रिलीफ मिला उसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं। लेकिन सैक्शन ४ में सरकार ने व्यवस्था की है उसकी भी कोई चिन्ता नहीं। सरकार को तो चिन्ता केवल एक बात की है, सरकार की गल्ती के कारण सरकार द्वारा पंचायतों के द्वारा जनता पर जो टैक्स लगाये गये हैं, जो प्रोपोज़ल्स हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा मोहर लगा देने के कारण पंचायत द्वारा जनता से टैक्स वसूल किया गया या किया जा रहा है उन सब गल्तियों के बाजूद भी टैक्स वसूल किया जा रहा है उसको सरकार ने मान्यता दे दी और जो गल्ती सरकार ने की उसको छिपाने की दृष्टि से उस पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सरकार की उस गलत कार्यवाही पर मोहर लगाने के लिए विधान सभा से यह कहा जा रहा है कि उस पर वह भी मोहर लगा दे। यह इस बात का संकेत करती है कि हमारे सामने कानून का प्रश्न है, सरकार गल्ती करती है उससे जनता परेशान होती है, परेशान होकर जनता अदालत में जाती है अदालतों में जाकर सरकार द्वारा की गई गलत कार्यवाही के कारण अदालतें उनको संरक्षण देतीं है तो सरकार चाहती है कि उन अदालतों पर भी विधान सभा द्वारा कानून बना कर अतिक्रमण करे, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करे। यह बात सही है कि कानून बनाने का विधान सभा को अधिकार है। यह बात भी सही है कि आपका बहुमत है, कोई भी अपनी गल्ती को छिपा कर उसको सही कराने के लिए मोहर लगवा कर विधान सभा से, कोर्ट के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं, ज्युडिशियरी के पॉवर्स पर अतिक्रमण कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का ज्युडिशियरी का अतिक्रमण अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर करना किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता, न्याय संगत नहीं हो सकता। यदि गल्तियां की हैं तो उनको तो आपको मंजूर करने के लिए तैयार होना चाहिये। कानून बनाने में गल्तियां करते हैं, उसका असर सारी जनता पर पड़ता है। जो उत्पीड़ित हैं उनको अदालतों में संरक्षण मिलने का मौका दिया गया है! लेकिन अपने कारनामों को छिपाने के कारण जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं उन पर एन्क्रोचमेंट न करें तो अच्छा है। इस प्रकार का एन्क्रोचमेंट हर प्रकार से चलता रहा तो किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है: " recovered and collected even though such rates may not have been specified at the time of such imposition and levy."

अब यहां सरकार कहती है कि डेट उसमें नहीं दी गई है लेकिन जिस तारीख से टैक्स लेना वसूल कर लिया है उस तारीख को वाजिब मान लो। किसी पंचायत ने उस नोटिफिकेशन के कारण से समय पर तारीख निश्चित नहीं की थी इस कारण टैक्स वसूल नहीं किया और किसी ने वसूल कर लिया,

Page No.97

(श्री भैरोंसिंह)

वसूल कर लिया तो खिलाफ होने के कारण लोग अदालतों में चले गये । यहां भी तारीख निश्चित नहीं करते, लगान वसूल करना शुरू कर दिया । यह बड़ा घातक प्रोवीजन है । एक पचायत ने एक जानवर पर टैक्स लगा दिया । कह दिया कि गाय का एक आना टैक्स देना पड़ेगा । उस पर सरकार की स्वीकृति हो गई । किस तारीख से लगा है यह पता नहीं । रूल्स के खिलाफ लगा दिया । जो रूल्स में प्रावधान है उनकी खिलाफत की गई । कोर्ट में चले गये, फैसला हो गया । अब सरकार उसको कौनसी तारीख मानेगी ? जिस आदमी ने एक आना एक गाय का टैक्स रूप में दे दिया, तारीख इम्पोज़िशन मान कर चलें, सन् १९५३ में कानून पास हुआ, ५३ से लेकर ६० तक सात साल में जितना टैक्स होता है वह एक आना एक गाय के महीने के हिसाब से १२ महीने का १२ आना और सात साल का ८४ आना हो गया । फी व्यक्ति से वसूल किया जाय, यह प्रावधान रखा है । सब लोगों ने टैक्स दिया है । जब रिफन्ड करने की प्रोब्लम आती है तो सरकार के लिए कठिनाई पैदा करती है जिन बातों को वेलिडेट करने की बात कही जा रही है, ग्राम पंचायतों ने टैक्स नहीं दिया, लीगेली इम्पोज़ नहीं किया, अपने बहुमत का दुरुपयोग करके उन गलत कार्यवाहियों को संरक्षण प्रदान करना, मेजोरिटी के बेसिस पर दुरुपयोग करना, उचित नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार का कानून बना कर इल्लीगल तरीकों से उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना और उनको सही कर देना, यह उचित नहीं है और न्याय संगत नहीं है । इसके साथ ही आगे के लिए भी यह व्यवस्था कर देना कि छोटी मोटी गल्तियां हो जाती हैं उनके लिए सरकार के लिए कोई कॉग्निजेबल नहीं रहेंगी, किसी प्रकार की अपील और स्टे नहीं हो सकेगा लेकिन जब व्यवस्था दी है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा और लोगों को यदि फायदा मिलता है उस व्यवस्था से तो उनको मौका देना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो पॉइन्ट्स हैं । स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के अन्तर्गत पहले की गल्तियों का प्रावधान रखा है वह गलत है । अकोर्डिंग टु कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के अनुसार इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जा सकता । यह कहा गया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लागू होगा । उस स्थिति में माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट मैंने इस सम्बन्ध में उठाया है उस पर आप रूलिंग दें ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of Objection, Sir, माननीय सदस्य ने भाषण तो बहुत अच्छा दिया लेकिन अपने भाषण में उन्होंने 'ब्रूट मेजोरिटी' शब्दों का प्रयोग किया है । मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि यह 'ब्रूट' शब्द पार्लियामेंटरी है क्या ? 'ब्रूट' शब्द को एक्सपन्ज किया जाना चाहिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) ; उसका मतलब है 'ज्यादा' ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : " Brute majority " was expunged either in U. P. or some other Assembly. The word 'brute' was expunged there.

Page No.98

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री श्रीभानसिंह : इसको एक्सपन्ज कराइये साहब, यह अनपार्लियामेंटरी शब्द है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जब तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय निर्णय न दें तब तक भाषण जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह : जिस बात के लिए कहा गया कि 'ब्रूट' शब्द अनपार्लियामेंटरी है मैं समझता हूँ, मैंने यह कहा था कि ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर पास कराये। आप पास करवा लेते हैं तो आपकी मेजोरिटी ब्रूट होती है। अब यह आपके हाथ में है।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member has repeated the word ten times.

श्री पी० के० चौधरी : He is using the word and blackmailing also.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि 'ब्लेक मेलिंग' तो वैसा ही है जैसा 'ब्रूट' है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य दस दफा उस शब्द को यूज़ कर चुके हैं, टेन टाइम्स यूज़ कर चुके हैं 'ब्रूट मेजोरिटी'। आपका इस पर निर्णय चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : If I propose to expunge it, it will be expunged from all the places...

श्री भैरोंसिंह : No matter whethe it has been used by the Hon'ble Member Shri Sribhan Singh उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दें उससे पहले मैं निवेदन कर रहा था कि कई चीजें ऐसी होती हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनपार्लियामेन्टरी होते हैं। लेकिन किसी प्रकार 'ब्रूट' शब्द अनपार्लियामेन्टरी नहीं है।' पार्लियामेन्ट में, विधान सभाओं में और डिबेट्स में सरकार अपने बहुमत के आधार पर किसी न्यायपूर्ण चीज़ को मंजूर नहीं करती है तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आम तौर पर होता है और उसको अनपार्लियामेन्टरी कहना किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। और दूसरा प्रश्न आता है कि यह शब्द जिस भावना से कहा गया है वह भी देखा जाना चाहिये, सरकार अपनी मेजोरिटी के आधार पर इस प्रकार की चेष्टा न करे....

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! The Hon'ble Member to resume his debate.

श्री श्रीभानसिंह : The other members may also not follow suit.

श्री उपाध्यक्ष : No. My advice will be that in the interest of Parliamentary language, they will not use it. But as for my observation, I am still to give it.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४८ पर सदन अपने विचार प्रगट कर रहा है, मैं इस क्लॉज़

Page No.99

(डॉ० बहादुरसिंह)

पर अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। यह क्लॉज जो प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध करने के मेरे कुछ कारण हैं! उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कहां कहां टैक्स लगायें जांय....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ भी निर्णय दें, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का कई बार अपने यहां प्रयोग हुआ है। आपका निर्णय जो भी होगा वह उस पर भी असर डालने वाला होगा, पुराने जितने भी इस प्रकार भी अभिव्यक्तियों का प्रयोग हुआ है उन पर भी वह निर्णय असर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो सकता है पहले इस तरह के शब्द प्रयोग किये गये हों, उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं गया हो किन्तु आइन्दा भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहें, यह कहां तक उचित है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य की ओर से भी इस प्रकार के शब्द यूज़ किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The past actions will not guide us.

श्री भैरोंसिंह : The decision will affect the past t raditions.

श्री उपाध्यक्ष : If we are improving the traditions at this stage, the better it is.

श्री भैरोंसिंह : पार्लियामेन्ट की जो लिस्ट है उसमें भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I have got the list with me.

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार का कोई टैक्स जो सदन की स्वीकृति से नहीं लगाया गया हो या किसी न्यायालय द्वारा जिस टैक्स को गैर कानूनी करार दिया गया हो उसके सारे कानून-कायदे को बलाये ताक रख कर इस धारा में आप इस प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं जिससे इस प्रकार के सब टैक्सेज़ उपयुक्त समझे जायेंगे, मैं इसको उचित नहीं समझता। वित्त मंत्री होते हैं जो सारे फाइनेन्सेज़ के मुतल्लिक जानते हैं, फिर भी गैर कानूनी तौर पर....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यहां वित्त मंत्री की हैसियत से नहीं कर रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : हैसियत तो दोनों एक है। इस प्रकार से एक अदालत द्वारा, एक न्यायालय द्वारा जिस टैक्स को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है उसको आप सदन द्वारा कानूनी रूप देना चाहें, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था है छोटे छोटे युनिट के अन्दर अगर हम इस प्रकार के पॉवर्स कर देते हैं तो इस प्रकार की मनोवृत्ति पनपेगी कि वे गैर कानूनी काम किये जायेंगे और जब चारों तरफ से गैर कानूनी काम इकट्ठे होते जायेंगे उन सब को आप सदन में रख कर कानूनी रूप दे देंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति समाप्त करने के लिये इस प्रकार की क्लॉज़ उपयोगी साबित नहीं हो सकता। इतनी पंचायतों के अन्दर इतनी गैर कानूनी

(डॉ० बहादुरसिंह)

कार्यवाहियां हुई हैं, टैक्स वसूल किये गये हैं, उसके लिये अलग से व्यवस्था करवाइये। इस प्रकार से कानून के अन्दर परिवर्त्तन उपयुक्त नहीं समझता। मैं आशा करता हूं कि यह क्लॉज़ जो ४८ है उसका विरोध करता हूँ और वह विरोध एक बात के लिये है कि इस प्रकार अदालती नियमों को, कानूनों को बलाये ताक में रख कर जो गैर कानूनी कार्यवाही की गई है उसको हम कानूनी रूप न दें। इस प्रकार से जिन लोगों पर नाजायज़ टैक्स लगाया गया है और जो वसूल कर लिया गया है उसको इस धारा के अनुसार कानूनी रूप देना चाहते हैं, यह न्यायोचित नहीं है और न हमारे लिये उपयुक्त ही है। इसलिये सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस क्लॉज़ को अस्वीकार करे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४७ एक ऐसा क्लॉज़ है इसको अगर हमने आंख मूंद कर पास कर दिया तो निश्चित रूप से गलत परम्परा का निर्माण होगा। आज हम प्रजातंत्र के युग में रह रहे हैं। इस स्थिति में अगर हमें कहीं संरक्षण प्राप्त हो सकता है तो वह न्यायालय के अन्दर ही है और इसी के द्वारा हम प्रजातंत्र के अन्दर दिये हुए अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि जहां जुडिशियरी की इन्डिपेडेन्स रखी है वहां एग्जीक्युटिव के अधिकारियों को जो राइट्स दे रखे हैं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of Objection, Sir,

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि हमने जितनी भी क्लॉजेज़ पास की हैं वे गलत पास की है। इसके बारे में हमें निर्णय करना पड़ेगा। सदन ऑफिशियल बिल हिन्दी मानता है या अंग्रेजी का? अभी अभी इसका कन्फ्यूजन सामने आया है। अभी बोलनेवाले माननीय सदस्य के पहले जो माननीय सदस्य बोले वे तो क्लॉज़ ४८ को लेकर बोले और जो अभी बोल रहे हैं वे क्लॉज़ ४७ पर बोल रहे हैं। इंगलिश वर्शन के अनुसार यह क्लॉज़ ४७ है और हिन्दी के अनुसार यह क्लॉज़ ४८ है तो आखिर हाउस किस क्लॉज़ पर विचार कर रहा है और जो क्लॉजेज़ अब तक पास की हैं वे क्या इंगलिश बिल की हैं या हिन्दी के बिल की?

श्री उपाध्यक्ष : हमने इंगलिश वर्शन को ही ऑथेन्टिक माना है।

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर): राजस्थान लैंग्वेज बिल के मुताबिक हिन्दी का बिल उतना ही प्रामाणिक है जितना कि इंगलिश का बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन ने इंगलिश वर्शन को ही अब तक ऑथेन्टिक माना है We have our own decisions in the past as well, we have relied upon Engish version as authentic.

डॉ० बहादुरसिंह : हिन्दी बिल के अन्दर इसी धारा को ४८ नंबर लगा दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : हिन्दी बिल के अन्दर खण्ड इस तरह के हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि या तो हिन्दी में क्लॉज़ ज्यादा हैं या अंग्रेजी में क्लॉज़ कम है।

श्री उपाध्यक्ष : We will proceed on.

श्री श्रीभानसिंह : But how can the House proceed, Sir ? Some members must have tabled amendments on clause 47 and some members may have tabled on clause 48.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : इस तरह की कोई गल्ती नहीं हुई। प्रश्न यह नहीं समझा जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): It has been mis-understood. I opposed clause 47. He is opposing clause 48, and both of us have spoken in Hindi.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : (डॉ० बहादुरसिंह से) आप तो क्लॉज़ ४७ समझ कर विरोध कर रहे थे।

डॉ० बहादुरसिंह : यह जो नंबर का फर्क रह गया है हिन्दी में वह क्लॉज़ ४८ थी और मैं बोला क्लॉज़ ४७ पर, सिर्फ नंबर का फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : It is only a numerical error. My observations are that English version is authentic and we will proceed on with English version. आप उसको ४७ मान कर चलें।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : ज्यादा संख्या तो हिन्दी वालों की है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन यह कर रहा था कि जुडिशियरी को प्रजातंत्र के अन्दर कॉन्सिटट्यूशनल राइट दिया हुआ है। यही एक मात्र साधन है जिसके जरिये हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस क्लॉज़ को मानते हैं तो जो भी जुडिशियरी के डिसीज़न्स हैं उनको हम ओवरलुक कर जाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा।

इसलिये आज जो यहां पर कहा गया है कि ग्राम पंचायत के ऐसे टैक्स लगा दिये हैं और उनके विरुद्ध न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन निर्णयों को समाप्त करने के लिये जो आप यहां पर वेलिडेटिंग कानून ला रहे हैं यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता क्योंकि जनता ने अपने अधिकार और न्याय प्राप्त करने के लिये, हाई कोर्ट में पहुँचने के लिये काफी पैसा और श्रम खर्च किया है। वकील किया है उसमें अपना पैसा लगाया है, फीस दी है, उसमें पैसा लगाया है, काफी श्रम किया है। आपके नाजायज़ टैक्स के खिलाफ पैसा खर्च करके उन्होंने कोर्ट से न्याय हासिल किया है। अब आप इस कानून से उनका वह श्रम और पैसे का व्यय तो समाप्त कर ही रहे हैं पर न्याय के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। आप अपने बहुमत के आधार पर अपनी गल्तियों पर सदन की मोहर लगाकर न्याय को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके पैसे को व्यर्थ करना चाहते हैं, उनके श्रम को फिजूल गंवाना चाहते हैं और इस तरह अपनी जिद्द को, अपनी गल्तियों को बहुमत के बल पर बल देना चाहते हैं। आप अपनी उस हार को जीत में बदलना चाहते हैं। यह न्यायोचित नहीं है और वह भी उस जगह जहां अनुचित टैक्सों की वसूली का सवाल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो। आप बताना चाहते हैं कि गलत हमने कुछ भी किया हो पर सब ठीक किया है। यह हम मेजोरिटी के बल पर बताना चाहते हैं सबको ! तो इस प्रकार की बात करना यह तो जुडिशियरी की मजाक उड़ाना है। जुडिशियरी की जो सेन्क्टिटी है, उसकी जो पवित्रता है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा का जो प्रश्न है, आप उस सारी शक्ति को, सारी पवित्रता को, उन सारे स्वतन्त्र मूल अधिकारों को इस अपने कानून के द्वारा, अपने बहुमत के जोर के द्वारा रद्द कर रहे हैं। किसी भी न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिये आप इस प्रकार का संशोधन लाते हैं, यह प्रजातन्त्र की दृष्टि से भी स्वस्थ परम्परा नहीं कही जा सकती। आपको तो चाहिये यह था कि आप अपनी गल्तियों का प्रायश्चित करते, भविष्य में जागरूक रहते पर आप उल्टे यह कर रहे हैं कि जिस आदमी से आपने गलत टैक्स वसूल कर लिये वह तो कर ही लिये आप उसको और भी नुकसान देना चाहते हैं। उसने जो पैसा और श्रम न्याय प्राप्त करने में लगाया उसे भी आप व्यर्थ करना चाह रहे हैं।

तो ऐसी स्थिति में गलत परम्पराएं निर्मित न हों, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के संशोधन नहीं होने चाहिये। इस गलती को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जावे। आखिर आपने कितना पैसा वसूल कर लिया होगा? इस पर गम्भीरता से विचार करें तो ऐसा लगता है कि सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी पर जनता को अधिक से अधिक नुकसान हो, इसका ख्याल ज्यादा रखती है। मैं इसका जोरों से विरोध करता हूं और मानता हूँ कि स्वस्थ परम्परा रखने के लिये इस तरह के कानून नहीं कायम करेंगे। यह अव्यवहारिक है और इसको किसी प्रकार से पास नहीं किया जाना चाहिये। तो इसका विरोध करते हुए मैं चाहूँगा कि इस संशोधन को यहां से हटा दिया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी (वैराठ) : क्लॉज़ ४७ के अन्दर इस तरह के संशोधन को बिल्कुल ही हटा देना चाहिये क्योंकि इस हाउस में इतने कानून पास होते हैं उनमें से एक सिविल कोर्ट ही ऐसा है कि उनको रद्द कर सकता है और उन कानून को रद्द करने से उसके फैसलों को राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी मानती है। तो आज धारा सभा में ही इस तरह के कानून बना दिये जाते हैं तो यह ठीक नहीं। फिर तो पार्लियामेन्ट में इस तरह का कानून और संविधान भी इस तरह से बनाया जा सकता है कि हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जो हैं उनके अन्दर जो फैसला होगा उनको नहीं माना जावेगा और तब तो उनकी जरूरत ही नहीं रखते, तब तो उनके फैसले ही नहीं माने जाते। पर जब कोर्ट को सरकार ने माना है और विधान के अन्दर इस तरह का प्रोविजन है कि पार्लियामेंट के और सारे स्टेटों में भी जो एक्ट पास होंगे उनको भी रद्द करने का पॉवर उसको होगा। तो एक क्लॉज़ के अन्दर जिस तरह का कि मामूली टैक्स पंचायत ने लगा दिया है और पंचायत का टैक्स किस चीज पर लागू करें और किस पर नहीं, इस पर हाई कोर्ट के अन्दर लोग गये और उस टैक्स को जो कानूनी ढंग में गलत तरीके से लगाया गया है और किसी किसी पंचायत ने तो कानून के अलावा भी और

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कानून को हटा कर भी टैक्स लगाये हैं इसलिये लोग हाई कोर्ट में गये हैं और वहां से उनके हक में फैसला हुआ है। पर अब हाई कोर्ट के फैसले को न मान कर बल्कि सिविल कोर्ट के जो फैसले हुए हैं उनको इस एक्ट में रद्द करके कानून दुबारा ला रहे हैं तो इसके बदले में आपको ऐसा टैक्स लाना चाहिये था कि पंचायतें गलत टैक्स नहीं लगावें। ऐसा संशोधन लाते; पर ऐसा संशोधन लाना तो दूर रहा उल्टे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी को रद्द करने की हिम्मत करने जा रहे हैं और हाउस को यह बताना चाहते हैं कि नहीं, सरकार ने जो किया वह ठीक किया और हाई कोर्ट ने फैसला ठीक नहीं किया, हम उसको भी यहां ठीक कर देते हैं।

इस तरह से अगर आप सवाल सिविल कोर्ट के फैसलों को रद्द करने का लायें और इस तरह का कोई भी बिल इस सदन में लाया जावेगा तो माननीय मन्त्रीजी इस बात के लिये विचार करें कि कई टैक्स आज इस बजट में आपने लगाये हैं उनके लिये भी लोग हाई कोर्ट में जावेंगे तो हर एक्ट में इस प्रकार का संशोधन आपको लाना पड़ेगा। यह अकेले पंचायत एक्ट की ही बात नहीं है; सैल्स टैक्स है, जैसा आपका ट्रान्सपोर्ट का टैक्स है और भी हर वक्त आप टैक्स लगाते रहते हैं दिन पर दिन, काश्तकारों पर आपने टैक्स लगाया है उसके लिये भी सामूहिक रूपसे इकट्ठे होकर लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आज जैसा आपने मोटर चलाने का कानून बनाया परन्तु हाई कोर्ट से आपका सब ठप्प हो गया वह कानून। तो यहां धारा सभा में हम लोग बैठे हैं उसके अन्दर ऐसी चीजों को आप मत लाओ। क्योंकि क्या होगा जनता में हमको आगे जाना है और जब जनता की आवाज को सुनने के लिये आपने और भारत सरकार ने एक सिविल कोर्ट कायम कर दिया है तो उसके लिये आपको उसकी बात को मजबूत करना चाहिये न कि सिविल कोर्ट के कानून को इस धारा सभा में आप रद्द करें। तो यह आप सोचें, यह कहां तक उचित है?

(घंटी)

अगर आप इस तरह का कानून लावेंगे तो हमारा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आप उधर बैठनेवालों का होगा, आपको वोट नहीं मिलेंगे। जनता सोचेगी कि हाउस में तो सिविल कोर्ट के कानून को भी रद्द कर देते हैं और ये अपनी मनमानी से कानून किसी तरह से पास कर देते हैं तो ऐसी हालत में लोग आपकी बुराई करेंगे। राजस्थान भी बदनाम होगा। प्रोपेगेण्डा होगा, अखबारों में लोग जावेंगे, हिन्दुस्तान में लोग कहेंगे। आपकी सब जगह बुराई होगी। सब जगह लोग देखेंगे कि राजस्थान सरकार तो

(घंटी)

सिविल कोर्ट का फैसला भी रद्द कर देती है। तो इसलिये यह

(घंटी)

क्लॉज ४७ के अन्दर आपनें संशोधन रखा है वह कहां तक उचित होगा यह आपको देखना चाहिये।

(घंटी)

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा कि इस क्लॉज को वे डेफर कर दें और इसके बारे में फिर सोचें और अपनी पार्टी मीटिंग में इसके बारे में विचार करें कि इस क्लॉज़ को हाउस में पास करना है या नहीं ? मेरी यही आपसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं अपनी व्यवस्था "Brute majority" शब्द पर देना चाहूंगा। श्री भैरोंसिंहजी ने अपने भाषण में 'ब्रूट मेजोरिटी' शब्द का प्रयोग किया था जिस पर श्री श्रीभानसिंह ने इन शब्दों को असंसदीय घोषित करने का आग्रह किया है। कोई शब्द संसदीय है अथवा असंसदीय, उनको संदर्भ एवं प्रसंग से देखना होता है। अन्य विधान सभाओं में यद्यपि इसको असंसदीय घोषित किया गया है किन्तु यहां जिस संदर्भ और प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि इन शब्दों का प्रयोग असंसदीय है। किन्तु आसन यह भी अपेक्षा करता है कि यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये तो यह संसदीय परम्पराओं को सशक्त करने में सहायक होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के बारे में जो आपत्ति की गई मैं समझता हूं कि यह बात स्पष्ट है कि यदि नया टैक्स लगाने की कोई बात हो तब तो आपत्ति हो तो कोई बात है और यह बात स्पष्ट कर दी है कि यहां कोई इसके द्वारा नया टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं और यह क्लॉज़ उसी के लिए लागू है कि जिनके ऊपर पहले टैक्स लग चुका है और नये जो टैक्स लगाये जायें उनके ऊपर वह लागू नहीं होगा।

दूसरी बात इसके बारे में यह कहूंगा कि किसी तरह की गल्ती कर दी गई हो लेकिन इसके बावजूद भी इस क्लॉज़ से वह पुराना टैक्स वेलीडेट हो जायेगा, यह इस क्लॉज़ का इन्टरप्रिटेशन है। इस क्लॉज़ में सिर्फ इतना है कि जहां टैक्स लगाये गये हैं तो कौनसी तारीख से टैक्स लगाया जायेगा....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Minister-in-charge is not replying the debate.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I can speak. I have a right to speak.

श्री पी. के. चौधरी : The Minister-in-charge should reply. You can intervene but you cannot reply.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Please!! Proceed on.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : रिप्लाई तो मैं दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोटिफिकेशन जो हुआ उसमें डेट देनी चाहिए, वह नहीं दी गई। इसके अलावा कानून के लगाने में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी। हमारा पंचायत एक्ट बना हुआ है उसमें जितने भी कानून-कायदे हैं सबकी पाबन्दी अच्छी तरह से की गई थी, सिर्फ इतना था कि नोटीफिकेशन में डेट लगाने की बात रह गई है। टैक्स कई जगह लगा भी है....

श्री पी. के. चौधरी : ऐसी कितनी जगह होंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता। वह टैक्स ज्यादातर लग भी गया है और वह वसूल भी हो गया है। अब मामला हाई कोर्ट में गया....

श्री पी० के० चौधरी : If you don't know in how many Panchayats this has been done then there is no sense in a Bill like this.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा कि एक, दो पंचायत में ऐसा हुआ। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हुआ है। लेकिन उस समय नोटीफिकेशन की डेट एक थी और यह तो एक इन्टरप्रिटेशन की बात है। हम समझते थे कि जिस डेट को नोटीफाई करते हैं वह मान ली जायेगी। जब मामला हाई कोर्ट में गया और एक आदमी ने उसके लिए सिविल सूट दायर किया तो हाईकोर्ट ने कहा कि डेट लिखनी चाहिए थी। इसलिये हमने यह रखा है कि जो टैक्स ऑलरेडी पंचायतों ने लगा दिया है और जो सैकड़ों जगह लागू हुआ और एक आदमी ने उसके लिए ऐतराज किया, बाकी कानून की सब पाबन्दियां हैं और जो टैक्स कानूनन लगा हुआ है मैं समझता हूं उसको वेलीडेट करने की बात है वह बिल्कुल ठीक है। सिर्फ डेट ही तो लिखने की बात है। अब या तो यह हो कि जिस जिस को भी ऐतराज हो वह हाई कोर्ट में दावा करे और पंचायतों ने जो टैक्स जिस जिस से वसूल कर लिया है उसकी वसूली वापिस करवाई जाये तो इसमें असुविधा ज्यादा होगी और दूसरी तरफ यदि हम इसको वेलीडेट कर देते हैं कि पंचायतों ने जो टैक्स वसूल किया है वह ठीक किया है और उसमें जो तारीख नहीं लिखी है हालांकि हम मानते थे और हमारा इन्टरप्रिटेशन ऐसा था कि जो कि डेट नोटीफिकेशन की है उसको मान लिया जायेगा और अब हाईकोर्ट उसको नहीं मानता है तो अब उसको वेलीडेट कर दिया जाये और उसको जायज़ मानना चाहिए। यह अब माननीय सदस्यों के देखने की बात है। आज वह टैक्स वसूल हुआ है और जो टैक्स वसूल किया गया है वह जनता के फायदे के लिए किया है और वह रुपया गवर्नमेंट के काम में नहीं आया। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहने की कोशिश की कि सरकार ने ऐसा किया, लेकिन सरकार ने तो पंचायतों के फायदे में ऐसा किया। तो अब फिर टेक्निकल मिस्टेक की वजह से पूरे एक्ट को जायज़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ऐसा करने का अधिकार इस लेजिस्लेचर को है। अब कहा यह गया कि यह तो हाईकोर्ट के जजमेन्ट को रद्द किया जा रहा है, मैं बड़े अदब से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहना गलत है, हाई कोर्ट के फैसले को कभी रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है....

श्री पी० के० चौधरी : रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनकम्बेन्ट कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाईकोर्ट के फैसले को तो रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उसके फैसले पर हम यहां वाद–विवाद नहीं कर सकते और न उसको रद्द कर सकते हैं। कानून को बनाने का अधिकार तो लेजिस्लेचर को है। हम हाईकोर्ट के इन्टरप्रिटेशन को मानते हैं। अगर माननीय सदस्यों को यह आपत्ति है कि हम अमेंडमेंट लाये बिना ही कह दें कि वह ठीक वसूल हो रहा है और माननीय सदस्य यदि कहें कि हम तो उसकी वसूली नहीं मानते हैं और हम

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तो हाईकोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं और कहें कि यह तो कानून में खामी रह गई थी तो मैं आपको बताऊं कि लेजिस्लेचर को उसे वेलीडेट करने का पूरा अधिकार है। फिर कहा जाये कि यह तो हाईकोर्ट के अधिकार को छीनने की बात है, तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। ऐसे वेलीडेशन के एक्ट कई बार आ चुके हैं और पार्लियामेंट में भी आ चुके हैं और वह सब तरह से जायज हैं। अगर माननीय सदस्य यह कहें कि हमारे अधिकार में ऐसा नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। यह जायज़ बात है और कानून की बात है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह खतरे की बात नहीं है और केवल एक इन्टरप्रिटेशन की बात थी। तो इस वजह से जो पुराना टैक्स है उसको वेलीडेट कराने की बात है और जैसा यह क्लॉज़ है वैसा ही उसको पास कर देना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो आपत्ति उठाई गई है वह सिर्फ एक बात को लेकर उठाई गई है कि तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): आप ऐसा ही कर दें कि जिनमें तारीख नहीं है उनको वेलीडेट करते हैं। बजाय इसके कि आपने रूल्स वगैरह लगा दिए....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: यही लिखा है और कुछ नहीं है। तो सीधा सा सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि तारीख उसमें नहीं लिखी गई और वह इस इम्प्रेशन में नहीं लिखी गई कि जो नोटीफिकेशन दिया गया तो यह हमारा ख्याल रहा कि जो इसमें तारीख है वही समझ ली जायेगी। बाद में मालूम पड़ा कि यह ठीक नहीं थी और तारीख दी जानी चाहिए थी। तो अब यहां यह संशोधन पेश किया गया है कि विधान सभा उस तारीख के नहीं रहने की वजह से हाई कोर्ट की जो मन्शा थी उसको पूर्ण कर लिया जाये। यदि यह टैक्स लगाना ही गैर वाजिब था और टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं था और वह लगाया गया और बेजा लगाया गया तब तो जरूर प्रश्न पैदा हो सकता था कि पंचायतों ने बड़ा अन्याय किया है। तो जो टैक्स लगाया गया वह कानून के अनुकूल लगाया गया और सरकार की मन्जूरी से लगाया गया; सिर्फ एक कसर रह गई वह भी भ्रम से कि तारीख लिख दी जाती तो यह प्रपंच नहीं खड़ा होता। अब यह तारीख रह भी गई तो विधान सभा के माननीय सदस्यों का क्या कर्त्तव्य है? अगर यह अनैतिक टैक्स होता तब तो आपकी आवाज़ सही थी। अब अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो नतीज़ा क्या होगा जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि पंचायतों में जो रुपया जमा हो चुका है और जिसको पंचायतों ने खर्च कर दिया और जिसके ऊपर टैक्स लगा है वह सिविल सूट करके वापिस वसूल करें। यह स्थिति अगर पैदा होती है तो क्या यह स्थिति ज्यादा वांछनीय है और इसके बावजूद ज्यादा समझदारी की बात यह होगी कि जो कानूनन था और उसमें जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति कर ली जाये। तो मैं नहीं समझता कि इसमें बड़ा भारी दोष हो रहा है। आपके हाथ में जो संशोधन रखा गया है उसके द्वारा आपसे कोई बड़ा भारी अनर्थ कराने जा रहे

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हैं; ऐसी बात नहीं है, अनर्थ नहीं कराने जा रहे हैं। जो थोड़ी सी कसर रही है उसका परिमार्जन कराने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका आदर किया जा रहा है।

(हंसी)

और....

श्री उपाध्यक्ष : You have created a sufficient humour. क्लॉज़ ४८ को भी साथ ले रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : No, Sir. अलग लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४७ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'ना' पक्ष जीता

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then ring the bell.

(विभाजन के लिए घंटी)

४.१२. म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४७ को स्वीकार किया जाय।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री सभापति : Do you want division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

श्री सभापति : Ayes to Ayes lobby and Noes to Noes lobby.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : I think they are not pressing.

श्री सभापति : You are not pressing ?

भैरोंसिंह : No, Sir, we are pressing.

श्री दामोदरलाल व्यास : For the sake of pressing, you are pressing.

श्री सभापति : So Ayes to Aye lobby and Noes to Noes lobby.

(विभाजन के पश्चात्)

Ayes 37 and Noes 15.

[विभाजन के अनुसार 'हां'–'ना' पक्ष के सदस्य :

(श्री सभापति)

'हाँ' पक्ष

श्री अब्दुल गफ्फारखां
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला)
डॉ० चन्द्रकला
श्री चुन्नीलाल
श्री दलीपसिंह
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित
श्री धर्मपाल पंवार
श्रीमती गंगादेवी डाटा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिप्रसाद यादव
श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
श्री हरिश्चन्द्र
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री लछमण हीरात
श्री महादेवप्रसाद बंका
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री परसराम मदेरना
श्री पी० के० चौधरी
श्री रामचन्द्र
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रिखबचन्द धारीवाल
श्री सज्जनसिंह
श्री सम्पतराज जैन
श्री शंकरलाल
श्री रामचन्द्र चौधरी
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री श्रीमानसिंह
श्रीमती सुमित्रा
श्री तेजाराम गहलोत
श्री तेजपाल
श्री छुट्टनलाल

'ना' पक्ष

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री कालूराम
श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व)
श्री मोगजी भाई
श्री मुक्तिलाल मोदी
रावल श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नाथीसिंह
श्री पृथ्वीराज
श्री रामनारायण वर्मा
रावराजा श्री सरदारसिंह
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री वीराराम
श्री बेनाराम गहलोत]

क्लॉज़ ४८, श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।
Clause 47 is added ro the Bill

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४८ में राज्य सरकार इस प्रकार का संशोधन ला रही है जिसके बारे में मंत्रीजी कहेंगे कि विरोधी दल वाले इस प्रकार के संशोधन का भी विरोध करते हैं ; सरकार का कदम आवश्यक है ; हम ऐसा करते हैं तो पंचायत समितियों को ज्यादा अधिकार देते हैं with the previous permission of the State Govt. तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं "विद दी प्रीवियस परमिशन ऑफ दी गवर्नमेंट" शब्द को हटा रहे हैं। पंचायत जो काम करना चाहती है उसमें सरकार हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार का प्रावधान क्लॉज़ ४८ में संशोधन लाकर करना चाहते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि मूल धारा किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है तब पता लगे कि किस प्रकार का संशोधन कर रहे हैं। यदि हम मूल धारा को देखें तो वास्तव में वह इतनी गड़बड़ की है कि यदि उसमें से ये शब्द हटा दिये तो सारे गांव में बहुत बड़ी गड़बड़ उत्पन्न होने वाली है। मूल धारा इस प्रकार की है :

"A Panchayat may, with the previous permission of the Government impose a special tax on the adult male members of the Panchayat area for the construction of any public work of general utility for the inhabitants of the said area : Provided that it may exempt any member from payment of this tax in lieu of doing voluntary labour or having it done by another person on his behalf"

यहां जिसको हम "श्रमदान" कहते हैं और जिसको विनोबाजी ने अच्छी प्रेरणा से और अच्छी भावना से आरम्भ किया था उसी बात को हमारी सरकार ने पंचायत पर लगाया। जिस प्रकार से पुराने जमाने में जागीरदार लोग जो श्रमदान लेते थे जिसको बेगार कहा जाता था और हमारे नेता लोगों ने विरोध किया कि जबर्दस्ती से अपने काम के लिये या सार्वजनिक काम के लिये बेगार लेते हैं वह खराब है। इस बेगार का प्रान्त भर में विरोध हुआ और उसके फलस्वरूप यह खत्म हुई। इसका दूसरा रूप लाकर विनोबाजी ने काम लिया तो स्वेच्छा से श्रमदान से काम लिया। लेकिन हमारी सरकार ने देखा कि विनोबाजी का श्रमदान सफल नहीं हो रहा है तो एक शब्द और दे दिया, कम्युनिटी डवेलपमेन्ट का काम करना हो तो फोर्स्ड लेबर लिया जा सकता है। श्रमदान की भावना को पीछे छोड़ दिया और जबर्दस्ती किसी भी आदमी से पंचायत चाहे तो काम ले सकती है और यदि वह जबर्दस्ती से काम नहीं दे तो पहले पुराने जमाने में काम नहीं देनेवाले को जागीरदार लोग काठ, खोड़े लगा देते थे और सजा देते थे लेकिन अभी की सरकार ने यह व्यवस्था की है कि उससे जबर्दस्ती टैक्स वसूल किया जाय, रुपया लिया जाय। पुरानी व्यवस्था और नयी व्यवस्था में इतना फर्क है कि पहले शारीरिक दंड था अब आर्थिक दंड दिया जाय। यह नयी बात लागू की है। पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कोई भी पंचायत इस प्रकार के श्रम का उपयोग करना चाहे तो राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाती तो उसमें इतनी बात तो थी कि जो काम लिया जा रहा है उसमें कहीं लोगों को तंग तो नहीं किया जा रहा है। सारी बातें देख कर सरकार स्वीकृति देती थी और तय

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

करती थी कि सार्वजनिक महत्व का काम है तो स्वीकृति देती थी। अब इन शब्दों "सरकार के बिना पूर्व स्वीकृति के" को विलोपित किया जा रहा है, यह गलत है। इस प्रकार की बात होगी तो गांव गांव में गड़बड़ होगी। हम जानते हैं कि पंचायत व्यवस्था है वह दलबन्दी के आधार पर है। वहां झगड़े होंगे। इसलिये इसमें पहले जैसा ही प्रावधान रहना चाहिये और इन शब्दों को विलोपित नहीं करना चाहिये। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। पूर्वरूप में ये अधिकार राज्य सरकार के पास ही रहने चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं क्लॉज ४८ का समर्थन करता हूं और समर्थन करने का कारण यह है कि माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं उनके द्वारा आरोप लगाये जाते हैं। जब सरकार के किसी कानून या कार्य के लिये आवश्यक कदम उठाते हैं तो उसका विरोध होता है और कहते हैं कि सरकार अपने पास पॉवर रखना चाहती है और जब सरकार पॉवर को ट्रान्सफर करती है तो कहते हैं कि इससे दलबन्दी होगी इसलिये राज्य सरकार पॉवर देना चाहती है। जब हमने सारे अधिकार पंचायतों को दे दिये और कहा कि वे अपना विकास करें तो इस बात के लिये जरूरी नहीं है कि हरेक आदमी श्रमदान कर सके तो उसके लिये यह किया कि कोई आदमी श्रमदान नहीं कर पावेगा तो उसको चार, पांच रुपये पंचायत को देने पड़ेंगे। इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह सरकार को पूछे। जिन कामों के लिये पंचायत समितियें बनाई गई हैं उनके लिये आवश्यक है कि स्पेशल टैक्स वसूल करें और ऐसा करने के लिये पूर्व स्वीकृति सरकार की लेने की आवश्यकता नहीं है, यह निश्चित चीज़ है। जो पंचायत यह निर्णय कर ले कि श्रमदान करना है तो उसके लिये स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। हमारे यहां छोटी छोटी पंचायतें होंगी जो ५-६ हज़ार के करीब होंगी। सभी यदि इस तरह से मन्जूरी लेना शुरू करें तो स्टेट गवर्नमेंट दो साल में भी पत्र-व्यवहार का डिस्पोज़ल नहीं कर सकेगी। ऐसी स्थिति में जो संशोधन किया गया है उसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री मुकिलाल मोदी (बैराठ) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४८ में जो अमेंडमेंट है...

श्री सभापति (श्री आबिदअली) क्लॉज़ ४८ कह दीजिये।

श्री मुकिलाल मोदी : सभापति महोदय, मैं भी इस बात को मानता जरूर हूं कि एक माननीय सदस्य कहते हैं कि पंचायत समिति को अधिकार दिया जाय, लेकिन जैसा कि टैक्स लगाने का प्रोवीजन है उसमें ये शब्द जोड़े हैं कि जो श्रमदान नहीं करेगा तो उस पर टैक्स लगाकर पैसा वसूल किया जायगा। ये शब्द हटा दिये जांय "बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के" तो यह प्रोवीजन दूसरे ढंग का हो जाय। लेकिन 'श्रमदान' शब्द गलत है। श्रमदान नहीं करेंगे तो उससे टैक्स लगा कर रुपये वसूल किये जांय उसका मतलब यह होगा, यह सही बात है क्योंकि एक कानून बनाते हैं विधान सभा के अन्दर और उसमें श्रमदान शब्द लिख कर, जब कि श्रमदान अपनी मर्जी से करते हैं, आज श्रमदान के जरिये टैक्स लगा कर रुपया वसूल करना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के कम से कम हर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है कि आप डिपार्टमेंटल काम शुरू करवाइये क्योंकि आज हर चीज़ के अन्दर हर आदमी रुपया खाता है, तो उससे कम से कम चार करोड़ रुपये की राजस्थान सरकार को बचत हो सकती है, परन्तु यह बात न तो सेक्रेटरी मन्जूर करेगा, न मिनिस्टर मन्जूर करेंगे, न उसको जो चलाने वाले हैं इन्जीनियर वे मन्जूर करेंगे । इस हाउस के सामने भी प्रश्नोत्तर में यह चीज़ बार बार आती है कि फलाने डिपार्टमेंट के अन्दर इस तरह इतना सामान खरीदा, फलाने डिपार्टमेंट में इतना रुपया खा गये ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : इसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री मुक्तीलाल मोदी : आज श्रमदान के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लगा कर यह चीज़ करना चाहते हैं, यह गलत है । आप टैक्स लगाइये, हमें एतराज नहीं है....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु): सभापति महोदय, माननीय सदस्य समझे नहीं हैं ।

श्री सभापति : क्लॉज ४८ ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी सुनिये तो....

श्री सभापति : क्लॉज ४८ पढ़ लें पहिले आप ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसमें यह है कि श्रमदान नहीं करेगा तो टैक्स लगा कर वसूल किया जायगा....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उसमें सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उसमें सरकारी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा....

श्री सभापति : यह बात कहिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं गलत बोल रहा होऊं तो कह दीजिये, गलत कह रहा हूं ...

श्री शंकरलाल (रायपुर) : गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है, बिल्कुल सही है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसमें पढें, 'श्रमदान' शब्द हटा दें....

श्री सभापति : इसमें....

(घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : 'श्रमदान' शब्द हटा दिया जाय....

श्री सभापति : उसमें यह शब्द हटाने की बात कही जा रही है, राज्य सरकार से स्वीकृति ली जायगी, इस पर आप बोलिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह कहना है....

श्री सभापति : राज्य सरकार से स्वीकृति ली जायगी, ये शब्द हटा दिये जायं, यह है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले राज्य सरकार से स्वीकृति ले रहे थे, तो अब पंचायत समिति करेगी। मुझे इसलिये वहम हो गया कि पंचायत समितियों के सरपंच की मीटिंग हुई थी उसके अन्दर पास हो गया कि श्रमदान जहां नहीं करेंगे....

श्री सभापति : आप राज्य सरकार की स्वीकृति चाहते हैं, क्या वे शब्द चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वे हों तो और अच्छा है। क्योंजी, जब राज्य सरकार ने सारी स्वीकृति अपने हाथ में रखी है....

श्री सभापति : यह कहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं कह रहा हूं, राज्य सरकार ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, तब पंचायत के अन्दर, पंचायत समिति के अन्दर ऐसा कर दिया है कि कोई टैक्स ऐसा होता है जिसको पंचायत लगाना चाहती है तो वह लगा सकती है। मैं चाहता हूं कि दिन पर दिन वहां टैक्स मत लगाइये। राज्य सरकार के पास काफी रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है और इसके अलावा टैक्स के रूप में जनता से वसूल किया जाता है, उसके बाद राजस्थान सरकार पंचायतों में छोटे छोटे गांवों में टैक्स न लगाये, तो उस रुपये से पंचायत द्वारा गांव के विकास का काम ज्यादा हो सकता है। जो रुपया आज बड़े बड़े कामों में लगाया जा रहा है उस रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। वह रुपया बाहर से लेते हैं। हमको आज बेच तो दिया है, अमेरिका को बेच दिया है महाराज। आप जो टैक्स लगाना चाहते हैं, वह लगायें, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो रुपये का दुरुपयोग हो रहा रहा ...

श्री सभापति : आप क्लॉज़ को देखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझे दुःख इस बात का है ....

(घंटी)

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! जो क्लॉज़ है उस पर बोलना चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं क्लॉज़ की बात तो बताना चाहता हूं। जो टैक्स लगाते हैं वह मुझ पर नहीं लगेगा, यहां जो बैठने वाले लोग हैं, उन पर लगता है। मैं अकेला आदमी हूं, खादी पहिनता हूं, रोटी खाता हूं दूसरों के यहां, मैं तो हाथ जोड़ इनके लिए करता हूँ, सही बात तो यह है। तो सभापति महोदय, जो टैक्स लगाया जाय उसको खर्च करने की पॉवर अपने हाथ में रखें। उसका जो दुरुपयोग होता है उसका मुझे दुःख है। इसलिए जो चीज एक्ट में लाई जाय उसके लिए सरकार सोचे क्योंकि पंचायत समिति नहीं सोचेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, हिन्दी अनुवाद की क्लॉज ४७ में जो शब्द लिखे हुए हैं, 'राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से' शब्द विलोपित किये जायं, मैं इसका विरोध करूंगा ....

श्री श्रीभानसिंह : ४८।

श्री भैरोंसिंह : ४७।

श्री श्रीभानसिंह : ४७ तो पास कर दिया, अब विरोध कैसे कर सकते हैं ?

श्री सभापति : हिन्दी अनुवाद की....

श्री श्रीभानसिंह : हिन्दी अनुवाद को कन्सीडर नहीं कर सकते । ४८ अंग्रेजी में है, उनको कहना चाहिए कि ४८ का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : टेक्निकल बात है, ४८ कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मुझे मिला यह है, मैं क्यों कह दूं....

श्री सभापति : यह व्यवस्था दे दी गई है, यह मान लिया गया है कि ऑथेन्टिसिटी अंग्रेजी बिल को दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा है तो अंग्रेजी की ४८ और हिन्दी के क्लॉज़ ४७ (अंग्रेजी प्रति का क्लॉज़ ४८) के द्वारा जो संशोधन सरकार लाना चाहती है, मैं उसका विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं, सभापति महोदय, कि इस क्लॉज़ के द्वारा पंचायत में झगड़े शुरू होंगे। झगड़े किस प्रकार से शुरू होंगे, उसके बारे में कोई विशेष दलील देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमने जो अब तक व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था को अब तक इसलिए इम्प्लीमेंट करने में संकोच हुआ है कि सरकार इन सारी चीजों की छान-बीन करने के साथ-साथ, इस प्रकार श्रमदान और श्रमदान के नाम पर टैक्स लगाने की आवश्यकता है या नहीं, कोई छान-बीन करती है और उस छान-बीन के कारण जो अनावश्यक टैक्स लगाये जा सकते हैं उनको रोकने की काफी सम्भावना है। इसलिए कोई पंचायत अनावश्यक रूप से इस प्रकार के टैक्स लगाने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं भेजे, अब सरकार इस राइडर को हटा रही है, उस हटाने में सरकार का दृष्टिकोण क्या है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ बातें निश्चित रूप से पैदा हो जायंगी, जिन बातों का निराकरण नहीं किया गया तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। हमने पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि पंचायत क्षेत्र के किसी भी कार्य के लिए लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और कोई टैक्स के रूप में श्रमदान करना चाहे तो श्रमदान के रूप में काम लिया जा सकता है और श्रमदान कीमत में काम किया जायगा। उनको टैक्स के रूप में चुकाया जा सकता है, अब तक हमने टैक्सेशन के प्रपोजल्स स्वीकार किये हैं, चाहे एक पैसे का टैक्स लगायें, चाहे चार पैसे का टैक्स लगायें, किसी भी टैक्स को लगायें, यह व्यवस्था की है कि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और वहां जब विरोध किया कि सरकार टैक्स के सम्बन्ध में अनुमति देने का अधिकार क्यों रखती है, तो सरकार कहती है कि हमें पंचायतों के ऊपर उतना अभी तक विश्वास नहीं हो पाया है। पंचायत टैक्सेशन के प्रपोज़ल्स लाये, वे लोगों की इकॉनोमिक कन्डीशन्स के अनुसार ठीक होंगे और वह टैक्स वसूल किया जाना ठीक होगा, इस प्रकार की स्थिति पंचायतों में नहीं बन पाई है। इसलिए सरकार आवश्यकता

(श्री भैरोंसिंह)

महसूस करती है कि पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देने से पहले सारी स्थिति को देखे, लोगों की क्षमता को देखे, पंचायतों की आवश्यकता को देखे, उसके बाद टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। एक तरफ यह कह कर अधिकार दिया है। यहां पर टैक्स के लिए नोटीफिकेशन की जरूरत नहीं है, और बाकी के जितने क्लॉजेज़ थे, इससे पूर्व धारा पास की है, उसके अनुसार जो टैक्स लगाने के नियम वगैरह थे, जितनी सारी व्यवस्था थी, उन सारी चीजों को छोड़ कर हमने पंचायत को अधिकार दे दिया है। अब सभापति महोदय, आजकल पंचायतों में, जिस तरह मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है, राजनैतिक दांव पेंच लगते हैं, जातिगत भावनाएं भी फैलती हैं और इसी कारण हमारे सामने कई प्रकार की जटिल समस्याएं दिन ब दिन पैदा होती जा रही हैं। जब सरकार इसे स्वीकार करती है तो हमारे सामने प्रोब्लम खड़ी होती है कि इस प्रकार के अनुभवों के बाद भी सरकार पंचायतों को इस प्रकार के अधिकार दे रही है कि पंचायत अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का टैक्स लगा सकती है। पंचायत में दो बातें होंगी; एक तो वे सदस्य होंगे जिनका बहुमत होगा और दूसरे वे सदस्य जिनका अल्पमत होगा। ऐसी स्थिति में पंचायत के हाथ में इस प्रकार के अधिकार दे दिये तो गांव में तालाब है और दूसरे गांव में भी तालाब है, बहुमत वाला दल तो एक गांव में रहता है और अल्पमत वाला दल दूसरे गांव में रहता है, उस पंचायत क्षेत्र में डेवलपमेंट से तालाब को खुदवाने के लिये, तालाब की मरम्मत करवाने के लिए ५०० रुपये दिये गये तो बहुमत दल वाले सदस्य अपने गांव के तालाब की इन रुपयों से मरम्मत करवा लेंगे और अल्पमत वाले लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव के तालाब की मरम्मत के लिए टैक्स लगा देंगे। ५०० की आबादी है तो ५०० रुपयों का टैक्स इम्पोज़ कर देंगे और हरएक को एक एक रुपया देना पड़ेगा, अगर कोई रुपया नहीं देगा तो उसे बेगार देनी पड़ेगी। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक मोहल्ले में कोई कुएं की मरम्मत करवानी है तो बहुमत वाले जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के कुएं की मरम्मत डेवलपमेंट के पैसों से करवा ली जायगी और जिस मोहल्ले में अल्पमत वाले लोग रहते हैं, उस मोहल्ले के कुएं की मरम्मत टैक्स से और श्रमदान से कराई जायगी। जिस मोहल्ले में सरपंच के विरोधी लोग रहते हैं उस मोहल्ले के कुए की मरम्मत इस प्रकार के टैक्स से और श्रमदान से करवाई जावेगी। उस मोहल्ले के निवासियों को कह दिया जायगा कि इस कुएं की मरम्मत के लिए उस मोहल्ले के निवासियों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और जो टैक्स नहीं दे सकते उनको श्रमदान के रूप में बेगार देनी पड़ेगी।

यदि इस प्रकार के स्वच्छंद रूप से अधिकार पंचायतों को दे दिये गये तो गांव गांव में इस प्रकार के झगड़े पैदा होंगे। सार्वजनिक कामों के लिए, तालाबों और कुओं की मरम्मत के लिए, गांव की सफाई के लिये जिस समय जागीरदार इस प्रकार के काम करवाते थे तो हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने इस प्रकार के सार्वजनिक कामों के लिए लिये जाने वाले श्रम को बेगार की संज्ञा दी थी, इस प्रकार की बेगार का उपहास

(श्री भैरोंसिंह)

और तिरस्कार किया गया और इस प्रकार की बेगार को गैर कानूनी बतलाया था, आज उसी तरह की बेगार को आप दूसरे नाम से. दूसरे शब्दों में जबरदस्ती लगा रहे हैं। यह तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, दूसरे का धन ले लिया, यह कहा जाय या चोरी कर ली, यह कहा जाय दोनों का एक ही मतलब है, दोनों बराबर हैं। इसी तरह हम बेगार का सुन्दर नाम दे रहे हैं श्रमदान का, वह श्रमदान भी जबरदस्ती लिया जाने वाला, मैं तो कहूंगा यह श्रमदान नहीं है दान में फोर्स नहीं होता। जिसमें फोर्स हो वह कभी दान नहीं कहा जा सकता इस विभाग के मंत्री गांधीवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं और शास्त्रों का अपने आपको जानकार बताते हैं। वे किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में यह बता दें कि दान कभी जबरदस्ती लिया गया हो। यह 'दान' शब्द का तिरस्कार है, बेइज्जती है. 'दान' शब्द का उपहास है। फोर्स करेंगे तो वह श्रम दान नहीं, बेगार है और इस प्रकार की बेगार लेने का अधिकार पंचायतों को दे देंगे तो गांव गांव में झगड़े होंगे, एक ही गांव में एक कुंए की मरम्मत डेवलपमेंट के पैसों से होगी और दूसरे कुंए की मरम्मत श्रमदान से होगी। श्रमदान की पैसों में वेल्यू नहीं कर सकते। पैसा और श्रमदान दोनों को मिला कर चलते हैं तो हम भयंकर भूल करते हैं। फिज़िकल सहायता देते हैं तो पैसे से मतलब नहीं बशर्ते कि कोई व्यक्ति अपाहिज़ हो, श्रम करने के बिल्कुल अयोग्य हो। पर एक आदमी देखेगा कि मैं गांव का मुखिया हूं श्रम करने में शर्म महसूस होती है, अपने बजाय १) में दूसरे मजदूर को लगा दूंगा और वह रुपया एक मजदूर का ज्यादा नाम लगा कर वसूल कर लूंगा। इस स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि श्रमदान बुरा है....

श्री सभापति : You are just opposing the section and not the Clause. आप क्लॉज़ को अपोज़ कीजिये, ओरीजिनल सैक्शन को कैसे अपोज़ कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जब तक श्रमदान के बारे में जानकारी नहीं होगी कितने घातक परिणाम हो सकते हैं ....?

श्री सभापति : निर्धारित समय में हम इस बिल को पास करना चाहते हैं। फिर क्लोज़र मोशन आ जायगा और दूसरी सैक्शन्स पर नहीं बोल सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस श्रमदान की, जैसे श्रमदान की व्यवस्था कर रहे यह हैं श्रमदान इस प्रकार का है; इस प्रकार का श्रमदान लेने का अधिकार केवल पंचायतों को हो रहे और उस पर सरकार का नियन्त्रण नहीं रहा तो इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। सरकार को कौनसी दिक्कत आ रही है ? मन्त्रीजी सत्ता लेने के ज्यादा इच्छुक हैं, इस प्रकार की सत्ता कई क्लॉजेज़ में ली भी है, दान के रूप में हम उन्हें इस प्रकार की सत्ता दें तो उसे क्यों ठुकरा रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): त्यागी हैं।

श्री भैरोंसिह : त्यागी तो नहीं हैं क्योंकि सत्ता पहली कई क्लॉजेज़ में ले चुके हैं, सत्ता तो उन्होंने ली है। त्यागी के स्थान पर सत्ता लेने का लोभ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): इसमें तो दे रहे हैं।

Page No.116

श्री भैरोंसिंह : इस स्थिति में त्यागी मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की त्याग की भावना उन्होंने दिखाई उसके पीछे भयंकर रहस्य छिपा हुआ है, और वह पंचायतों के विकास में बाधक होगा, डेवलपमेंट के काम रुके रहेंगे और लोगों के आपस में झगड़े होंगे। कोऑपरेटिव रूप से आपस में मिल कर काम करें, वैमनस्यता मिटायें, यह बात नहीं होगी वैमनस्यता बढ़ाने की बात हम उनके हाथ में दे देंगे। इस स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जिस स्थिति में संशोधन आया है उसे सदन स्वीकार नहीं करे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन के सपोर्ट में बोल रहा हूं और जो इस अमेंडमेंट को डिलीट कराना चाहते हैं उनका विरोध करता हूं। मेरे पहले माननीय सदस्य बोल चुके हैं....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-ब): यह समय भी निर्धारित कर दिया जाय।

श्री पी.के.चौधरी : हो गया है समय निर्धारित। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य के दिमाग में बात है कि श्रमदान कम्पल्शन से होता है। मैं उनका ध्यान प्रिंसिपल एक्ट की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं, वहां कम्पल्शन नहीं है, प्रिंसिपल एक्ट में लिखा है :

"Provided that it may exempt any member from payment of this tax in lieu of doing voluntary labour of having it done by another person ou his behalf." कोई व्यक्ति यह टैक्स नहीं देगा तो वह श्रमदान कर सकता है; यानि इस कानून के ज़रिये हम श्रम के लिये कम्पल्शन नहीं लगा रहे हैं। यह किसी एडल्ट मेल मेम्बर के लिये....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : गरीबों का क्या होगा ?

श्री पी० के० चौधरी : गरीब लोग भी श्रमदान देंगे।

श्री भैरोंसिंह : या तो वे श्रमदान करें या पैसा देकर अपना पेट फोड़ें।

श्री पी० के० चौधरी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हर आदमी की कुछ न कुछ रेस्पोन्सिबिलिटी है। समाज में हर आदमी की जिम्मेदारी है। These are subject to certain responsibilities towards society. अगर कोई काम पब्लिक युटिलिटी के लिये, कन्ट्री या कॉम्युनिटि के लिये कराया जावे, यदि उस काम में वोलेन्टरी कन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर न करे तो समाज को अधिकार रहना चाहिये कि वह उस पर टैक्स इम्पोज़ कर सके।

अब यह प्रोविज़न रखा है कि पंचायत ऐसे टैक्स इम्पोज़ कर सकती है। प्रिन्सिपल एक्ट के खिलाफ है, आपको यह एतराज है कि अगर पंचायत ऐसा करे तो गवर्नमेंट की सैंक्शन लेकर करे। मैं समझता हूं कि यह एक तरह का regressive idea है। पहले हमने कहते सुना कि गवर्नमेंट पॉवर अपने हाथों में रखना चाहती है। पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पॉवर देनी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा पॉवर जनता के पास रखने चाहिये। आज डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में जनता को जो पॉवर मिलने चाहिये सरकार

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं देती है। आज सरकार अपने हाथ में कुछ चीज अवश्य रखती है। मगर इस क्लॉज़ में तो इससे उल्टा हो गया है। इसमें तो सरकार द्वारा टैक्स इम्पोज़ करने के कम्प-लीट पॉवर्स उनके हाथ में दिये जा रहे हैं। We are delegating more powers. अब माननीय सदस्य को....

श्री भैरोंसिंह : किन किन रेस्पेक्ट में....

श्री पी० के० चौधरी : मैं सब रेस्पेक्ट को लेकर कहता हूं। एक एक करके १०० होते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। माननीय सदस्य आज ही यह चाहें और यह मान कर चलें कि लॉ एण्ड ऑर्डर पंचायतों के हाथ में दे दिया जाए या इन्कम टैक्स लेवी करने के पॉवर्स उनके हाथ में दे दिये जाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उनका जो दायरा है उसके अनुसार पॉवर दिये जाते हैं। मैं तो यह जो पॉवर दिया जा रहा है इसको, एन-लाइटन्ड स्टेप मानता हूं। यह प्रोगेसिव पॉवर है। पंचायतें टैक्स लगाना चाहती है या नहीं ?

दूसरी बात यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हम यह चाहते हैं contribution from the village quarter. वह किस तरह से आवेगा ? अलग अलग पंचायतों की अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। इसके लिये हम complete independence देते कि कॉमन कॉज़ के लिये जो टैक्स इम्पोज़ करना चाहे, कर सकती है। गवर्नमेंट का उससे क्या संबन्ध ? अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिये कागज़ात वहां से आवें तो उसमें एक बात होगी और वह यह कि उसमें बहुत डिले होगी। पंचायतें एक प्रस्ताव पास करेंगी। उसके बाद भी बहुत डिले हो सकती है and today we are racing against time. हमारे डेवलपमेंट में देर होगी। आज हमारा ध्येय है कि काम जल्दी से जल्दी हो, quick implementation of the programme, तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह बिल है, progressive step है and it should be welcomed. इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के दिमाग में गलतफहमी हो गई है, उसको निकाल देना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ४८ पर बहस चल रही है और जो गवर्नमेंट ने बात रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि जब हमारा राजस्थान लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण में मर्ज हो जाता है उसके बाद पंचायतें और पंचायत समितियें और जिला परिषदों को राज्य सरकार अधिकार दे रही है तो ऐसी सूरत में हम श्रमदान से गांवों में सड़कें बनावें या छोटी छोटी नाडियें वगैरा बनावें या छोटे छोटे तालाब मवेशियों को पानी पिलाने के लिये बनाते हैं तो इसके लिये यदि हमने राज्य सरकार से ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति सेक्शन लेने के लिये कोई व्यक्ति जयपुर के सेक्रेटे-रियेट आता है !....

श्री सभापति : जयपुर के सेक्रेटेरियेट से या राजस्थान के सेक्रेटेरियेट से ?

श्री हरिप्रसाद यादव : हमारे यहां का सरपंच अगर आये और माननीय मंत्रीजी दौरे पर पधारे हुए हों तो ऐसी सूरत में

(श्री हरिप्रसाद यादव)

पब्लिक का बहुत बड़ा श्रम जो जेठ और आषाढ़ में वर्षा आने का मौसम होता है, ऐसे समय पर माननीय मंत्री महोदय १० या १५ दिन के लिये बाहर दौरे पर हों तो कागज अटक जावेगा और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा यों ही बर्बाद हो जावेगा और जो लोग ग्राम-ग्रामों में परिश्रम करते हैं और श्रमदान देते हैं उनकी मेहनत बेकार हो जावेगी। यहां पर यह रखा है कि उस पर टैक्स लगा सकती है। मैं यह कहूंगा कि अगर कोई आदमी शुगर फैक्टरी में १५० रुपये में नौकरी करता हो तो वह दो-तीन रुपये दे देगा और वह यह सोचेगा कि गांव में तालाब या नाडी या स्कूल की बिल्डिंग बन रही है उसमें श्रम नहीं दे सकता है इसलिये वह दो-तीन रुपये दे देगा। तो हमने इसके लिये यह पॉवर दिये हैं। पहले जो पंचायत एक्ट था उसमें यह पॉवर थे कि राज्य सरकार की बिना इजाजत के ग्राम पंचायत इस प्रकार टैक्स लगाने का काम नहीं कर सकती। अब चूंकि आप और हम सब २ अक्टूबर को लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण में मर्ज हो गये हैं तो विकास कार्यों के लिये हमें उनको फन्ड देने चाहिये। जब फन्ड के लिये कहते तो आप कहते कि सारे फन्ड उनको दे दिये। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा को, पंचायत समिति एक्ट में जो पुरानी धारा रखी है उसको तरमीम किया जा रहा है। पहले राज्य सरकार को आदेश लेने की जरूरत थी अब पंचायत समितियों को पॉवर मिल जावेगा और छोटे मोटे काम हैं; जैसे तालाब बनाना, नाडियें बनाना या सड़कें बनाना या कोई रास्ते खराब हों तो श्रम करके और पैसा इकट्ठा करके छोटे-मोटे काम करा सकेंगे। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ पास करने काबिल है और मैं इसका समर्थन करता हूं। हाल ही में दो दिन पूर्व हम कोटा बैराज होकर आये हैं। वहां हमने गांधी सागर आदि देखा और वहां पर लोग काम कर रहे हैं....

श्री सभापति : वहां श्रमदान नहीं हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं एग्ज़ाम्पल पेश करना चाहता हूं। अगर पंचायत समिति और जिला परिषद की इस धारा को पास नहीं होने देते हैं तो वहां पर लोगों ने जितना काम किया है वह पानी में बह जावेगा। इसलिये पंचायत समिति और जिला परिषद को अधिकार मिलने चाहिये। मैं समझता हूं..

श्री सभापति : ताकि चम्बल प्रोजेक्ट में....

श्री हरिप्रसाद यादव : तो हमने यह देखा है कि राणा प्रतापसागर से काफी बिजली मिलेगी और ऐसे समय में यदि सेक्रेटेरिएट में कागज उलझ जावें तो इंजीनियर वहां पर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जावेगा। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, समय हो गया है।

श्री सभापति : I think there are two minutes more left.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि जैसा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बिल के मूल रूप में है वही रखा जावे। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि अब तक जितनी भी धाराएं आई हैं उनमें यही पाया गया है कि सरकार की ओर से यह प्रावधान रखा गया है कि सरकार अपने हाथ में शक्ति रखेगी। उसका लगातार विरोध होता रहा है कि सरकार अपने हाथ में सत्ता लेना चाहती है। लेकिन यहां पर सरकार अपने हाथ से पॉवर्स जनता को देना चाहती है मगर उसका भी विरोध किया जाता है। मैं समझता हूँ कि कोई सिद्धान्त से इसका विरोध हुआ है, ऐसा नहीं किया गया है। यह विरोध इसलिये किया गया है कि सरकार की ओर से यह बात आई है।

श्री शंकरलाल (रायपुरा) : समय हो गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगर हम हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५३ को मूल रूप में देखें तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसको हम नई करने जा रहे हैं, सिवाय तीन-चार शब्दों को हटा रहे हैं। मूल धारा रखी है वह इस प्रकार है: "पंचायत, सरकार की पूर्व अनुमति से, पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुषों पर, उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिये, ग्राम उपयोग के किसी भी सार्वजनिक कार्य के निर्माण के लिये कोई विशेष कर लगा सकती है, किन्तु शर्त यह है कि पंचायत किसी भी व्यक्ति को, स्वेच्छा से श्रम करने के बदले में या अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा श्रम करा देने पर इस कर से मुक्त कर सकती है।"

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The time is up, Sir.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यहां तो कोई कर लगाने की बात नहीं है, केवल कर से मुक्त करने की बात है। मैं समझता हूं कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं होने जा रही है। हमारे यहां आजकल जो व्यवस्था है वह भी यही है। हम पुरानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों या ब्लॉक समितियों से अब तक इस प्रकार की व्यवस्था करते रहे हैं। उन्हीं गांव-वालों से कहा जाता है कि स्कूल बनाओ, कुएं खोदो, तालाब खोदो। जो रुपया न दे सके, उनको मेटीरियल (सामग्री) देना होगा। यह अब तक व्यवहार में चल रहा है।

(घंटी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कर दीजिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कुछ समय लगेगा।

(विराम)

तो फिर कल बोलूंगा।

श्री सभापति : यह तो साधारण सा क्लॉज़ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कल पूरा कर लूंगा।

श्री सभापति : आज ही समाप्त कर दीजिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें सिर्फ यह देखना है कि आज ही यह व्यवस्था की है कि कोई नया कर नहीं लगाते हैं। कहते यह हैं कि गांव वालों से एक एक रुपया इकट्ठा करवायें। लेकिन गांवों में सबकी स्थिति एक सी नहीं होती है। नित्य प्रति यह कहते हैं कि "तन, मन, धन"। कोई तन से करे, कोई धन से करे। जिनके पास धन देने को है वह धन दे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a point of information Sir, माननीय सदस्य से चाहूंगा कि मन से किया मान लें तो हमें कोई विरोध नहीं है।

श्री जुगलकशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने यह नहीं देखा कि वयस्कों पर लगाया जा रहा है। जो वयस्क नहीं हैं वे सब कामना करेंगे कि यह काम हो जाय। जो तन से समर्थ हैं वे तन से काम करें और जो धन से समर्थ हैं वे धन लगायें, १), २) रु० लगायें। जो एक रुपया नहीं दे सकता वह स्वेच्छा से काम करेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उनका क्या होगा जो १) रु० की कमाई से शाम को घर वालों के लिए अनाज लेकर जाते हैं?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जब उसमें कोई फोर्स, कम्पलशन नहीं है, यह आशा क्यों कर रहे हैं कि वे लोग कोई काम करें ही नहीं ! हर एक आदमी गांव की बहबूदी को चाहता है। आज भी यह कहा जाता है कि गांव वाले मिल कर यह काम कर लेते हैं। मेहनत के बदले कहां रखा गया है कि कर से मुक्त रखा जावेगा ? इसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं कि मुक्त कर सकते हैं! इसमें नये कर की व्यवस्था नहीं है। श्रमदान भी कर सकते हैं। बलात् फोर्स से श्रमदान कराने का सवाल नहीं है। स्वेच्छा से श्रम करेगा। जो पैसा नहीं दे सकता उसमें उससे श्रम लेने का विधान रखा है। केवल एक ही चीज़ है। पहले यह रखा था कि पंचायत, सरकार की पूर्व अनुमति से। सरकार की पूर्व अनुमति रही हो ? आज जिस युग में हैं, जो प्रगति कर रहे हैं, मैं समझता हूं, सरकार जितनी सत्ता, शक्ति पंचायत को दे उतना ही अच्छा है। सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाया है। उन्होंने कम से कम पंचायतों को शक्ति दी है। इसका विरोध करना प्रगतिशीलता का विरोध करना है। प्रगतिशीलता को कायम रखें। यह मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको इसी रूप में स्वीकार करेंगे और माननीय सदस्य भी इसका इसी रूप में समर्थन करेंगे।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही दिनांक १३ अप्रेल, १९६० के ११ बजे तक के लिए, म. प. ५.५ बजे स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १२ अप्रेल, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
उद्योग जायदादें ।		महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ की अध्यापिकाओं के बकाया वेतन ।	
कालन्द्री की उच्च माध्यमिक शाला में वाणिज्य विषय की व्यवस्था ।		देसूरी में पृथक एसिस्टेन्ट कलेक्टर को अदालत स्थापित करने की मांग ।	
अजमेर खण्ड के रेवेन्यू इन्पेक्टर्स की नायब तहसीलदारों के पद पर नियुक्ति ।		राजस्थान में सोशियल डिफेन्स स्कीम की स्वीकृति एवं उसका कार्यान्वयन ।	
नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की बैठकें एवं कार्यवाही विवरणों का लेखन ।		तहसील हिन्डोन में फलीकेपुरा से कोटरी तक निर्मित सड़क के अन्तर्गत आई हुई भूमि के लगान की वसूली ।	
हिन्डोन तहसील में हरिजनों के उपयोगार्थ-जल कूपों का निर्माण ।		जिला जालोर व बाड़मेर की गल्ती से पुनर्ग्रहित छोटी जागीरों के लगान की वसूली एवं वापस अदायगी ।	
ग्राम टोडा ठेकला, तहसील लालसोट में अग्नि दुर्घटना से पीड़ित परिवारों को सहायता ।		सब-डिविजन किशनगढ़ के गांवों की गोचर भूमि की पत्थर गढ़ाई ।	
सिरोही जिले में कालन्द्री से सिलदर व रेवदर से जसवन्तपुरा तक मेटल्ड सड़क का निर्माण ।		आबू रोड में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना ।	
खारची तहसील में गोचर भूमि सम्बन्धी विचाराधीन मामले ।	७४७७	कोटा जिले की मुख्य सड़कों को डाम्बर सड़क बनाने की योजना ।	

जागीर कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा निर्णीत पांच हजार से नीचे के दावे।

पाली शहर में सन् १९५० से १९५८ तक काश्त की भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन।

भाखरा नहर क्षेत्र की जमीन का तबादला।

सिरोही जिले के स्वरूपगंज से रोहिड़ावास जानेवाले बस रूट पर पड़नेवाले नाले पर बांध निर्माण कार्य।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण।

ग्राम उखलाना, तहसील अली-गढ़ में पटवारखाना का निर्माण कार्य।

सन् १९५९ में भरतपुर जिले के हरिजनों के निवास-स्थानों में अग्नि दुर्घटनाएं।

धौलपुर उप-जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन एवं उनकी स्थिति।

तहसील टोंक के ग्राम फरोकाबाद में हरिजनों को काश्त के लिए अलॉट की गई भूमि।

तहसील फुलेरा के हैडक्वार्टर से मुख्य गांवों को सड़क द्वारा जोड़ना। १

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। ७५३१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :-

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० ७५४६

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खंडशः विचार जारी रहा :-

खण्ड १६ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १७ व १७ ए :-संशो-

स्कम्भ

धित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड १८ व १६ :–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड २० :–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २१ से २८ :–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड २६ :–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३० :–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड ३१ :–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३२ से ३६ :–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ३७ व ३८ :–आस्थगित रखे गये।

खण्ड ३६ :–बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४० :–आस्थगित रखा गया।

खण्ड ४१ से ४४ :–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ४५ :–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४६ व ४७ :–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ४८ पर विचार हो रहा था कि सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर बुधवार, दिनांक १३ अप्रेल, १६६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार दिनांक १३ अप्रेल, १६६०
की कार्य–सूची

१. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० (अग्रेतर खंडश: विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया स्थगित प्रश्न संख्या ६५७ का उत्तर देखिये)

सूची भूतपूर्व नायब तहसीलदार (अस्थाई) जिनको कि रिवर्ट किया गया था, फिर से नियुक्त किया गया है

संख्या	नाम	आदेश दि० जिससे रिवर्ट किया गया था	आदेश दि० जिससे वापस नियुक्त किया गया
१.	श्री रामबिलास मिर्धा	२१-१०-५६	२८-१०-५६
२.	श्री बैजनाथ	,,	१०-११-५६
३.	श्री वीरसिंह	,,	,,
४.	श्री गंगादास	,,	१४-११-५६
५.	श्री शिवसिंह	,,	,,
६.	श्री रूपनारायण	,,	,,
७.	श्री आनन्दी लाल	,,	,,
८.	श्री कालू लाल	,,	,,
९.	श्री मुरीचन्द	,,	,,
१०.	श्री रामप्रसाद	,,	१६-११-५६
११.	श्री मोहन लाल	,,	,,
१२.	श्री रामेश्वर दयाल	,,	३०-११-५६
१३.	श्र गौरी शंकर	,,	१८-१२-५६
१४.	श्री देवीराम	,,	२१-१२-५६
१५.	श्री नाथूसिंह	,,	,,

नोट:—नायब तहसीलदारों का अभाव होने के कारण इनको ६ माह के लिए अस्थाई रूप से कार्यवाहक नायब तहसीलदार नियुक्ति किये हैं। चूंकि कमेटी द्वारा चुने हुए सब नायब तहसीलदार नियुक्त हो चुके थे।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ का उत्तर देखिये)

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की अब तक ६ बैठकें हुईं जिनका विवरण मय उपस्थिति सदस्य इस प्रकार है :—

१. ता० २८ अप्रेल, सन् १६५६

स्थान—नाथद्वारा

उपस्थित सदस्य

(१) श्री कृष्णराज एम. डी. ठक्करसी

(२) श्री सांवलदान उज्जवल, कमिश्नर, उदयपुर

(३) श्री वन्दरावन कापड़िया

२. ता० ३०, ३१ जुलाई और १ अगस्त, सन् १६५६

स्थान—बम्बई

उपस्थित सदस्य

(१) श्री कृष्णराज एम. डी. ठक्करसी

(२) श्री सांवलदान उज्जवल, कमिश्नर, उदयपुर

(३) श्री वन्दरावन कापड़िया

३. ता० १७ अक्टूबर, १६५६

स्थान—जयपुर

उपस्थित सदस्य

(१) श्री कृष्णराज एम. डी. ठक्करसी

(२) श्री सांवलदान उज्जवल, कमिश्नर, उदयपुर

(३) श्री वन्दरावन कापड़िया

४. ता० २१ व २२ नवम्बर, १६५६

स्थान—बम्बई

उपस्थित सदस्य

(१) श्री कृष्णराज एम. डी. ठक्करसी

(२) श्री सांवलदान उज्जवल, कमिश्नर, उदयपुर

(३) श्री बृजलाल बसनजी लालजी

(४) श्री चतरभुज चिमनलाल

(५) श्री जादवजी केशवजी मोदी

(६) श्री बलवन्तसिंहजी मेहता

(७) श्री पोपटलाल कोटन

(८) श्री गोपीकिशन मालानी

५. ता० १-२-६०

स्थान—नाथद्वारा

उपस्थित सदस्य

(१) श्री कृष्णराज एम. डी. ठक्करसी

(२) श्री वन्दरावन पुरुषोत्तम

(३) श्री बृजलाल बसनजी लालजी

(४) श्री सांवलदान उज्जवल, कमिश्नर, उदयपुर

(५) श्री चतरभुज चिमनलाल

(६) श्री जादवजी केशवजी मोदी

(७) श्री बलवन्तसिंह मेहता

(८) श्री पोपटलाल कोटक

(९) श्री घनश्यामदास पोदार

६. ता० १२-२-६०

स्थान—बम्बई

उपस्थित सदस्य

(१) श्री कृष्णराज एम. डी. ठक्करसी

(२) श्री वन्दरावन पुरुषोत्तम

(३) श्री बृजलाल वसनजी लालजी

(४) श्री सांवलदान उज्जवल, कमिश्नर, उदयपुर

(५) श्री चतरभुज चिमनलाल

(६) श्री पोपटलाल कोटक

(७) श्री घनश्यामदास पोदार

(८) श्री बलवन्तसिंह मेहता

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६२ का उत्तर देखिये)

संख्या	नाम गांव	नाम अधिकारी	कितने समय से पेन्डिंग है
१	२	३	४
१.	कंटालिया	तहसीलदार, खारची	सन् १६५७ से
२.	हिंगोलाखुर्द		
३.	बीठ्ड़ा खुर्द		
४.	रिसानिया		
५.	भीमली		
६.	मांडा		सन् १६५८ से
७.	राजकियावास कलां		
८.	गोदावास		
६.	चवाडिया		सन् १६६० से
१०.	नरसिंगपुरा		
११.	हिंगोला कलां		
१२.	सोडां की ढाणी		
१३.	गोडागडी		
१४.	बोरनडी		
१५.	मेलावास		
१६.	दादीयां		
१७.	बाली		
१८.	धूंधला		
१६	हेमलियावास कलां		

१	२	३	४
१.	आसणमेलडा	नायब तहसीलदार, खारची	सन् १६५६ से
२.	डिंगोर		
३.	भगोड़ा		
४.	गुडा हिमला		
५.	गुडा सूरसिंह		
६.	बाडीया		
७.	करमाल		
८.	जोजावर		
६.	कराडी		
१०.	गुडा दरजन		
११.	बनियामाली		
१२.	सारण		
१३.	ढाल		
१४.	सिरियारी		
१५.	गुडा मेहकरन		
१६.	आंगदोश		
१७.	बोरीमादा		
१८.	आसोर		
१६.	गुडा भोपा		
२०.	लीबीयावास		
२१.	राडझालरा		
२२.	फुलाद		
२३.	लीवांणा		

१	२	३	४
२४.	गुडा-भोपत		
२५.	आसन जोधवन		
२६.	मेलाप		° सन् १६६० से
२७.	चौनडिया		
१.	राजोला खुर्द	उप जिलाधीश, सोजत	२३-१-६०
२.	धामली		२३-१-६०
३.	मलसा बावडी		२३-१-६०
४.	नयागांव		२१-१-६२
१.	रवडिया	जिलाधीश, पाली	२७-१-६० ये मिसलें उपजिलाधीश,
२.	बाली		२४-२-६० सोजत से वास्ते
३.	गोपावास		२४-२-६० मंजूरी के प्राप्त
४.	पांचटिया		२४-२-६० हुई हैं। इनमें
५.	अखावास		२७-२-६० इश्तिहार उजरदारी
६.	गोदाना		२४-२-६० शाया किये जाने
७.	बागावास		१६-३-६० की कार्यवाही की जा रही है।

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६५ का उत्तर देखिये)

सोशियल डिफेन्स स्कीम के अन्तर्गत विभागीय तरक्कियां दी गई उनकी सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति	किस पद से	किस पद पर
१.	श्री बृजराज कुमार	कल्याण निरीक्षक	प्रोबेशन ऑफिसर भिक्षु गृह
२.	श्री राघवसिंह	सहायक प्रकाशन अधिकारी	कल्याण अधिकारी कारागृह
३.	श्री प्रेमचन्द बख्शी	फोटोग्राफर	,,
४.	श्री कालूलाल सुखवाल	कल्याण निरीक्षक	,,
५.	श्री रूपसिंह लोढ़ा	,,	,,
६.	श्री चान्दमल जैन	,,	,,
७.	श्री रमणलाल द्विवेदी	,,	,,
८.	श्री रामप्रसाद डंडोतिया	,,	,,
९.	श्री रामेश्वरलाल शर्मा,	प्रचार सहायक	असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेण्ट भिक्षु गृह
१०.	श्री कृष्णकुमार पारीक	कल्याण निरीक्षक	टेक्निकल असिस्टेन्ट, सर्टीफाइड स्कूल

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८३ का उत्तर देखिये)

GENERAL ABSTRACT OF ANNUAL REPAIRS TO GOVERNMENT BUILDINGS, DHOLPUR.

S. N.	Name of Buildings	Capital cost.	A/R to amount Remark.
1	2	3	4
1.	A/R to Sadar Hospital Building Quarters	128727/-	1286/-
2.	„ to lady Hospital & Quarter, Dholpur	129546/-	1294/-
3.	„ to Unsri Hospital Building, Dholpur	14428/-	144/-
4.	„ to Dispensary, Saipau.	20069/-	201/-
5.	„ to Dispensary, Rajakhera.	13416/-	134/-
6.	„ to Dispensary, Bari.	20001/-	200/-
7.	„ to Dispensary, Sir Mathura.	10950/-	100/-
8.	„ to Maharana High school, Dholpur.	199458/-	1995/-
9.	„ to Town Hall, School.	28646/-	286/-
10.	„ to Girls School, Dholpur.	93443/-	934/-
11.	„ to Middle School, Godarpura, Dholpur.	11819/-	118/-
12.	„ to Barijan School, Dholpur.	1727/-	17/-
13.	„ to Primary School, Bara Hydershah.	7221/-	72/-
14.	„ to Primary School City, Dholpur.	3432/-	34/-
15.	„ to Boarding House, Dholpur.	30955/-	300/-
16.	„ to Middle School, Bari.	14708/-	145/-
17.	„ to Middle School, Rajakherra.	9294/-	93/-
18.	„ to Middle School, Saipau.	10516/-	105/-
19.	„ to Middle School, Baseri.	11500/-	115/-
20.	„ to Middle School, Mania.	4141/-	42/-

1	2	3	4
21.	A/R to Tehsil Building, Dholpur.	6904/-	69/-
22.	„ to Tehsil Building, Bari.	40334/-	403/-
23.	„ to Tehsil Building, Baseri.	66963/-	670/-
24.	„ to Tehsil Building, Saipau.	15673/-	157/-
25.	„ to Tehsil Building, Rajakherra.	15495/-	155/-
26.	„ to Poilce Station Kotwali.	5798/-	58/-
27.	„ to Police Station, Nehalganj.	2390/-	24/-
28.	„ to Police Station Railway Station.	1694/-	17/-
29.	„ to Police Station Rajakhera.	20310/-	203/-
30.	„ to Armed Police line.	15598/-	156/-
31.	„ to Police Station, Bari.	17962/-	180/-
32.	„ to Police Station, Kolari.	7184/-	72/-
33.	„ to Police Station, Baseri	17222/-	172/-
34.	„ to		
35.	„ to Police Station, Baretha.	4692/-	47/-
36.	„ to Police Station, Sir Mathura.	9111/-	91/-
37.	„ to Naraingarh Infentry line (R. A. C. Police.)	140017/-	1400/-
38.	„ to Police Station, Angai.	4867/-	49/-
39.	„ to other Military lines.	50000/-	1400/-
40.	„ to Treasury Building Sader (residence Tehsildar).	12312/-	123/-
41.	„ to Treasury Building, Bari.	1563/-	16/-
42.	„ to Treasury Building, Saipau.	238/-	2/-
43.	„ to Treasury Building, Baseri.	2860/-	29/-
44.	„ to Treasury building, Rajakherra.	3096/-	31/-

1		2	3	4
45.	A/R	to Custom Post, Sayar.	2356/-	23/-
46.	,,	to Custom Post, Chambal.	1380/-	14/-
47.	,,	to Custom Post, Station Dholpur.	2700/-	27/-
48.	,,	to Custom Post, Rajakhera.	2612/-	26/-
49.	,,	to Custom Post, Gambhir Ghat.	2520/-	25/-
50.	,,	to Custom Post ,Saipau.	1225/-	12/-
51.	,,	to Custom Post, Basai Nawab.	2640/-	26/-
52.	,,	to Custom Post, Jaspura.	2697/-	37/-
53.	,,	to Custom Post, Bari.	3163/-	32/-
54.	,,	to Custom Post, Beseri.	1134/-	12/-
55.	,,	to Custom Post, Boroli.	2612/-	26/-
56.	,,	to Custom Post, Baretha.	2927/-	29/-
57.	,,	to Costom Post, Kharagpur.	2927/-	29/-
58.	,,	to Custom Post, Bhandhiana.	840/-	8/-
59.	,,	to Custom Post, Mania.	2835/-	28/-
60.	,,	to Kutchery Building, Dholpur.	116320/-	1163/-
61.	,,	to Jail Building, Dholpur.	89167/-	891/-
62.	,,	to Club House Building.	19611/-	196/-
63.	,,	to Jubliee Hall Building.	51525/-	515/-
64.	,,	to Grain godown including work bldg.	5574/-	557/-
65.	,,	to Supply Office, Bari.		47/-
66.	,,	to temple Shri Radhabihariij.	14452/-	144/-
67.	,,	to temple Shri Narsingji.	8375/-	84/-
68.	,,	to temple Shri Garhatiji.	130000/-	130/-
69.	,,	to temple Shri Mata Jujuawali.	2400/-	24/-

1	2	3	4
70.	A/R to templet Shri Mahadeoji-ki-Bejis.	2500/-	25/-
71.	„ to temple Shri Murli Manoharji.	4200/-	42/-
72.	„ to temple Shri Gangaji.	500/-	55/-
73.	„ to temple Shri Ramchandra ji Chaoni	22200/-	222/-
74.	„ to temple Shri Mata chauptji.	5500/-	55/-
75.	„ to temple Shri Yegbhlla.	14700/-	167/-
76.	„ to temple Shri Kaliji.	6900/-	69/-
77.	„ to temple Shri Hanuman Jai Dhlokot, Bhawa Sahib Garden & kutcheri.	4200/-	42/-
78.	„ to Idgah, Dholpur.	2000/-	20/-
79.	„ to Meszid, Bara Hydrashah.	5500/-	55/-
80.	„ to June Masid city	9800/-	98/-
81.	„ to Nihal Tower	11393/-	114/-
82.	„ to Farrash Khana.	14280/-	143/-
83.	„ to Baori Building P. W. D. Store.		167/-
84.	„ to Maszid Sardardar.		73/-
85.	„ to Thorpes Bungalow.	33765/-	338/-
86.	„ to Adason's Bungalow.	25358/-	254/-
87.	„ to Tewari Bagh Kothi.	114685/-	1147/-
88.	„ to P. W. D. Office.	15102/-	151/-
89.	„ to Dak Bungalow (Gulab Bagh).	104162/-	1041/-
90.	„ to Indian Guest House.	26518/-	265/-
91.	„ to Old Dak Bungalow.	10008/-	100/-
92.	„ to Rest House, Rajakhera.	17067/-	171/-
93.	„ to Garden Building (seed godown in Subhas Park, New Dak Bungalow, Thorp Bungalow Tor).	4500/-	45/-

1	2	3	4
94.	A/R to Naib Tehsildar Quarter, Rupbas.	3586/-	36/-
95.	„ to Girl School, Rupbas.	9801/-	98/-
96.	„ to Police Station, Rupbas.		346/-
97.	„ to Custom Post Sayar Rupbas.	1968/-	20/-
98.	„ to Dispensary Building, Rupbas.	26277/-	263/-
99.	„ to Tehsildar's Quarter, Rupbas.	18555/-	186/-
100.	„ to A. V. M. School, Rupbas.	14560/-	146/-
101.	„ to Tehsil Building, Rupbas.	4533/-	453/-
102.	„ to Boarding House, Rupbas.	11466/-	115/-
103.	„ to Primary School, Saipur A Rupbas.	45337/-	35/-
104.	„ to Police Building, Rudhawal, including to Officers Quarter.	13611/-	136/-
105.	„ to Custom Post, Rudhawal.	3946/-	40/
106.	„ to Medical Building, Rudhawal.		
107.	„ to Custom Post, Khanua.	2296/-	23/-
108.	„ to Custom Post, Brambad.	2100/-	21/-
109.	„ to School Building, Brambad	1803/-	18/-
110.	„ to School Building, Khanua.	405/-	4/-
111.	„ to Agra Kothi Building.	1200/-	12/-
112.	„ to Sila Kothi Building.	3960/-	39/-
113.	„ to P. W. D. Office, Bari.	5346/-	53/-
114.	„ to Munsif Court Bari Building.	19910/-	199/-
	Total.		28,354/-

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ का उत्तर देखिए)

भरतपुर जिले में अग्नि-पीड़ितों को जो सहायता दी गई उसकी गांववार तथा नामवार सूची

क्र. सं.	जिसको रकम दी गई	गांव का नाम	जाति	रकम जो स्वीकृत की गई	हानि जिसके आधार पर सहायता दी गई
१	२	३	४	५	६
१.	चिमनू वल्द कोकेरिया	नियामतपुर	जाटव	१६६	१,१६४
२.	रामखिलाड़ी वल्द गंगी	,,	,,	२००	१,२००
३.	प्रभाती वल्द बीघा	,,	,,	६६	४१४
४.	सियोती वल्द मलीला	,,	,,	२००	१,१७६
५.	छूंडा वल्द हीरत	,,	,,	१६६	४६२
६.	चिरन्जी वल्द हीरत	,,	,,	८२	२२८
७.	श्रीमती गैंदी पत्नी हीरत	,,	,,	३८	१,१६४
८.	तेजा वल्द ठंडी	,,	,,	१६०	६७२
९.	कुंजी वल्द रेखा	,,	,,	११२	५८८
१०.	रामजीलाल वल्द नैनवा	,,	,,	६८	१,२००
११.	जौहरी वल्द लाहोरिया	,,	,,	२००	४०८
१२.	लाल्या वल्द शुक्ला	,,	,,	६८	६६६
१३.	घांटोली वल्द नानगा	,,	,,	१६१	४६८
१४.	मावासी वल्द छोटू	,,	,,	८३	७७४
१५.	शिवली वल्द फुसिया	,,	,,	१२६	१,२००
१६.	घासिया वल्द बनखड़ी	,,	,,	८०	४६२
१७.	रामलाल वल्द खेता	,,	,,	८२	४५०

१	२	३	४	५	६
१८.	मुन्नराम वल्द कालू	नियानतपुर	जाटव	७५	५५८
१६.	कालू वल्द प्रभाती	,,	,,	६३	६००
२०.	रामजीलाल वल्द खेती	,,	,,	१००	४२०
२१.	लोहरे वल्द नकटा	,,	,,	७०	१,२००
२२.	दारली वल्द लोटन	,,	,,	२००	१,२००
२३.	लालजी वल्द मूला	,,	,,	२००	५४०
२४.	लालटू वल्द रामहेट	,,	,,	६०	४८०
२५.	रतन वल्द घीसा	,,	,,	४१	१६८
२६.	समानता वल्द घीसा	,,	,,	३३	१६८
२७.	गांगी वल्द ग्यारसा	,,	,,	३३	१६८
२८.	पीलू वल्द ग्यारसा	,,	,,	३३	१८६
२६.	सोहनलाल वल्द ग्यारसा	,,	,,	३१	३६
३०.	गंगली वल्द मनका	,,	,,	६	६०
३१.	सामन्ता वल्द गैंडा	,,	,,	१५	१५६
३२.	गुटिया वल्द खत्री	,,	,,	२६	२४०
३३.	अमरसिंह वल्द गिंडा	,,	,,	४०	१२०
३४.	निन्नू वल्द गैंडा	,,	,,	८०	२८६
३५.	जोगन वल्द हमरी	,,	,,	२०	१२०
			——	३,३६७	२०,००२
१.	हेरेती वल्द पटेरिया	बमेरा	जाटव	१६३	६८०
२.	मूला वल्द पटेरिया	,,	,,	२००	१,६६०
३.	देवीराम वल्द पटेरिया	,,	,,	१२६	७७५

Page No.139

१	२	३	४	५	६
४.	शिवचरण वल्द हंसा	बभेरा	जाटव	१८१	८८०
५.	निर्मल वल्द खचेरा	,	,,	६३	५६१
६.	सोनपाल वल्द खचेरा	,,	,,	६८	३६०
७.	सुखराम वल्द काना	,,	,,	४६	२६५
८.	प्रभाती वल्द छोट्टू	,,	,,	३६	२३५
९.	प्रभाती वल्द घासिया	,,	,,	७२	५३५
१०.	किशनलाल वल्द कुरबी	,,	,,	११३	६८२
११.	बरावन्डी वल्द परमोली	,,	,,	८६	५०५
१२.	गोपी वल्द कुरबी	,,	,,	१७	१०५
१३.	अगना वल्द छोट्टू	,,	,,	१६	१००
१४.	रेवती वल्द	,,	,,	१७	१०५
१५.	कान्या वल्द नानस्ता	,,	,,	२८	१७०
१६.	सुखाराम वल्द काना	,,	,,	३८	२३०
				१,३१२	८,१३८

———

शुद्धि-पत्र
(मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७४७६	१०	jusifies it	justifies it
"	११	numbe of	number of
७४८३-८४	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
७४९१	२	तहसीदार के पास	तहसीलदार के पास
७४९३	२	महारानी	महाराना
७५२१	अन्तिम से६	uarters at	quarters at
७५३३से ७५४३तक	शीर्षक	कार्य-सहलाकार	कार्य-सलाहकार
७५३७	अन्तिम से ४	अन्य .. .... से	अन्य मोशन्स से
७५४०	५	श्री सत्रीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
७५५९	२६	in......matters	in administrative matters
७५७४	अन्तिम	यह वभाग	यह विभाग
७५७५	३	बीकियों मिसालें	बीसियों मिसालें
७५९१	अन्तिम से२	देते है	देते हैं
७५९२	शीर्षक	वियधेक	विधेयक
७५९७	शीर्ष	(डॉ० बहादुरसिंह)	(रावराजा श्री सरदारसिंह)
७६११	शीर्षक	पचायत	पंचायत
७६१५	१९	पंचों को	पंचों को
७६१६	१८	freeily and	freely and
७६२३	१९	श्री उपाध्यत्त	श्री उपाध्यक्ष
७६२४	१५	more Corrsct than	more correct than
७६३४	१९	स्वास्थ्य मंत्री	स्वास्थ्य मन्त्री
७६३५	११	श्री आबिदअली	श्री आबिदअली
७६३६	शीर्षक	विधेयक, १९६०	विधेयक, १९६०
७६४५	शीर्ष	(श्री दयांकृष्ण	(श्री दयाकृष्ण
"	२५	इन्ट्रोड्यूस	इन्ट्रोड्यूस
७६५४	शीर्षक	७३५४	७६५४
"	१६	३८ डेफ	३८ डेफर
७६५५	शीर्षक	पंचावत	पंचायत
७६५८	प्रथम	taxes :—	taxes
७६६१	शीर्ष	चौफरी	चौधरी
७६६३	२५	धारा वापिस	क्लॉज वापिस

(२)

१	२	३	४
७६६४	६	गुल्तियों को	गल्तियों को
७६६५	४	डिट्रिकल्टीज़	डिफीकल्टीज़
,,	५	टैक्स का	टैक्स का
७६७१	१०	कि ग्रट	कि ग्रंट
७६७३	अन्तिम से ४	past t raditions	past traditions
७६७४	१६–२०	दोनों एक	दोनों की एक
७६८६	२४	श्री ब्रद्री सा गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
७६६०	१६	to Aye	to Ayes
७६६२	अन्तिम से २	ro the	to the
७७०१	१६	श्री भैरों	श्री भैरोंसिंह
७७१४	१	चर्बेतदी	चतुर्वेदी
७७२१	शीर्षक	विवरण–११	विवरण–१२